राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 67वां दिवस [संख्या 39

गुरुवार

दिनांक मई 20, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, समाजकल्याण, सार्वजनिक निर्माण, स्वात्त शासन, गृह, सहकारी, सहकारिता विभाग]

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगित प्रश्न ले लें ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री बार्लसिंह सोढ़ा ।

स्थगित प्रश्न

31-3-71, 14-4-71, 21-4-71, 5-5-71 व 13-5-71)

ट्रकों की खरीद

164. **श्री बार्लसिंह सोढा (जैसलमेर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीमा सड़क निर्माण विभाग में कितनी ट्रकें खरीदी गई और आज उसमें से कितनी ट्रकें काम में आने योग्य हैं ? खरीद की कुल मूल्य की राशि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकें ठेकेदारों को किराये पर दी गई थी ? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार से कितना कितना किराया वसूल किया गया ? जिलेवार व ठेकेदार वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की मरम्मत भी कराई गई है ? अगर हां, तो आज तक किस डिविजन में मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकों के कर का भुगतान भी किया गया है ? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने कितना कर विभाग के माध्यम से दिया और किस ठेकेदार के लिए विभाग ने कर से छूट चाही ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

Page No 2

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) 416 ट्रकें 1,53,94,300) रु० में खरीदी गई हैं। इनमें से हायर परचेज पर देने के बाद विभाग के पास रही ट्रकों में से 96 ट्रक काम में आने योग्य हैं, बाकी मरम्मत तलब हैं।

(2) जी हां। हायर परचेज पर दी गई ट्रकों के अलावा ट्रक ठेकेदारों को किराए पर दी गई थी। किराये इत्यादि के ब्योरे की सूची (अ) सदन की मेज पर रखी गई है।

(3) जी हां। सूची (ब) सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(4) जी हा। वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है जो प्रस्तुत कर दी जाएगी। किसी ठेकेदार के लिए विभाग ने कर से छूट नहीं चाही।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर 5 या 6 बार पोस्टपोन होने के बाद में दिया जा रहा है और मंत्रीजी कहते हैं प्रश्न 4 के उत्तर में कि अभी भी सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : जो है उस पर पूछिए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इनकम्पलीट जवाब दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : फिर ये जवाब देंगे कि सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर स्थगित कर दूं ?

श्री खेतसिंह : (श्री भैरोंसिंह की ओर) सवाल आपका है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आप भ्रम में हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या कि राज्य सरकार ने इन ट्रकों पर कितना कर लगना चाहिए, इसका आज तक कोई असेसमेन्ट किया है ?

श्री खेतसिंह : कितना टेक्स लगना चाहिए ?

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री खेतसिंह : टेक्स का सवाल इसलिये पैदा नहीं होता कि पी० डब्ल्यू० डी० ने खरीदी थी। ये ट्रक्स, लिहाजा सरकार के जो विहिकल्स होते हैं उन पर टेक्स नहीं लगता है।

श्री भैरोंसिंह : जो सरकार ने परचेज की और हायर परचेज सिस्टम पर ठेकेदारों को दी, क्या उन पर किसी प्रकार का कर देय था ? यदि हां, तो कोई असेसमेंट किया ?

श्री खेतसिंह : 197 ट्रक्स हायर परचेज सिस्टम पर दी गई और जो हायर परचेज सिस्टम पर दे दी गई, वह ठेकेदरों के पास में है, उन ठेकेदारों से ट्रान्सपोट विभाग अपने आप टेक्स वसूल करता है और जिन्होंने नही दिया है उन पर अपने आप पेनेल्टी लग जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न मेरा नहीं है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन ट्रक्स को बिना किसी कर दिये डी० जी० एस० डी० रेट्स पर खरीदी थी ? अगर कोई प्राइवेट आदमी खरीदता तो उसको टेक्स देना पड़ता और इस आधार पर जो सरकार ने परचेज की, हायर परचेज सिस्टम पर ठेकेदारों को दी, क्या सरकार उचित नहीं

Page No 3

(श्री भैरोंसिंह)

समझती थी कि उन ठेकेदारों से यह कर वसूल किया जाय ? क्या यह भी सही है कि इस प्रकार का कर वसूल करने के सरकार ने नोटिस दिये हैं ?

श्री खेतसिंह : जहां तक इन ट्रकों की खरीद का सवाल है, ये डी० जी० एस० डी० से खरीदी गई हैं और जिन दामों पर खरीदी थी उसी कीमत पर हमने ठेकेदारों को दी, यह सही है, लेकिन आपने जो कहा है कि टैक्स वसूल करना चाहिये तो वह ट्रान्सपोर्ट विभाग वसूल करता है, हमारा क्या ताल्लुक है ?

श्री भैरोंसिंह : सालाना टैक्स ?

श्री खेतसिंह : यह नहीं कह सकता। नहीं हुआ है तो, वसूल किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हायर परचेज सिस्टम पर ट्रक्स आपने दिए, उसके लिए इस बात का एग्रीमेन्ट नहीं है कि उनसे सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा और इसी आधार पर कोई ठेकेदार सेल्स टैक्स देने को तैयार नहीं है ?

श्री खेतसिंह : वह एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो आपके पास क्या है ? सरकार के लाखों रुपए की टैक्स की बात है आप कहते हैं कि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप किस लिये जवाब दे रहे है ? अध्यक्ष महोदय, कई बार प्रश्न आया है कि ठेकेदारों को रियायत पर सरकार ने परचेज करके ट्रक्स दिये और टैक्स की चोरी कराई। सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेन्ट के टैक्स वसूल करने की, आप बतायें कि क्यों नहीं वसूल किया, आपने एग्रीमेन्ट किस आधार पर किया....

श्री खेतसिंह : अगर एग्रीमेन्ट में ऐसी शर्त है, उसके अनुसार अगर सेल टैक्स लेना है, तो लिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : अगर मगर का सवाल नहीं है।

श्री खेतसिंह : एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है इसलिए "अगर" कहता हूं। लेकिन यह आश्वासन दे सकता हूं कि एग्रीमेंट में जो टर्म्स हैं उनकी पूरी पालना की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ही ट्रक्स ठेकेदारों को दे दिए गए थे ?

श्री खेतसिंह : जो एग्रीमेंट में लिखा है, उसीके अनुसार दिए गए ?

श्री भैरोंसिंह : आप समझे नहीं एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले हायर परचेज सिस्टम पर ट्रक्स ठेकेदारों को दे दिए गए थे ?

श्री खेतसिंह : कुछ ऐसे केसेज हैं जिनमें ट्रक्स पहले दे दिए गए थे, एग्रीमेंट बाद में एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट सब में एग्जीक्यूट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केवल 7 ट्रक्स के संबंध में एग्रीमेन्ट पहले एग्जीक्यूट किया था और बाकी सारे ट्रक्स के संबंध में एग्रीमेन्ट बाद में एग्जीक्यूट किया था और ट्रक्स पहले हैंडओवर किए गए ?

श्री खेतसिंह : इसमें फर्क क्या पड़ता है ?

श्री भैरोंसिह : बहुत फर्क पड़ता है।

श्री खेतसिंह : एग्रीमेन्ट सबसे लिखाया गया है उसके अनुसार कुछ ट्रक्स पहले दिए गए इसलिए कि काम जल्दी का था, काम शुरू करना था, इसलिए बाद में एग्रीमेंट लिख दिया गया, ट्रक्स पहले दे दिये गए ताकि तुरन्त काम शुरू करें।

श्री भैरोंसिह : कह दीजिए सही है।

श्री खेतसिंह : यह कहा है।

श्री भैरोंसिह : जिस समय ट्रक्स हैंड-ओवर किए गए थे उस समय हायर परचेज सिस्टम पर देने की व्यवस्था नहीं थी, केवल ट्रक्स किराये पर थीं ?

श्री खेतसिंह : यह सही है हायर परचेज पर उनको ट्रक्स दिए गए है।

श्री भैरोंसिह : जिस समय बिना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराए, आपने ट्रक्स ठेकेदारों को दिये उस समय केवल किराए पर दिए गए थे ? बाद म जाकर हायर परचेज पर देने की व्यवस्था की गई और इस कारण से एग्रीमेंट बाद में एग्जीक्यूट कराए गए ?

श्री खेतसिंह : अभी नहीं कह सकता कि कितने ट्रक्स इस तरह से दिए गए पहले किराये पर और बाद में हायर परचेज पर।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जो ट्रक्स खरीदे हैं उनका अमाउन्ट अभी तक भारत सरकार ने सैंक्शन नहीं किया है ?

श्री खेतसिंह : 5·92 करोड़ सैंक्शन किए हैं।

श्री भैरोंसिह : वह तो वक्ट म किया है टोटल अमाउन्ट। इस परटीक्यूलर अमाउन्ट की खरीद की अभी तक भारत सरकार ने सैंक्शन नहीं दी है ?

श्री खेतसिंह : जो अमाउन्ट सैंक्शन किया गया है उसमें ट्रकों का अमाउन्ट भी शामिल है।

श्री भैरोंसिह : वह तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है। यह आइटम जो आपन खरीदा, क्या इस संबंध में भारत सरकार ने अभी तक इन बिल्स को फाइनल नहीं किया है ?

श्री विजयसिंह : जबरन गले में घंटी लगा दी है।

श्री भैरोंसिह : तो आप किस मर्ज की दवा हैं ? पाइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, ये इस विभाग के मंत्री नहीं हैं, जबरदस्ती उनको खड़ा किया है, सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठे हैं, वह क्यों नहीं जवाब देते।

श्री खेतसिंह : मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिह : आप हर विभाग के लिए खड़े हो जाते हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : ये जवाब दे सकते हैं। इनको एन्ट्रस्ट किया गया है। ऐसा क्या जरूरी है...

श्री भैरोंसिह : यह जरूरी है इसलिए कि य मंत्री विभाग से परिचित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, नहीं तो ये आपको ही लिख कर भेज दें, (मंत्री की आवश्यकता ही नहीं) मंत्री महोदय स्वयम् ही बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये नवाब भी तो हैं।

श्री बालसिह सोढ़ा : क्या यह सही

Page No 5

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

कि हायर पर्चेज के अलावा भी ठेकेदारों को ट्रक किराये पर दिये गये हैं और दिये गये हैं तो कितने और कब से और किस किस ठेकेदार को कितन कितने दिये गये हैं ?

श्री खेतसिंह : सूची दी हुई है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : फॉर्मेल्टी पूरी करने की दृष्टि से देदी । कोई उसमें पूरी सूचना नहीं है । 23 लाख मरम्मत में खर्च हुए । कितने दिन कितने ट्रक दिये गये ? दिये कहीं नहीं गए है ।

श्री खेतसिंह : फीगर्स आप गलत बता रहे हैं । किराया वसूल हुआ है वह 19, 24,082.56 ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मरम्मत के हैं 23 लाख और वसूल हुए हैं 19 लाख । ट्रकों का रजिस्ट्रेशन कराया नहीं ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार का कोई मेकेनिकल डिपो नहीं था जहां कि रिपेयर कराई जाती ?

श्री खेतसिंह : डिटेल्स में बता रहा हूं ताकि भ्रम दूर हो जाय ।

श्री भैरोंसिह : भ्रम नहीं होता तो नवाब साहब जवाब दे देते ।

श्री खेतसिंह : 222 नयी खरीदी गयीं और 193 आरमी के डिसपोजल से खरीदी गयीं । ये पांच पांच हजार में आती है । फोरवील ट्रक की जरूरत थी क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन था । 193 डिस्पोजल से खरीदी गयी प्रति ट्रक पांच हजार रुपया लगा और प्रति ट्रक 17 । 18 हजार रुपये लगाये तो वे काबिल बनीं । उनको तैयार करने में इनिशियली ज्यादा खर्चा करना पड़ा । 222 नयी आयीं, टेरेन डिफिकल्ट होने के कारण जल्दी 2 टूट गयी इसलिये मरम्मत की रकम भी ज्यादा आयी । पर्चेज के लिये निवेदन करू कि सारी पर्चेजेज की है या तो आरमी हैडक्वार्टर्स के डिस्पोजल से खरीदी गयी और बाकी की डी० जी० एस० डी० से खरीदी है । आपकी मंशा यह है कि खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हुई है, वह कहीं नहीं है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : हमारा एलीगेशन यह है कि जो ट्रक ली गयी उनमें से कुछ हायर पर्चेज पर दी गयी । हायर पर्चेज के अलावा भी किन किन ठेकेदारों को कितने कितने समय के लिए दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आ गया है ।

श्री खेतसिंह : हायर पर्चेज में 197 ट्रक दिये गये । 219 पीछे रहे उनमें से कुछ ट्रक्स ठेकेदारों को दिये गये थे, नम्बर मैंने आपको दे दिये हैं । हर एक से किराया वसूल किया है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसी में तो घोटाला है । दो दो हजार, तीन तीन हजार बता दिया । नम्बर नहीं दिया है । 12 महीने ट्रक दिये हुये बताये और 9 महीने चलती हुई नहीं बतायी है । यही तो गड़बड़ है ।

श्री खेतसिंह : यह तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने पहले भी कह दिया था कि भारत सरकार की ओर से एक कमेटी बनायी गयी है जो खरी

Page No 6

(श्री खेतसिंह)

फरोख्त, किराये आदि की जांच करे उसके सामने आप सबूत पेश कर दीजियें ।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न 3 में कहा है कि मरमम्त करायी गयी । मेरा एक पर्टीनेन्ट क्वेश्चन था कि बोर्डर रोड्स के अन्दर मेकेनिकल डिविजन था, रिपेयर्स वगैरह का काम होता था ।

श्री खेतसिंह : उसमें नहीं होता था ।

श्री भैरोंसिंह : था या नहीं ?

श्री खेतसिंह : बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अलग था । एक जगह होता तो वहां ले जाकर मरम्मत करायी जा सकती थी । इसलिये साइड पर जरूरत हो तो ओर्डर्स दिये हुए थे कि मरम्मत करालें ।

श्री भैरोंसिंह : किसको दिए हुए थे ।

श्री खेतसिंह : हायर परचेज पर थी तो ठेकेदार को दिये । मरम्मत करवा कर बिल पेश करदीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : यहां तो घोटाला है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न हैं । स्थगित प्रश्न में ही सारा समय निकल जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न । केवल एक प्रश्न । क्या यह सही है जो किराये पर ट्रक्स दिये गये उनकी लोग बुक्स मेन्टने नहीं की गई थी ? दूसरा, क्या यह सही है कि प्राईवेट कन्ट्रैक्टर्स ने रिपेयर्स करायी उनके बिल फाइनल पेमेन्ट होने के बाद पास किये गये ?

श्री खेतसिंह : फाइनल बिल्स मानें ।

श्री भैरोंसिंह : फाइनल पेमेन्ट होने के बाद पास किये और लोग-बुक्स मेन्टेन नहीं की गयी ?

श्री खेतसिंह : लोग-बुक्स मेन्टेन की गयी । कुछ ट्रक्स में गड़बड़ के लिये आपके पास सूचना हो तो कृपया आप इन्क्वायरी कमेटी के सामने पेश कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न का महत्वपूर्ण अंग मैं यह मानता हूं कि ठेकेदारों को ये ट्रक्स किन शर्तों पर दिये गये । सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं आता है तब तक इस प्रश्न पर कोई सप्लीमेन्टरी भी नहीं पूछा जा सकता है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आखिरकार ट्रक्स की कन्डीशन कैसी है ? प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछा गया कि करीब 2 ट्रक्स की हालत खराब है । सरकार यह कहने के लिये तैयार है कि सब के सब ट्रक्स की हालत खराब नहीं है तो क्या प्रश्नकर्त्ता को देखने का मौका दे सकती है और निष्पक्ष जांच करवा कर सदन को जानकारी दे सकती है कि कितने ट्रक्स वास्तव में ठीक हैं ? अध्यक्ष महोदय, इसको वापिस स्थगित किया जाय और फिर एक दफा और इस पर चर्चा होनी आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने के प्रश्न पर मैं विचार करूंगा ।

Page No 7

प्रश्न संख्या 174

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : डिविजन नं० 7, 8, 9 में नये ट्रक्स ठेकेदार को दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट प्रश्न ले लिया है । सारा समय ही क्या इसी प्रश्न पर निकल जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : इसको और ढंग से उठा लीजिये । मैं सारा समय तो नहीं दे सकता ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : बार बार क्वश्चन पोस्टपोन हो जाय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक बार और इस प्रश्न को स्थगित किया जाय यह मेरा पुरजोर निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : कोई दूसरा तरीका होगा तो विचार करूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

स्थगित प्रश्न

28-4-71 व 12-5-71

एसोशियटेड स्टॉन इन्डस्ट्रीज लि०, रामगंज मंडी द्वारा ठेके के लिये रजिस्टर्ड करवाना

510. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) व **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि एसोशियटेड स्टॉन इन्डस्ट्रीज लि०, रामगंज मंडी ने अपने को सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेके लेने के लिये रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ? यदि हां, तो कब से और किस ग्रेड में ?

(2) उक्त कम्पनी को रजिस्ट्रेशन के बाद किन किन कार्यों का कब कब कितने कितने रुपयों का ठेका दिया गया है वह कहां कहां कार्य अधूरा है अथवा कार्य पूरा किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की घोषित नीति के बावजूद इन्होंने किसी बेरोजगार इंजीनियर को अपने कार्यों के निरीक्षण हेतु नहीं रखा हुआ है ?

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। दिनांक 6-12-69 को (बी) श्रेणी के ठेकेदार पंजीकृत किये गये हैं ।

(2) ठेके पर दिये गये कार्यों की सूची प्रस्तुत है ।

(3) बेरोजगार इंजीनियर को कार्य निरीक्षण हेतु रखना उक्त ठेकेदार को आवश्यक नहीं था ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जुझारसिंह : आपने ठेकेदार को फ्लड रिलीफ का काम करने के लिये ठेका दे रखा है ।

Page No 8

श्री खेतसिंह : चार काम फ्लड रिलीफ के और दो दूसरे काम हैं।

श्री जुझार सिंह : कौन कौन से ठेकेदार ने यह काम किये हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है इसी ठेकेदार के मार्फत किये गये हैं और आपने उसमें नहीं बताया है।

श्री खेतसिंह : सूची दी हुई है उसमें बताया गया है कि चार काम किये गये थे:—

पहला 31,201) रु० का

दूसरा 29,009) रुपये का

तीसरा 16,188) का

चौथा 12,068) रु० का

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केदारनाथ।

श्री जुझारसिंह : कॉन्ट्राडिक्टरी फीगर्स हैं। यह करेक्ट नहीं है। दूसरे इन्कलयूड हो गये हैं।

श्री खेतसिंह : करेक्ट कर लिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रश्न नहीं पूछेंगे यदि मंत्री महोदय से आप जवाब नहीं दिलायेंगे तो। म अपने दल के लिये कह सकता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : यह अपमान है सदन का। हम भी प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं यह उचित समझता हूं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां है तो वे एसोशियेट कर सकते हैं अपने डिप्टी को।

(विरोधीपक्ष द्वारा हियर हियर)

श्री जुझारसिंह : मेरा जवाब ही नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। इसके पहले जो प्रश्न पूछा था, इन दोनों की फीगर्स कन्ट्राडिक्टरी हैं। जितना ठेकेदारों ने काम किया है....

प्रश्न सं० 517

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर

मुख्य मंत्री महोदय।

स्थगित प्रश्न

(4-5-71 व 11-5-71)

स्वाधीनता संग्राम का इतिहास

601. **श्री केदारनाथ (गंगानगर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) स्वाधीनता संग्राम के इतिहास लिखने के लिये सम्बन्धित घटनाओं, व्यक्तियों तथा स्थानों की जानकारी प्राप्त करने के लिये किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सहयोग लिया जा रहा है ?

(3) इतिहास लिखने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(4) क्या स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों, घटनाओं तथा स्थानों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये

(श्री केदारनाथ)

इस समिति ने कुछ कार्य किया है यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): (1) जी हां। समिति व सम्पादक मंडल नियुक्त कर ऐसी व्यवस्थायें समय समय पर की गई हैं।

(2) राज्य की सभी भूतपूर्व रियासतों के रेकार्ड्स (राजकीय और राजनैतिक) से सामग्री उपलब्ध की गई है। श्री बलवन्त राय मेहता, मुनि जिन विजय जी, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, स्व० श्री नाथूराम जी खड़गावत, डा० मथुरालाल शर्मा, डा० दशरथ शर्मा, डा० सत्यप्रकाश श्रीवास्तव आदि व्यक्तियों से सहयोग लिया जा रहा है।

(3) 1953 में समिति का गठन किया गया था किन्तु 1969 में श्री बलवन्त राय जी मेहता के मार्ग दर्शन में स्व० श्री नाथूराम जी खड़गावत ने सामग्री एकत्रित की इससे पहले 1956 में भी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी केन्द्रीय सरकार की योजना स्वतंत्रता संग्राम में "हूज हू" के लिये एकत्रित सामग्री जून, 1956 में दी जा चुकी थी।

(4) 'राजस्थान थ्रू दी एजेज' के द्वितीय भाग में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का विशेष विवरण होगा अब तक प्रथम भाग ही छपा है। शीघ्र ही दूसरा भाग छपने वाला है। इस कार्य के लिए जो समिति बनी है उसमें मुख्यतः वे ही व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 2 के उत्तर में किया गया है।

श्री केदारनाथ : भूतपूर्व रियासतों के पास जो रेकार्ड्स थे क्या राज्य सरकार ने अपनी कस्टडी में लिये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शिक्षा मंत्रालय देख रहा है किसने क्या कस्टडी में लिया, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं।

प्रश्न सं 659

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री मोहनलाल मोदी।

स्थगित प्रश्न

(12-5-71)

सहायक जिलाधीश नीम का थाना के विरुद्ध जांच

738. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री दूली चन्द जैन, आर० ए० एस० ने नीम-का-थाना की अदालत में सहायक जिलाधीश के पद पर कार्य किया था ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या श्री दूली चन्द जैन के विरुद्ध अपने उक्त पद पर कार्य करने के समय भ्रष्ट कार्यवाही की शिकायतें राज्य सरकार में प्रस्तुत की गई थीं और उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच हेतु भेजी गई थी? यदि हां, तो इसके लिये किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या श्री दूली चन्द एवं हनुमान प्रसाद खंडेलवाल वकील व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में फर्जियत व

Page No 10

(मोहनलाल मोदी)

भ्रष्टाचार का मुकद्दमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो किन धाराओं में और कब ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मुकद्दमें की तफतीश भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डी वाई० एस०पी० कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसमें कितने साक्षियों के बयान लिये गये थे और अब किस स्टेज पर है व कितनी जांच शेष है ? कौन अधिकारी मुकदमें की जांच कर रहे हैं तथा इतनी देरी के क्या कारण हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह): (1) दिनांक 22-8-67 से 7-10-68 तक ए०सी० एम० नीम का थाना रहे है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में ए०सी० डी० के श्री बी० डी० शर्मा, उप-अधीक्षक, पुलिस द्वारा जांच करवाई गई थी।

(3) केस नं० 18169 विरूद्ध श्री दूली चन्द, ए०सी०एम०, नीम का थाना प्राथमिक जांच रिपोर्ट के बाद अन्तर्गत धारा 5 (1) डी (2) पी०सी० एक्ट एवम् 466 आइ० पी० सी० व 120 बी० आई० पी० सी० कायम किया गया है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट से श्रीहनुमान प्रसाद खण्डेलवाल वकील के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना है।

(4) सर्व प्रथम उक्त अपराध का अनुसन्धान श्री बी०डी० शर्मा, उप-अधीक्षक, आरक्षी हाल अपर अधीक्षक पुलिस द्वारा किया गया था। अब तक इस प्रकरण की तफतीश के सम्बन्ध में करीब 13 साक्षियों के कथन लिये जा चुके है। अपराध अनुसन्धान प्रगती पर है तथा वर्तमान में अधीक्षक पुलिस इस अपराध का अनुसन्धान कर रहे है। अधिकारीगण को समय समय पर स्थानान्तरण ही विलम्ब का कारण है।

श्री मोहनलाल मोदी : आप बता दीजिये कौनसा मुकदमा इनके खिलाफ गलत आदमी के खिलाफ......

श्री हीरालाल देवपुरा : यह गलत समन जारी हुआ है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, केस यह था कि एक आदमी रामेश्वरा नन्द स्वामी वह फौत हो गया। उसके बाद तहसील में दूली चन्द, हनुमान प्रसाद खण्डेलवाल ने रावत सिंह गुजर से सूट फाइल कराया और अदालत से चपरासी बुलाकर उसकी तामील कराई कि लेने से इन्कार कर दिया......तथा ऐसे केसेज में......

श्री अध्यक्ष: क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यही तो मैंने कहा कोर्ट में गलत आदमी का समन करके एक तरफा कार्यवाही की है।

श्री मोहनलाल मोदी : कब तक निर्णय होगा। काफी लम्बा हो गया है जो पुलिस में अब तक पड़ा है।

श्री हीरालाल देवपुरा: पुलिस कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल मोदी : पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है, उसको ससपेन्ड करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार किस तरह बन्द होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : एस० पी०, ए० सी० डी० अनुसन्धान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री जी।

स्थगित प्रश्न

(12-5-71)

आवास भू-खण्ड की सीमा

740. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा आवास भू-खण्ड कितना लम्बा चौड़ा हो इसकी सीमा निर्धारित कर रखी है और उस सीमा से अधिक लम्बाई चौड़ाई का भू-खण्ड जयपुर में नगर सुधार न्यास द्वारा किसी को नहीं दिया जा सकता ? यदि हां, तो वह सीमा क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इस निर्धारित सीमा से बड़े भू-खण्ड जयपुर में कुछ व्यक्तियों को दिये गयें हैं ? यदि हां, तो किन किन को, और कितने कितने बड़े भू-खण्ड दिये गये है व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिनके पास अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के पास आवास के लिये भवन मौजूद है और भू-खण्ड मौजूद है उसे नया भू-खण्ड नहीं दिया जा सकता ? ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनके पास पहले से ही भवन एवं भू-खण्ड है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों के नाम भवन और भू-खण्ड मौजूद है ?

(4) क्या यह भी सही है कि भवन निर्माण के लिये पेश किये गये नक्शों पर स्वीकृति देनें में न्यास की ओर से नागरिकों को बड़ा परेशान किया जाता है ? कम्पाऊन्ड केसेज में बड़ा भारी विलम्ब होता है ? एक साल से पुराने नक्शा स्वीकृति एवं कम्पाऊन्ड केसेज कितने पेन्डिग हैं व क्यों ?

श्री खेत सिंह (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : (1) जी हां। केवल कन्सेशनल रेट पर अलॉटमेंट की सीमा निर्धारित हैं। सीमा निर्धारित सूचना क्रमांक पर 7 (187) एल० एस० जी० । 58 दिनांक 9-5-63 है।

(2) जी हां। सूची 'अ' संलग्न है।

(3) जी हां। अगर न्यास के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य के पास आवास के लिये भवन या भू-खण्ड मौजूद है तो उसे भू-खंड आवंटन नहीं किया जा सकता। शेष नगर न्यास की जानकारी में नहीं है।

(4) जी नहीं। न्यास में प्रस्तुत नक्शों में यदि त्रुटि पाई जाती है तो उनमें विलम्ब होना स्वाभाविक है, अन्यथा नहीं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : ये आपने प्रश्न दो का उत्तर दिया है उसमें मैंने अन्त में पूछा है, कितने बड़े भू-खण्ड दिये हैं सूची दी है लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री खेतसिंह : उत्तर तो यही है कि जहां गवर्नमेन्ट ने ठीक समझा—गवर्नमेन्ट पावरफुल है दे सकती है।

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेन्ट के पावर में तो हमें एतराज नहीं है। पावर का इस्तेमाल विवेक पूर्ण ढंग से करती है, ऐसा मानकर चला जाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं यह पावर गवर्नमेन्ट ने किस आधार पर एक्सरसाइज की है ?

श्री खेतसिंह : गवर्नमेन्ट ने जिन व्यक्तियों को प्लाट्स दिये हैं वे निर्धारित क्षेत्र में दिये हैं। वे सब आवश्यकतानुसार और विवेक से ही दिये गये हैं जैसा मैं अर्ज करूं, कुछ ऐसे केसेज हैं जिनमें मिलटरी के आफिसर्स हैं और जिनको महावीर चक्र, वीर चक्र, आदि दिये गये हैं उनके लिए गवर्नमेन्ट ने न्यास से निवेदन किया था और न्यास ने उनकी सेवाओं को देखते हुए प्लाट अलाट किये हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह ठीक है गवर्नमेन्ट ने जो समझा वह किया है लेकिन ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्राप्त कितने व्यक्ति हैं ?

श्री खेतसिंह : यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेन्ट के जस्टिफिकेशन का आधार क्या है, अलग से प्रश्न कौनसे हैं। यह तो इसी से जुड़ा हुआ है।

श्री खेतसिंह : 10–12 केसेज होंगे।

श्री दौलतराम सारण : 10–12 नहीं, 40-45 केसेज हैं। क्या यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह : मैं जांच कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अधिकांश भू-खण्डों का आवंटन सरकारी आदेशों से नहीं हुआ है बल्कि यू० आई० टी० ने किया है।

श्री खेतसिंह : कुछ केसेज में सरकारी आदेशों से हुआ है और कुछ केसेज में यू० आई० टी० से हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यू० आई० टी० ने निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रों का भू-खण्ड आवंटित किये हैं, जो यू० आई० टी० के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए आवंटन अनियमित है।

श्री खेतसिंह : वह गवर्नमेन्ट को रेफर कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आवंटन करने से पहले गवर्नमेन्ट से अनुमति लेना आवश्यक है ?

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : गवर्नमेन्ट से नियमन भी किये जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अलॉटमेन्ट करने से पूर्व यू० आई० टी० को राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : यह तो माननीय सदस्य जानते हैं, मैंने भी कहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है न ?

श्री भीखाभाई : जो सही है, उनको नियमन करेंगे, उसके अन्दर एप्लाइड है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो प्लाट्स निर्धारित सीमा से बड़े दिये हैं उसके नियमन की आज्ञा नहीं प्रदान की गई है और न मांगा गया है।

Page No 13

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्य देते हैं, उसको देख लिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : तो फिर किस बात का उत्तर दे रहे हैं। सारे प्रश्न को पूछने का मतलब ही यही है कि अनियमितताएं होती हैं और गैरजिम्मेदारी से एलॉटमेंट हुए हैं।

श्री भीखाभाई : अनियमितताओं के लिए सरकार ने बराबर कदम लिये हैं और लेती है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उद्देश्य ही यह है कि इतने बड़े प्लाट्स क्यों दिये गये हैं और उसका कारण क्या है और माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। वे न तो प्रश्न का रिप्लाई देते हैं और न सप्लिमेंट्री का उत्तर दे रहे हैं तो फिर मेरे प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही क्या है? मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है कि जो भूमि की निर्धारित सीमा है उससे बड़े प्लॉट दिये गये हैं और उन भू-खण्डों को देने को कोई अधिकृत नहीं है, और राज्य सरकार ने भी दिये हैं। ऐसी स्थिति में मंत्रीजी कह रहे हैं कि नियमन करवा लेंगे तो नियमन राज्य सरकार से करवाया नहीं है और राज्य सरकार ने नियमन किया नहीं तो आप यह जानकारी किस आधार पर दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष, गवर्नमेंट ने प्लॉटस दिये हैं तो वह बात अधिकार में है गवर्नमेन्ट के और गवर्नमेंट ने दिये हैं। जहां तक न्यास का सवाल है उनका फर्ज था कि गवर्नमेंट की परमिशन लेकर देते, लेकिन अगर नहीं ली है तो इन केसेज को रेफर कर दिया है गवर्नमेंट को और अब नियमन कर सकते हैं उसमें दिक्कत की बात नहीं है। जो दिये हैं वे मिलीट्री के पर्सनल्स को दिये हैं और हमने दिये हैं। कोई केस आपके ध्यान में हो कि नहीं मिले हैं प्लॉटस तो वी विल लुक इन्टू दिस।

श्री दौलतराम सारण : भोपालसिंहजी कौन हैं जिनको एक हजार स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दिया गया है ये कौनसा एवार्ड प्राप्त हैं।

श्री खेतसिंह : यह बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं नहीं कह सकता।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी के सारे परिवार को और रिश्तेदारों को प्लॉट दे दिये गये हैं एक-एक हजार वर्ग गज के प्लॉट्स, और आप कह रहे हैं कि एवार्ड वालों को दिये गये हैं। कोई परमिशन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई तरीका नहीं प्लॉट देने का।

श्री खेतसिंह : न्यास ने दे दिया तो इसको रिप्लेस कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : किस तरह से रिप्लेस कर दिया? क्या इसके रिप्लेसमेंट की परमिशन मांगी गई है?

श्री भीखाभाई : उनकी पुरानी एप्लीकेशन थी तो प्रायोरिटी के आधार पर दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : किनको?

श्री भीखाभाई : भोपालसिंहजी को जिनका नाम आप बता रहे हैं।

Page No 14

श्री दौलतराम सारण : कब दी थी दरख्वास्त और कब दिया गया प्लॉट ?

श्री भीखाभाई : 68 की दरख्वास्त थी और 70 में उनके भाई ने........

श्री दौलतराम : गजेन्द्रसिहजी को किस आधार पर दिया गया ?

श्री खेतसिंह : दिये जाने वाली बात तो आपने कही नहीं। आप यह कह रहे हैं कि यह जो प्लाट्स दिये गये हैं वे रिश्तेदारों को दिये गये हैं चीफ सैकेट्री के तो उनके रिश्तेदारों को तो मैं नहीं जानता कि कौन किसका रिश्तेदार है तो कैसे कह दूं कि है।

श्री दौलतराम सारण : आप नहीं जानते लेकिन जयपुर की जनता जानती है।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूं कि भोपालसिहजी को दिया है तो पुरानी प्रायोरिटी पर दिया है और अभी दिया है। वे गवर्नमेंट सरवेन्ट हैं तो उनकी प्रायोरिटी लगती है और उनको प्रायोरिटी से मिलता है। यह उसका हक। जब हम दूसरों को दे रहे हैं तो उसको दिया तो क्या हो रहा है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उनके पास जिनको प्लॉट्स दिये गए हैं राजस्थान के अन्दर दूसरे आवास के मकान है।

श्री खेतसिंह : ऐसे केसेज होंगे तो रेफर किये जायं।

श्री दौलतराम सारण : मैं नाम बता रहा हूं। जिनको प्लॉट्स दिये गये हैं उन सब के पास म मकान हैं, आलिशान मकान और गढ़ हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो भोपालसिहजी को प्लॉट दिया गया है वह पी० डब्ल्यू० डी० की मिल्कियत थी ? वह यू० आई० टी० की सम्पति नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : इतना बारीक प्रश्न तो अलग से पूछलें कि किस की मिल्कियत है प्राइमाफेसी यह अलग प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह पी० डब्ल्यू०डी०की प्रापर्टी है और यू०आई०टी० की कोई सम्पति नहीं है........

श्री दौलतराम सारण : यह हरेन्द्रसिह कौन है ? यह उदयसिह कौन है, यह गजेन्द्रसिह कौन है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट 741।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इतने भयंकर घोटाले यू०आई०टी० के अन्दर हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सार्वजनिक सम्पत्ति को ये लोग मिलकर हड़प कर रहे हैं और मंत्री मण्डल बिल्कुल अयोग्य है कि उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है।

श्री अध्यक्षः नक्स्ट।

स्थगित प्रश्न
(12-5-71)

741. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की जतारण और

(श्री शंकरलाल)

रायपुर तहसीलों को गत दो वर्षों में किन-किन काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र किन किन तारीखों में ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि विकास बैंक पालीको प्राप्त हुए और कितनी कितनी धनराशि हेतु प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन प्रार्थना-पत्रों के आवेदकों में से किन किन को ऋण कौन कौन सी तारीखों को कितनी कितनी धनराशि का दे दिया गया और किन किन के प्रार्थना-पत्र किन किन कारणों से विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किन किन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र किन किन कारणों से अस्वीकृत किये गये ?

(4) विचाराधीन आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

(5) स्वीकृति आवेदन-पत्रों के काश्तकारों को ऋण प्राप्त करने हेतु हिस्सा राशि व अन्य खर्च की कितनी रकम किस हिसाब से काटनी पड़ती है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) : (1) गत दो वर्षों में पाली भूमि विकास बैंक में जिले की जैतारण व रायपुर तहसीलों के जिन जिन काश्तकारों के कितनी कितनी राशि के ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) इन प्रार्थना-पत्र के आवेदकों में से जिन जिन आवेदकों को जिस जिस तारीख को ऋण उपलब्ध कराया गया है इसकी सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। जो ऋण आवेदन-पत्र विचाराधीन है, के कारण परिशिष्ट 'ख' के कॉलम 8 में अंकित है।

(3) जिन आवेदकों के ऋण प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं उनका कारण परिशिष्ट 'ख' के कालम 9 में अंकित है।

(4) विचाराधीन आवेदन-पत्रों पर निर्णय लिये जाने की अनुमति समय परिशिष्ठ 'ख' के कॉलम 10 में अंकित है।

(5) स्वीकृत आवेदन-पत्रों को काश्तकारों को ऋण प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले खर्चों का विवरण परिशिष्ट (ग) में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि जो सूची आपने दी है रायपुर और जैतारण तहसील के कस्बों की 277 की तो उसम केवल चार आदमियों को अभी तक ऋण मिल पाया है दो साल में ?

श्री रामदेवसिंह : इसमें से 91 सदस्यों को विभिन्न तारीखों को ऋण मंजूर हो गया है, 177 के विचाराधीन है और 8 को अस्वीकृत किया गया है।

श्री शंकरलाल : विचाराधीन 177 बताये हैं आपने, तो उनमें ज्यादातर यह कारण बताया है कि स्टाफ की कमी है और भूमि मूल्यांकन अधिकारी के नहीं होने की वजह से विचाराधीन पड़े हैं तो क्या आप स्टाफ बढ़ान की बात नहीं

(श्री शंकरलाल)
सोचते हैं ? भूमि मूल्यांकन अधिकारी एक और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : किसी तरह से जल्दी निपटारा हो जाय।

श्री शंकरलाल : एक प्रश्न और है कि आप प्रशासनिक शुल्क लेते हैं तो किस किस आधार पर लेते हैं और क्यों लेते हैं ?

श्री रामदेवसिंह : एस० डी० ओ० जाता है उसकी वजह से ले ली जाती है।

श्री शंकरलाल : एस० डी० ओ० को रहने के लिए नहीं कह सकते।

श्री रामदेवसिंह : काम बहुत है।

श्री शंकरलाल : यह कामर्शियल बेसिस पर है और आप शुल्क लेते हैं तो फिर स्टाफ बढ़ाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शंकरलाल : जब आपको शुल्क मिलता है तो एक और भूमि-मूल्यांकन अधिकारी लेने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आपस में समझ लेना। प्रश्न संख्या 743 नेक्स्ट।

श्री विरदाराम फुलवारिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न
(12-5-1971)

उप-खण्ड केकड़ी में धारा 91 के तहत मामले

749. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप-खंड केकड़ी, जिला अजमेर में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के मामले तय किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो कुल कितने तय किये जा चुके हैं और कितने मुकदमें तय करने बाकी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त तहसीलदारों ने काश्तकारों पर 35 गुणा शास्ती लगाई है जिससे काश्तकारों को बहुत अधिक भार उठाना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश प्रसारित किये हैं कि धारा 91 के मुकदमों पर 15 बीघा तक 35 गुणा शास्ती वसूल नहीं की जावे? अगर हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन में रखें।

(4) 15 बीघा तक के 91 मुकदमें अब तक फैसले किये जा चुके हैं और उनसे जो शास्ती वसूल की जा चुकी है उसका क्या होगा और उनको उक्त शास्ती की राशि किस रूप में लौटाई जायेगी ?

(5) उक्त 15 बीघा तक के 91 मुकदमों से अब तक कुल कितनी राशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) दिनांक 31-3-71 तक 17,893 मुकदमें तय किये गये और 6,958 मुकदमें शेष रहे।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) जी हां। नियमानुसार शास्ती लगाई गई है।

(3) आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क')

(4) उक्त आदेश में बताये गये तरीके से उसका समायोजन होगा।

(5) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये).

श्री दबीलाल बुरासिया : आपने प्रश्न के खंड (4) में उत्तर दिया है कि समायोजन होगा तो कब तक। 13-4-71 को आॅर्डर निकाला है इसके बाद में 15 बीघा के अन्दर वाले भूमिहीनों का वसूल किया गया है वह वापिस लौटाया जायेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : परिपत्र में यह स्पष्ट है कि जो भी शास्ती वसूल की गई है वह अगले वर्ष के लगान में एडजस्ट कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

प्रश्न संख्या 756

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 757

श्री परसराम गंगाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह।

स्थगित प्रश्न

(12-5-71)

जवाई बान्ध की डूब में आई भूमि

764. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिसलपुर, तहसील बाली की कुछ खातेदारी भूमि जवाई बांध की डूब में आई हुई हैं ? यदि हां, तो किन-किन खातेदारों की कितनी-कितनी भूमि डूब में आई है ? जिसका कितना-कितना लगान लगता है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ खातेदारों में इस भूमि का लगान बकाया है ? यदि हां, तो कितना-कितना बकाया है ?

(3) क्या सरकार उन काश्तकारों का नियमित रूप से लगने वाला लगान माफ करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विवरण उपरोक्त सूचि में सम्मिलित है।

(3) जिस क्षेत्र में हर साल काश्त होती है। वहां लगान माफ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट '4 देखिये')

Page No 18

श्री पृथ्वीसिंह : यह भूमि किस वर्ष जवाई बान्ध के डूब में आई थी और क्या वह भूमि एक्वायर शुदा है।

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, इसमें एक्वायरशुदा आइटम नं० 1 है और बाकी एक्वायर शुदा नहीं है। डूब में जब से बान्ध बना है तभी से ले ली गई है।

श्री पृथ्वीसिंह : तो क्या इस भूमि का लगान अभी तक बाकायदा लगता है?

श्री गंगाराम चौधरी : लगान लगने का मैंने पहले निवेदन किया है कि जहां पर काश्त होती है, जिस जमीन पर काश्त होती है उसका लगान लगता है।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या इस भूमि में रेग्यूलर काश्त होती है? क्या इस भूमि में काश्त चाही से अलग होती है?

श्री गंगाराम चौधरी : आईटम नं० 1 पर रेग्यूलर काश्त होती है बाकी जिन पर नहीं होती है और जितनी होती है वह मैंने विवरण में दिया है।

श्री पृथ्वीसिंह : लगान आप चाही का किस रूल से वसूल करते हैं। आपने कुए बनाये नहीं हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : सेटिलमेंट में जो लगान की दर निर्धारित है उसी से वसूल किया जायगा।

श्री पृथ्वीसिंह : सेटलमेंट हुआ था पहले और बान्ध बना है बाद में, भूमि एक्वायर हुई है बाद में और पानी भरा है सेटलमेंट के बाद में।

श्री गंगाराम चौधरी : लगान की छूट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के प्रश्न में उल्लेख नहीं था इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुए के कुल 2,011 रुपये है और लगान लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री पृथ्वीसिंह : बाकी 3,400 रुपये में मकान एक्वायर किये गये हैं मकान नीलाम कर दिया तो यह वसूली कैसे होगी?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह देख लेंगे।

श्री केसरीसिंह !

स्थगित प्रश्न

———

(13-5-71)

जोधपुर शहर के पास कृषि फार्म

780. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री नाथूराम मिर्धा का जोधपुर शहर के पास कृषि फार्म है? यदि हां, तो वह फार्म इनके पास कितने सालों से है?

(2) क्या यह सत्य है कि इस फार्म पर खेती के अतिरिक्त सूअर पालन व मुर्गी पालन का कार्य भी होता है?

(3) क्या यह सत्य है कि श्री नाथूराम मिर्धा ने अपने मंत्री काल में एक पुरानी

Page No 19

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

सड़क को जो इनके फार्म में से निकलती थी बन्द करके फार्म के अन्दर ले ली थी ?

(4) क्या यह सत्य है कि उम्मेद सागर की पूर्वी नहर के नीचे की जमीन पर इन्होंने कृषि मंत्री काल में नाजाइज कब्जा करके उसमें मजदूरों के मकान तथा सूअर व मुर्गी पालन के स्थान बना लिये हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि श्री नाथूराम मिर्धा ने अपने फार्म के कुए में जवाई नहर में से अन्दर से पानी ले लिया है ?

(6) क्या यह सत्य है कि श्री नाथूराम मिर्धा के फार्म के कुए का पानी गर्मियों म कम नहीं हुआ जब कि उनके पास के अन्दर कुओं में पानी नहीं रहा ?

(7) क्या सरकार इस सारे घोटाले की जांच कराने को तैयार है ?

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) जी नहीं। श्री नाथूराम मिर्धा के नाम कोई फार्म नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) ऐसा नहीं माना जा सकता।

(6) उनके कुए में पानी रहा है, अन्यों की जानकारी नहीं।

(7) आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में, ऐसा नहीं माना जा सकता, इसका कारण क्या है ?

श्री विजयसिंह : कैसे नहीं माना जा सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके सम्बन्ध म उनके वहां पर जो कुआ है, उसके सम्बन्ध में यह जानकारी की गई थी कि बिजली का खर्च कितना आता है और पम्पिंग हुआ या नहीं क्योंकि मूल आक्षेप में यह था कि 10 लाख गेलन मिर्धा जी के फार्म में लिया जाता है। दस लाख गैलन यदि किसी फार्म में पानी लगायें तो औसतन एक एकड़ के लिए पचास हजार गैलन के करीब पानी चाहिए एक बार, और दस लाख गैलन पानी लिया जाय तो 20 एकड़ जमीन को रोज पानी पिलाया जाय उसके लिए पर्याप्त होगा, जब कि बीस एकड़ कुल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिलाधीश, जोधपुर ने कमेटी बैठाई इस मामले की जांच करने को, उसने रिपोर्ट दी है कि नाथूराम मिर्धा प्रति दिन दस लाख गैलन की चोरी करते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, रिपोर्ट आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने टेक्निकल अधिकारियों से जांच कराई है कि ऐसा होना सम्भव है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिजली कन्जम्पशन के बारे में खासतौर से जानकारी करवाई, कुए से सिंचाई की जाती है तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बिजली का कन्जम्प्शन काफी रेलेवेन्ट हो जाता है। इसके बारे में, बिजली के कन्जम्प्शन के बारे में जानकारी की गई है। पन्द्रह हार्स पावर के तीन इंजिन हैं, साढ़े सात हार्स पावर के दो इंजिन थे, तो साढ़े सात हार्स पावर के दो इंजिन काम में लिये जाते थे, और एक स्टेण्ड बाई रहता था। दो इंजन काम में लिय जाते हैं, उनको छः घण्टे चलाया जाय तो 2·14 यूनिट के करीब खर्च आयेगा, इससे एवरेज एक साल भर का निकाला जाय तो 2,300, 2,400 और 2,600 के आस पास प्रति बर्ष में औसत आता है। इसका मतलब होता है, आठ घण्टे के करीब औसत चले, जिसमें कुछ महीनों में ज्यादा हैं, कुछ में कम हैं, ऐसे इंजिन चलन से एक लाख गैलन के करीब औसत होता है, जब कि दस लाख लिया गया बताया है। इस कुए से पानी लिया गया है, यह पम्प के कन्जम्प्शन से मालूम होता है। मने कहा, यह फेक्टर सामने है, इससे अन्दाज लगायें। एक चीज। दूसरे यह कि जो वाटर गेज एक्जामिन किया जाता है, जहां पर चेंकिंग की जाती है, वह एक पुरो नामक जगह है, उस जगह फिगर लिये जाते हैं, वहां से पानी कितना जा रहा है, और उसके बाद तरुत सागर में जाता है, उसका जो डिफरेन्स आ जाय, उसमें मान लीजिये, शुरू से गया तो पहले तो उसके बीच में आठ मील में कहीं ओपन चैनल है, कहीं क्लोज चैनल के तौर पर हैं, तो आठ मील का डिस्टेन्स आता है, उसमें जितनी शार्टेज हो जाय, मान लीजिये, जो भी शार्टेज हो जाय तो वह शार्टेज का उनके फार्म में चला गया यह मानने का कोई कारण नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है, आप दो इंजिन की बात कह रहे हैं, उसमें से जब चोरी हो रहा था पानी, उस समय एक इंजिन लगा हुआ था, उसके बाद कुआ बोरिंग किया गया और उसके बाद तीन इंजिन लगाये गये हैं। जब तक चोरी होती रही, एक इंजिन लगा हुआ था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं, 1967 में भी यह था, यह 1969 के अन्दर सवाल खड़ा हुआ है, 1967 का एवरेज पावर कन्जम्प्शन है 2 हजार 848 यूनिट आता है, 1968 में 2,394 यूनिट आता है, 1969 में 2,622 आता हैं और 1970 में 2,692 आता है, बोरिंग और विदाउट बोरिंग, पहले के फिगर्स में बड़ा डिफरेन्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इंजिन के बारे में पूछ रहा हूं तीन इंजिन लगे हुए हैं यह कहा। क्या यह सही है कि पहले एक था, उसके बाद चोरी वाला पानी लेते थे, वह रोक दिया गया, उसके बाद में कुआ बोरिंग किया गया और उसके बाद दो इंजिन और लगाये गये—यह तथ्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह डिटेल्स मुझे नहीं मालूम। पावर कन्जम्पशन, और कितना पानी कुए में अवेलेबल है—इसको चीफ इंजीनियर को भेज कर चैक अप करवाया था, तो पानी का कन्जम्पशन, पावर के यूटीलाइजेशन को देखते हुए जो एवरेज वर्क आउट होता है, वह यह है। आप कहा कि 1969 के बाद बोर करवाया तो 1969 के पहले और बाद के पावर कन्जम्पशन के बीच में बहुत अन्तर नहीं है।

श्री भैरोंसिह : पावर कन्जम्पशन का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न नहीं है। उस कुए में कितना पानी था, जिस समय तक यह चोरी रोकी गई, उस समय पानी कुए में कितना अवेलेबल था—इसकी जांच करवाई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहां पर गये तो उस वक्त में उस कुए के अन्दर 40 फीट वाटर की डेप्थ–उनके सामने वहां पर आई, और जो उनकी जानकारी थी, अब डेप्थ थी कुए की 110 फीट और डिफरेंन्स आफ वाटर की डेप्थ और कुएं की डेप्थ–वह आता है 40 फीट ।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ।

श्री भैरोंसिह : यह क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन दूसरा था । मेरा क्वेश्चन यह था कि पानी की केपेसिटी कितनी थी, जो बिजली का आप बता रहे हैं वह बिजली का तो सुन लिया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा, वाटर 40 फीट था, वाटर डेप्थ उसमें और थी जो चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट दी है ।

श्री भैरोंसिह : कब का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डेटेड 20 दिसम्बर, 1969 ।

श्री भैरोंसिह : मैं यही कह रहा हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह डिस्पयूट नवम्बर का है ।

श्री भैरोंसिह : नवम्बर का नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कलेक्टर की रिपोर्ट है वह नवम्बर की है, 69 नवम्बर ।

श्री भैरोंसिह : क्लेक्टर ने रिपोर्ट दी है, उस समय के बाद बोरिंग हुआ, उसके बाद वाटर केपेसिटी ज्यादा बढ़ी है–यह तथ्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं, जो क्लेक्टर की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट है 17 नवम्बर की, तो उन्होंने चेक अप किया है 17-11-69 को और यह दिसम्बर का मैंने फिगर दिया है, दिसम्बर, 1969 ।

श्री भैरोंसिह : मेरा क्वेश्चन दूसरा है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट है वह दिसम्बर, 1969 की है ।

श्री भैरोंसिह : मेरा क्वेश्चन है, क्या वह सही है, जिस समय कलेक्टर ने सारे मसले की जांच की थी उस समय कुआ बोरिंग नहीं हुआ था और सिंचाई के लिए जितना पानी चाहिए था उतना पानी नहीं था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कलेक्टर की रिपोर्ट में, कुए में पानी उपलब्ध नहीं है, एसा जिक्र नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ।

श्री भैरोंसिह : मेरा क्वेश्चन यह था, मैं पूछना चाहता हूं, पानी था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ।

श्री विजयसिंह : मैं आपको......

श्री भैरोंसिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री शंकरलाल : क्वेश्चन अवर में क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की रिपोर्ट में रेफरेन्स दिया है, यह मामला पेचीदा है, इसलिए मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री ने जिस कलेक्टर की रिपोर्ट के बारे में कहा है, वह सदन की मेज पर रखदें। उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इन्जीनियर ने जो जॉच की है, वह सदन में पेश कर दी जाय ताकि वास्तविकता का पता लगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कलेक्टर की रिपोर्ट को सदन में रखने की आवश्यकता नहीं समझता, यह प्रिविलेज्ड डाकूमेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : चोरी का डाकूमेन्ट प्रिविलेज्ड कैसे हो गया, कलेक्टर की चोरी की रिपोर्ट कैसे प्रिविलेज्ड डाकूमेन्ट हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चोरी की रिपोर्ट का यहां प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रेस नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : चोरी के मसले की रिपोर्ट है, वह प्रिविलेज्ड डाकूमेन्ट कैसे हो गई।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जिस डाकूमेन्ट का रेफरेन्स दिया गया है, उसमें क्या लिखा है—यह जानना हमारा प्रिविलेज है, इसलिए मुख्य मंत्री को इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना चाहिए ताकि मालूम हो सके, क्या लिखा है और किस तरह की बात है।

श्री अध्यक्ष : वह ठीक है, माननीय सदस्य, अगर माननीय मुख्य मंत्री प्रिविलेज क्लेम करते हैं, तो मेरे पास....

श्री रामकिशन : प्रिविलेज है नहीं।

श्री दौलतराम सारण : प्रिविलेज नहीं है।

श्री रामकिशन : यह प्रिविलेज नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : प्रिविलेज है या नहीं—यह निर्णय देना आपका काम है।

श्री अध्यक्ष : सदन की व्यवस्था यह है कि प्रेस करने का मेरे पास अधिकार नहीं है।

श्री रामकिशन : आपके पास अधिकार है। मुख्य मंत्री एसे गम्भीर मामले में प्रिविलेज क्लेम करके कह दें और मामले को दबाना चाहें तो आपका अधिकार है, वह सदन के सामने आनी चाहिए। जब वह कुछ तथ्यों को स्वीकार करते हैं तो उसको रखने में क्या एतराज है। उनको रखनी चाहिए ताकि हम अध्ययन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : दो रिपोर्ट का जिक्र किया......

Page No 23

श्री रामकिशन : चीफ इंजीनियर की और कलेक्टर की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वह सब कुछ है, लेकिन मुख्य मंत्री नहीं रखना चाहते हैं और प्रिविलेज क्लेम करते हैं, तो मेरे पास अधिकार नहीं है, I cannot press.

श्री दौलतराम सारण : यह डिसाइड करना आपका अधिकार है ।

श्री रामकिशन : हम भी प्रिविलेज क्लेम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : सदन की व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन किया है......

श्री रामकिशन : निर्णय देना आपके अधिकार सीमा में है ।

श्री विजयसिंह : मैं पानी के लिए बता देना चाहता हूं......

श्री केसरीसिंह : हाउस का प्रिविलेज सुप्रीम होता है, अध्यक्ष महोदय, हाउस चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज सुप्रीम है, लेकिन मेरा काम उससे सुप्रीम है या नहीं, मेरे पास दूसरी व्यवस्था नहीं है कि मैं किसी मिनिस्टर को प्रेस कर सकूं ।

श्री विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं.. ...

श्री मदनसिंह : मिनिस्टर के सम्बन्ध में नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष के सम्बन्ध में है ।

श्री विजयसिंह : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, इस कुएं को जब नाथूराम मिर्धा ने लिया था उसके पहले इसमें पानी नहीं था, बिल्कुल नहीं था । मैं वहां पढ़ा हुआ हूं स्कूल में, तब मैं पत्थर फेंका करता था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री विजयसिंह : यह पानी कैसे आ गया इतना, इसका मतलब साफ है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल 288 इस पर क्लियर है:—

"288. Papers quoted to be laid on the Table....If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest."

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस तरह वह पब्लिक इन्टरेस्ट के खिलाफ होगी बल्कि वह पब्लिक इन्टरेस्ट में होगा ।

Page No 24

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रूलिंग देना आपका काम है। नेक्सट प्रोवीजो है:—

"Provided further that where Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

तो जिस्ट ले लें, वह भी उन्होंने नहीं दी।

श्री रामकिशन : यदि नाथूरामजी के घोटाले को दबाने के लिए प्रिविलेज रखना चाहते हैं तो रखो बाकी प्रिविलेज तो नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल : पब्लिक इन्टरेस्ट में रखना है या नहीं, मुख्य मंत्री बता दें।

श्री विजयसिंह : प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रीजी को दबा रखा है, मुख्य मंत्री ने अध्यक्षजी को दबा रखा है।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्षजी नहीं दबते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने नियम साइट किया है। उसी नियम के प्रोवीजो में उसका उत्तर है "पब्लिक इन्टरेस्ट"। इस सदन की व्यवस्था माननीय सदस्यों को पढ़कर सुनाता हूं। एक व्यवस्था है:—

"माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि जो रिपोर्ट डी० आई० जी० पी० रेंज ने सरकार को दी है इस घटना के सम्बन्ध में, उसको सदन की मेज पर रखा जाय। इस बारे में मंत्रीजी ने विस्तार से कहा है कि वे इसे क्यों नहीं पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वे प्रिविलेज क्लेम करते हैं। प्रिविलेज क्लेम करना उचित है या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्यों ने विभिन्न तरीकों से कहा, सारी बातें स्पष्ट की और कहा कि इस दस्तावेज को सदन की मेज पर रखना चाहिए। इस पर भी यदि प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो उनको रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।" जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि म सरकार को फोर्स करूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री दौलतराम सारण : वह व्यवस्था जिस संदर्भ में दी गई होगी वह सारे तथ्य हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप किसी व्यवस्था पर किसी भी समय पुनः विचार कर सकते हैं और दुबारा व्यवस्था उस सम्बन्ध में दे सकते हैं और व्यवस्था से पहले नियम बहुत स्पष्ट है। नियम के संदर्भ में आप व्यवस्था को रिवाइज कर सकते हैं, नई व्यवस्था दे सकते हैं, इसके लिए आप पूर्णतः सक्षम हैं और यह पब्लिक इन्टरेस्ट में है इस तरह को रिपोर्ट सदन में आना।

श्री अध्यक्ष : नियम 288 जो माननीय सदस्य ने साइट किया है, वह स्पष्ट है :

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table."

Page No 25

(श्री अध्यक्ष)

It is at the option of the Minister, if he cites.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आब्लीगेटरी है। The word is "shall".

श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री रामानंद अग्रवाल : "shall" लिखा है।

श्री मदनसिंह : एक तो साबित हो गया कि कुछ न कुछ घोटाला है। न बताने का मतलब घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :"

"Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

दोनों पोजीशन्स हैं अगर वह एक प्रिविलेज क्लेम करते हैं, इसी सदन की व्यवस्था आपके सामने रखी। मेरे पास अधिकार नहीं है कि उनको बाध्य करूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्री जी चोरी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रिविलेज तब क्लेम कर सकते हैं जब वह डाक्यूमेंट पब्लिक इन्टरेस्ट के अन्दर हो :

"Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :"

कम से कम जब मुख्य मंत्री जी प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं इस दस्तावेज के बारे में तो आप सदन को संतुष्ट करने का प्रयास करें कि पब्लिक इन्टरेस्ट में प्रोड्यूस करना आवश्यक नहीं है। जिस रूलिंग की आपने व्याख्या की है जिस रूलिंग को आपने सदन में रखा है वह कोई डी० आई० जी० की सिक्रेट रिपोर्ट होगी, इन दी इन्टरेस्ट ऑफ पब्लिक रखने की जरूरत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कई बार विवाद का प्रश्न रहा है। विवेचन व विश्लेषण हो चुका है। अब प्रिविलेज क्या है। I cannot force the Chief Minister and say that the privilege claimed is not correct.

श्री रामानंद अग्रवाल : मुख्य मंत्री यह प्रिविलेज शायद पार्टी के इन्टरेस्ट में क्लेम कर रहे हैं। Let him say so.

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगर आज मुख्यमंत्री किसी प्रकार से प्रिविलेज क्लेम करना चाहते हैं तो सदन के कम से कम....

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज क्लेम करना उचित है या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

Page No 26

श्री मदनसिंह : तो फिर हम भी अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल करेंगे, जो चाहेंगे सुनायेंगे, हमारा भी कोई प्रिविलेज है, क्या वह शुरू कर दें ? We want that he should produce the document.

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। जो आप कहते हैं वह पक्का है। लेकिन आज इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए कल कोई मंत्री किसी डाक्यमेंट का सहारा लेकर प्रिविलेज क्लेम कर देगा। आसन को देखना है कि प्रिविलेज क्लेम करने का अधिकार है या नहीं। इसको साबित करना पड़ेगा कि पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं रखना चाहते। जैसा यह केस है, पानी की चोरी हुई। पीने का पानी जोधपुर जाता है, वह वहां न पहुंच कर नाथूरामजी के फार्म में गायब हो जाता है। हमारा आरोप है कि गायब किया गया है। कलेक्टर ने जांच की है। वाटर वर्क्स अधिकारियों ने कलेक्टर को शिकायत की और उस आधार पर कलेक्टर ने सारी जांच करके रिपोर्ट दी। It cannot be a document in the Public interest, जिसको आप चुपचाप रखना चाहते हैं यह सदन की मेज पर आना चाहिए, यह कोई राजस्थान के बोर्डर का सवाल नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पंचों का हुक्म सर माथे पे, पर नालों तो जहां का तहां पड़ सी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कान्स्टीट्यूशनल और लीगल व्यवस्थाओं का सवाल रहा है। कई बार विवेचन किया जा चुका है। मुझे एक भी व्यवस्था की जानकारी नहीं हुई कि जिसके अनुसार मैं कहीं मंत्री को बाध्य कर सकूं। फिर भी अगर इस लीगल पोजीशन पर पुनः विचार के लिए अगर आप कोई साइटेशन दे सकें तो मैं रीकन्सीडर कर सकता हूं, किन्तु इस स्थिति पुनः ममुख्य मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खुद देश की प्रधान मंत्री ने कहा है कि जुडीशियरी को पब्लिक ओपीनियन के कान्सिस्टेंट भावनाओं का ख्याल रखते हुए जुडिशियल प्रोनाऊंसमेंट्स करना चाहिए तो आप भी आसन की पुरानी प्रोनाउन्समेन्ट्स से बन्धे हुए नहीं हैं। इस सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुराने निर्णयों पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उसको उलटने का सवाल नहीं है। यह बिल्कुल इम्पार्टेन्ट और डेलीकेट मेटर है, whether I can question a privilege and find out the details of the privilege. ऐसा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रिविलेज क्लेम किया है, उस पर कोई डिस्पयूट नहीं करता, लेकिन मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस डाक्यूमेन्ट का प्रोडक्शन इकन्सिसटेन्ट विथ पब्लिक इन्टरेस्ट समझते हैं या नहीं। अगर उनको उत्तर नहीं देना हो तो इसमें मेरे ख्याल से दाल में काला है, अगर उत्तर देना है तो दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीविलेज क्लेम किया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा सीधा सादा प्रश्न है........

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इतना महत्व-पूर्ण सवाल है........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हो रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता हैं और उनको सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बहुत सीधा सादा सवाल पूछा है इनकन्सिसटेन्ट विथ दी पब्लिक इन्ट्रेस्ट में किया है। आप उत्तर नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : डॉक्यूमेन्ट्स हाउस की टेबल पर न रखिये....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ। जीरो आवर इज ओवर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह फार्म श्री नाथूरामजी मिर्धा के लड़के के नाम पर है और बिजली के बिल सब नाथूराम जी मिर्धा के नाम से हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह फार्म उनके लड़के के नाम पर है यह सही है। बिजली के बिल उनके नाम पर हैं इसकी जानकारी मैं कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : और किसी के नाम का बिल लाकर बता दें। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री नाथूराम मिर्धा ने पानी की चोरी की। मुख्य मंत्रीजी को क्या अधिकार है कि चोरी की रिपोर्ट को अपने पास रखलें और पुलिस में रिपोर्ट न करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास जो रिपोर्ट भेजी गयी, दस लाख गेलन पानी की चोरी की रिपोर्ट होती है मेरे पास ऐसी जानकारी आती है तो एक्जामिन करना तो मेरा फर्ज है।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्ट आपको पुलिस में भेजना चाहिये था। मुख्य मंत्रीजी को कौनसे कानून में अधिकार मिला है कि वह अपने पास रखे। चोरी का मामला है।

श्री दौलत राम सारण : जिस कलेक्टर ने गलत रिपोर्ट दी और पोलिटिकल लीडर के केरीयर को डेमेज करने की कोशिश की उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस सम्बन्ध मे कलेक्टर से पूछना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप दोनों घोड़ों पर सवारी रखते हैं। अधिकारी गलती करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं और कोई चोरी करता है तो उसको भी छिपाना चाहते हैं और उसको बचाना चाहता है। यह दोनों बातें नहीं चल सकती हैं नाथूरामजी मिर्धा दोषी हैं तो कार्यवाही करनी है और दोषी नहीं हैं तो कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करनी है। आपको सारे रिपोर्ट और कागजात हाउस की टेबल पर रखने चाहिये

(**श्री दौलतराम सारण**)

जिसको हम रखवाना चाहते हैं। इसमें बड़ा भारी षड़यन्त्र है, अध्यक्ष महोदय, या तो कलेक्टर कुछ लोगों से मिला हुआ होगा या अध्यक्ष महोदय, नाथूरामजी मिर्धा के खिलाफ इसमें मुख्य मंत्रीजी ने गलत रिपोर्ट करवाई होगी कलेक्टर से ताकि उनके पोलिटिकल केरियर को डमेज किया जा सके और उनको दबाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत होनी चाहिये। यह मुख्य मंत्री जी राज नेताओं के खिलाफ किस प्रकार प्रशासन को यूज करते हैं और किस प्रकार से उनके चरित्र का हनन करते हैं, यह मुख्य मंत्रीजी के बयान से ही साबित है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने रिपोर्ट करवायी या नहीं, यह तो आप स्वयम् जानते हैं।

श्री दौलतराम सारण सदन जानना चाहता है वह क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नाथूराम जी दोषी नहीं हैं आपके कहने से मैं कह सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : नाथूरामजी दोषी हों या न हों, आपके घोटाले किये हुए हैं वे सामने आयेंगे। नैतिक साहस हो तो आप उस रिपोर्ट को सामने रखिये।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बहुत रीपीट हो चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट की है, उसने स्वयम् ने कोई कांग्नीजेन्स नहीं लिया है बल्कि वाटर वर्क्स के असिस्टेन्ट इन्जीनियर की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां पर था उसने टोटल लास ऑन स्टेशन पर होने का बीच का उसने दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स इन्जीनियर की शिकायत को आधार बना कर जिलाधीश ने पानी की चोरी के बारे में जांच की थी ? क्या यह सही है कि शिकायत होने पर कि वाटर वर्क्स के पानी की चोरी हो रही है मौके पर जाकर देखा कि साईफन लगा हुआ था इसीलिये उसने रिपोर्ट की ? यह सही है तो दुबारा जांच उनसे न करवा कर आपने बालाबाला जिलाधीश से क्यों करवायी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा सीरियस है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चोरी को दबाने की कोशिश की है मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री दौलतराम सारण : टेक्निकल लोगों ने रिपोर्ट की थी। कलेक्टर ने क्या जांच की और कलेक्टर ने उनकी जांच को सही बताया, फिर दूसरे अधिकारी

(श्री दौलतराम सारण)

से जांच करवायी गयी तो किन आधारों पर टेक्निकल अधिकारियों की रिपोर्ट को गलत साबित किया ? क्या रिलेवेंट डेटाज हैं, क्या तथ्य हैं ? क्या ये सामने नहीं आ सकते हैं ? कलेक्टर की रिपोर्ट, इन्जीनियर को रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट, गम्भीर मुद्दा इन्वोल्व्ड है । वाटर वर्क्स के इन्जीनियर को टेक्निकल रिपोर्ट, उन्होंने या तो नाथूरामजी मिर्धा के खिलाफ गलत रिपोर्ट की और सही की है तो सदन की मेज पर रखिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बार बार रिपिटिशन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी प्रश्न हैं ।

श्री दौलतराम सारण : एक्शन क्यों नहीं लिया ? और गलत रिपोर्ट नहीं की तो चोरी की रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं नाथूराम जी मिर्धा के खिलाफ करायी ?

यह साधारण मसला नहीं है मुख्यमंत्री जी इसको टरका कर नहीं चल सकते ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मुख्यमंत्री यह नहीं समझते हैं कि पानी की चोरी एक क्रिमिनल ओफेन्स है समायत अदालत हैं तो क्यों नहीं सुपुर्द करते हैं ? प्रिविलेज का कौनसा क्वश्चन है ? कलेक्टर की रिपोर्ट को प्रिविलेज का प्रश्न कह ही नहीं सकते । एक आदमी चोरी करता है तो उसको सजा दें । मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं काबिल समायत अदालत समझते हैं ?

श्री किशन लाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । उत्तर आने दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पानी के शोर्टेज होने की बात जरूर उनके सामने आयी थी और हम स्वयं विचार कर रहे हैं कि चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के अनुसार 8 माइल्स के बीच में शोर्टेज होगी, 10 लैक्स और वाट एवर इट में वो किस प्रकार शार्टेज होगी इसकी मैं जानकारी करूंगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अधिकारियों को दबाया जा रहा है ......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप...

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें ।

श्री शाह : कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है—

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री विश्नोई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक अर्ज कर दूं कि शार्टेज किस कारण से है । जहां से पानी पूरी की हौद से निकलता है एक गवर्नमेंट की मशीन लगी हुई थी अकाल में पानी देने के लिये और उससे टंकी भरती थी । यह सही है । दूसरा, मेरे क्षेत्र में यह पड़ता है । सब जगह खारा पानी है ट्रेक्टर टंकियां भरते हैं और

Page No 30

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

टैंक भरने के लिये काफी पानी ले जाते हैं।

टांके भरने के लिये काफी पानी लिया जाता है। दूसरा सवाल जैसा कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी पहले इन कुओं में नहीं था, लेकिन अब सब कुओं में पानी दिखता है। पहले ढेढ़ मील दूर के कुओं में पानी नहीं था। अब वहां 5 इंच का नल 12 मास चलता है। 100-150 कुओं का पानी ऊपर आया है। तख्तसागर बान्ध बनाया है, उससे अन्डर ग्राऊन्ड पानी ऊपर आया है और वहां से अनाप शनाप पानी निकला है।

श्री भैरोंसिंह : 1969 से पहले जब तक कुओं में बोरिंग नहीं कराया था उस वक्त कुओं में पानी की कमी नहीं थी क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पानी की कमी नहीं है। तख्तसागर बान्ध बना है वहां पर 10 मील एरिया में अनाप शनाप पानी निकला है। अन्डर ग्राऊन्ड पानी ऊपर आया है और बहुत सारे इलाके में आया है। यह आप देख सकते हैं। मैं तो उसी क्षेत्र से हूं। मुझे मालूम है।

श्री किशनलाल शाह (नांवा) : मुख्य मंत्री ने दो रिपोर्ट्स का हवाला दिया। एक कलेक्टर की रिपोर्ट है और एक चीफ इंजीनियर, वाटर वर्क्स की रिपोर्ट है। कलेक्टर की रिपोर्ट का हवाला डाइरेक्ट ऐवीडेन्स पर निर्भर है, चोरी होती है और चीफ इंजीनियर से जो रिपोर्ट मांगी है वह हालात बदलने के बाद राऊंड अबाऊट पब्लिक ऐविडेंस ही है। इसलिये हाऊस के सामने दोनों रिपोर्ट्स आ सकती हैं। रिपोर्ट डाइरेक्ट ऐविडेन्स और दोनों सब्सीक्विन्ट हालत में सब्सीक्विन्टली ऐविडेंस है इसलिये रिपोर्ट को पेश कराना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री मदनसिंह (दांता) : मुख्य मंत्रीजी ने निवेदन किया दुबारा जांच कराई... तो जब कलेक्टर की जांच आ गई थी, मिर्धा साहब ने फिर दुबारा जांच के लिये कहा था। यह दुबारा जांच क्यों हुई ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मानकर कि सरकार की ऐसी मंशा है यदि कोई कांग्रेस का नेता चोरी कर लें तो उसे थाने में भेजने की आवश्यकता नहीं, उसके खिलाफ ऐक्शन लेने की आवश्यकता नहीं चाहे जोधपुर की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि करती रहे और जानकारी मिलने के बाद सन् 1969 में मुख्य मंत्री जी के कहने के अनुसार रिपोर्ट मिलगई उस रिपोर्ट को आज तक दबा कर बैठे रहे। बिजली का बिल लड़के के नाम पर है या पिताजी के नाम पर है इसकी आपको कोई जानकारी नहीं। प्रिविलेज डाक्यूमेंट क्लेम करके बताने से इन्कार कर दिया। मेरी मान्यता है कि राजस्थान की सरकार के लिये यह कोई प्रिविलेज नहीं है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं चाहूंगा उसे मुख्य मंत्रीजी जांच के लिये नियुक्त कर दें या तो नाथूरामजी निर्दोष सिद्ध होंगे तो उनके आचरण का सही पता लग जायगा और जो दौलतराम जी ने इस सारे मसले को इस तरह से रखा है उनका भी पता लग जायगा। यदि सही अध्यक्ष के स्टेन्डर्ड को बताना चाहते हैं तो आपत्ति नहीं है लेकिन अगर कोई छोटा

(श्री भैरोंसिंह)

व्यक्ति चोरी कर लें तो गृह मंत्री जी उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जोधपुर की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि करती रहे और आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पानी की चोरी करते रहें और आप केवल राजनैतिक तौर पर नेता को बचाने के लिए बात कहें यह दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। इस प्रकार का अन्याय राजस्थान में होता रहा है। मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं और मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यदि नाथूराम जी की चोरी को बचाने की कोशिश की तो हम इसे अदालत में ले जायेंगे और वहां साबित करेंगे ....

(मा० सदस्य का अपने दल-
सहित बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पानी की चोरी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोधपुर की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि करे—पानी की कमी हो और आपका कलेक्टर, आपका वाटर वर्क्स कोई काग्निजेन्स नहीं ले बल्कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया—जनता में–वाटर वर्क्स में इस तरह की चोरी हो रही है, मौके पर जाकर पकड़वाया तब जाकर काग्निजेन्स लिया और तब रिपोर्ट आई। मैं समझता हूं चोरी करने वाला कोई भी पालिटिकल लीडर हो, कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हो–चोरी करता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय।

(कई मा० सदस्यों द्वारा व्यवधान-
करने पर अश्रव्य)

यह बिलकुल अनुचित है उसको सरकार दाब कर बैठ जाय। मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से वाक आउट करता हूं।

(मा० सदस्य का सदन
से बहिर्गमन)

(कई मा० सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : बाहर जाना चाहे उसे निपट लेने दीजिये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 66 में आया है शुरू में। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी का जो आचरण है वह उनके दल के लिये अच्छा हो सकता है लेकिन नाथूराम जी के लिये और जनता के लिए बिलकुल अनुचित है। राजस्थान के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर चोरी का आरोप लगे और मुख्य मंत्री जी उसको दबा दें यह जनहित में नहीं है। मैं और मेरा दल विरोध प्रकट करते हुए सदन से वाक आउट करते है।

मा० सदस्य का अपने दल के-
सदस्यों के साथ बहिर्गमन)

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि कानून सब लोगों के लिए लागू हो सकता है लेकिन कांग्रेस के लिए कानून बिलकुल नहीं हो सकता। जो आज चर्चा हुई है उससे मुझे यह बिलकुल विश्वास हो गया है कि मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो उत्तर दिया है वह केवल लीपापोती ही नहीं है बल्कि अन्याय की पराकाष्ठा है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(मा० सदस्य का अपने दल-
सहित सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होगा। वाक आउट करना चाहे तो कर लें।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं समाजवाद का तो नारा लगायें और फिर रूल्स में भी जनता को बराबर न करें। पैसा बराबर न दें, कपड़ा बराबर न दें। पर न्याय भी बराबर न दें। नाथूरामजी ने कभी दरख्वास्त नहीं दी दुबारा जांच के लिये। इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(मा० सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री रणजीतसिंह : जो चोरी का मामला उठाता है। पानी आता है। वह तो पाली होकर जोधपुर को जाता है बीच में जहां कहीं पानी की किल्लत है–गांव वाले बीच में पानी देते हैं–(व्यवधान शोरगुल) सब जगह खारा पानी है।

... नाथूरामजी हैं इसलिए आप......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

नगर विकास न्यास, जयपुर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

174. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के किस किस नगर विकास न्यास द्वारा अब तक कौन सी नगर पालिका की जो स्कीमें बनाकर चालू की गई हैं, उनमें अनूसुचित जाति व जन-जाति के कितने व्यक्तियों को प्लाटों पर कब्जा कराया गया है ?

(2) राज्य के किन किन नगर विकास न्यासों में अनूसूचित जातियों के सदस्य नामजद किये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सच है कि नगर विकास न्यास, जयपुर का सरकार द्वारा पुनर्गठन करके अध्यक्ष व कुछ नये सदस्यों को नामजद किया गया है ? यदि हां, तो कब व उनमें अनूसूचित जाति का सदस्य नामजद नहीं कियें जानें का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा नगर-पालिकाओं की भांति नगर विकास न्यासों में भी अनूसूचित जातियों व जन-जातियों का एक एक सदस्य नामजद करने की नीति तय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(5) क्या यह भी सच है कि नगर विकास न्यास जयपुर ने अब तक जिन स्कीमों में अनूसूचित जाति के लोगों को प्लाट दिये हैं उनमें से अधिक को कब्जा नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगापुर, जयपुर जोधपुर व उदयपुर, के प्रत्येक नगर न्यासों में अनुसूचित जाति । जन-जाति के सदस्य नामजद किये गये हैं ?

(3) जी हां, जयपुर नगर न्यास का पुनर्गठन दिनांक 6-1-70 से किया गया तथा अध्यक्ष व सदस्यों को नामजद किया गया । अनुसचित जाति के सदस्य श्री रामजीलाल खराडियां को दिनांक 26 मार्च, 71 को मनोनीत किया गया क्योंकि राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम में अनुसूचित जाति । जन-जाति का सदस्य अनिवार्य रूप में होने का संशोधन दिनांक 10-12-70 को किया गया है ?

(4) जी हां । नगर न्यासों में एक सदस्य अनुसूचित जाति । जन-जाति का नामजद करने हेतु निर्णय लिया जा चुका है ।

(5) जी नहीं । जयपुर नगर न्यास द्वारा कुल 410 भू-खन्ड अनसूचित जाति । जन-जाति को आवंटित किये जिनमें से 393 भू-खन्डों का अधिपत्य दिया जा चुका है।

स्थगित प्रश्न

(28-4-71 व 12-5-71)

यादगार तथा पुरानी हाईकोर्ट की इमारतों की घड़ियां

517. **श्री दुर्गालाल बाददार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर में यादगार की इमारत तथा पुरानी हाईकोर्ट की इमारत के ऊपर जो क्लाक लगे हुए हैं वे कब से बन्द पड़े हुए हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें चालू कराने का ईरादा रखती हैं ?

उत्तर

(1) यादगार क्लाक का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं हैं। पुराना हाईकोर्ट भवन का क्लाक लगभग 15 वर्ष से बन्द है।

(2) पुराना हाईकोर्ट भवन का क्लाक चालू कराने की अभी कोई योजना नहीं हैं।

स्थगित प्रश्न

(12-5-71)

भीनमाल में मकानों के लिए दी गई भूमि

743. **श्री बिरधाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले दो सालों में नगरपालिका भीनमाल क्षेत्र में सरकार द्वारा सस्ती दर से कुछ व्यक्तियों को रिहायशी मकानों के लिये जमीन के पट्टे दिये जाने के आदेश दिये हैं ? अगर हां, तो ऐसे पट्टों की सूचि मय व्यक्ति के नाम दिलाने की कृपा करें ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि नगरपालिका भीनमाल ने ऐसी नीची दर से पट्टे देने के बारे में एतराज किया था अगर हां, तो एतराज को न मानने के क्या कारण हैं ? क्या इस प्रकार के एक मामले में नगर पालिका भीनमाल ने हाईकोर्ट में रिट भी की हैं ? अगर हां, तो कब व किसके विरुद्ध ?

(3) उपरोक्त पट्टे सरकार द्वारा किन नियमों के तहत किस किस दर से देने के आदेश दिये हैं ?

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पट्टे दिए जाने का हुक्म देने से नगरपालिका को हजारों रुपयों की हानि होने की संभावना है? अगर हां, तो यह पट्टे क्यों दिये गये हैं?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पट्टे दिए जाने में हजारों रुपयों की गड़बड़ व घोटाले हैं? अगर हां, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

(6) उपरोक्त पट्टे दिये जाने वाली आबादी भूमि की मौजूदा बेचान दर क्या है और इतनी नीची दर से उपरोक्त पट्टे दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमि सस्ती दर पर विक्रय नहीं की गई, बल्कि पुराने कब्जों की भूमियों को नगरपालिका, भीनमाल जिलाधीश जालोर अथवा निदेशक, स्थानीय निकाय की, अभिशंसा के अनुसार सरकार द्वारा वाजिब दर पर नियमित किया गया।

निम्नलिखित व्यक्तियों के पास उनके पुराने कब्जों की भूमि को वाजिब दर पर प्रिमियम लेकर नियमित किया गया।

1. समरथमल फूलचन्द वास्ते बावली देवी वाईफ समरथमल
2. केशरीमल देवकरण
3. सोहनराज अचलाजी
4. श्री सुमेर मल मिश्रीमल बाफना

(2) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता जी हां। अभी दिनांक 30-3-71 को नगरपालिका भीनमाल ने देवकरणकेसरीमल के मामले में रिट प्रस्तुत की है। रिट याचिका की प्रतिलिपि अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है अतः इसके विरुद्ध जानकारी नहीं है?

(3) उपरोक्त चारों मामलों में पुराने कब्जों का नियमन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 285 (ए) व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 95 (5) के अधीन निम्न दरों पर किये गये हैं:—

(1)	श्री समरथमल फूलचन्द प्रतिवर्ग गज वास्ते बावली देवी धर्म पत्नी समरथमल	0.50 पै०
(2)	श्री केसरीमल देवकरण	0.21 ,,
(3)	श्री सोहनराण अचला जी	2.00 ,,
(4)	श्री सुमेरमल मिश्रीमल ब्याज 6 प्रतिशत 1971 से	0.25 ,,

(5) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(6) नजूल समिति द्वारा निर्धारित वर्तमान दरें निम्न प्रकार है:—

(1)	क्षेत्र जिसमें समरथ मल फूलचन्द-बावली देवी धर्म पत्नी समरथमल को दिया गया भू-खन्ड है।	0.50 पै०
(2)	श्री केसरीमल देवकरण	7.00
(3)	श्री सोहनराणअचलाजी	2.00
(4)	श्री सुमेरमल मिश्रीमल	15.00

Page No 35

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उपरोक्त भू-खण्डों का विक्रय पुराने कब्जों के आधार पर किया गया है तथा कोई नये भू-खन्डों को आंवटित नहीं किया गया हैं।

स्थगित-प्रश्न

(12-5-71)

बकानी-भालता सड़क

756. श्री प्रेमसिह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में बकानी से भालता जो कच्ची सड़क जाती है, उसे ग्राम भालता के पास के दो मील के टुकड़े को पिछले 12 महीनों में पक्की बनवायी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इन दो मीलों को इस सड़क पर पक्का बनवाने की मंजूरी कब दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क पर ये दो मील की पक्की सड़क बिना मन्जूरी के ही बनवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सहायता आयुक्त द्वारा दिनांक 5-4-69 को काम कराने की स्वीकृति दी गई थी ।

(2) जी नहीं ।

स्थगित-प्रश्न

(12-5-71)

अजमेर नगरपरिषद् की दुकानें व गोदाम

757. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर परिषद् में पड़ाव-धानमंडी में कितनी दुकानें व अनाज गोदाम कितनी 2 लागत में बनवायें हैं व किस किस को एलॉट किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) अजमेर अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा स्टेशन रोड पर किस किस को दुकानें नीलाम में दी हैं और कितनी कितनी रकम में तथा किस किस को दुकानें एलॉट की गई हैं और कितनी कितनी रकम म ?

(3) अजमेर नगर परिषद् और कितनी दुकानें और गोदाम बना रही है और वे कब तक तैयार हो जायेंगी ? और क्या ये दुकानें और गोदाम भी किसी को एलॉट कर दी गई हैं ? यदि हां, तो किस किस को ?

उत्तर

(1) पड़ाव धान मंडी प्लाजा सिनेमा के सामने पहिले 121 दुकानें एवं 5 अनाज गोदामों का निर्माण कराया गया था । 6 गोदामों का निर्माण कार्य चालू है ।

दुकानें एवं गोदाम जिनको अलॉट किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

औसतन व्यय प्रति दुकान व गोदाम निम्न प्रकार हुआ है:—

1) क्षेत्रफल

20′ X 9′ =2,000 प्रति दुकान

(स्वायत शासन मंत्री)

2) क्षेत्रफल
13′ × 9′=1500 प्रति दुकान
3) गोदाम एक क्षेत्रफल
33′ × 25′ का=7500

(2) विवरण संलग्न है।

(3) 127 दुकानें।

53 दुकानों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अभी तक किसी को भी अलॉटमेन्ट नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी समितियों में प्रशासकों को नियुक्तियां

659. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की किस किस स्तर की व किन किन सहकारी समितियों में कब कब से प्रशासक नियुक्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रशासक नियुक्ति करने के बाद उक्त संस्था में क्या क्या सुधार हुये हैं ? प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व व अब की तुलना के आंकड़े समितिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध पेन्डिग केसेज

४4१. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कितने केसेज पेंडिग थे ?

(2) उनमें से कितने केसेज में साल के अंत तक निर्णय लिया गया और उनमें से कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को दंड दिया गया ? राजपत्रित और अराजपत्रित की पृथक पृथक सूची देवे।

(3) गत वर्ष कितने नये केसेज राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज हुए ?

(4) साल के अन्त में कितने केसेज पेंडिग रहे ?

उत्तर

(1) गत वर्ष के प्रारम्भ में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के 2,383 केकेसेज पेन्डिग थे।

(2) 782 केसेज में निर्णय लिया गया। 51 अधिकारियों एवं 489 कर्मचारियों को दण्ड दिया गया।

(3) 1,092।

(4) 2,693 केसेज पेन्डिग रहे।

काश्त योग्य भूमि

749. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में काश्त योग्य कितनी भूमि है ? किस किस श्रेणी के कुल कितने

(श्री दौलतराम सारण)

काश्तकार हैं ? इसमें से कितनी भूमि अभी तक सरकारी पड़ी है ? जिलेवार सूचना दी जाय ।

(2) राज्य सरकार विभिन्न किस्म की कितनी कितनी सीमा तक की जोत की भूमि को अनार्थिक जोत मानती है ? राजस्थान में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं ?

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में और गंगानगर जिले में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं ? गंगानगर जिले की नहरी व बरानी भूमि की सरकार कितनी सीमा तक की जोत को अनार्थिक जोत मानती है ?

(4) राजस्थान में कितने भूमिहीन काश्तकार हैं इसके रोजगार के लिए क्या योजना है ? राजस्थान नहर क्षेत्र में और गंगानगर जिले में कितने भूमिहीन काश्तकार हैं ?

(स्थगित किया गया)

चेनमैन की नियुक्ति

750. **श्री श्रवण लाल** (हिंडौन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि 15-4-68 को सैटलमेन्ट ऑफिसर, अलवर ने एक चेनमैन की नियुक्ति करने हेतु जयपुर अपने उच्च अधिकारी को लिखा था ?

(2) यदि हां, तो क्या नियुक्ति करने की मन्जूरी दी गई ? यदि हां, तो कब और नियुक्ति किस तारीख को की गई है ?

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त नियुक्ति इसलिए की गई कि वहां पर सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे ? इसलिए पानी पिलाने वाला स्वर्ण लिया जाना था ?

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं, यह सत्य नहीं है । उस वक्त कुल 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अलवर पार्टी में थे जिनमें से केवल 4 ही अनुसूचित जाति के थे ।

(4) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

कृषि प्रसार अधिकारी, नागौर

751. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या नागौर जिला कृषि अधिकारी के पास विभागीय जीप है ?

(2) क्या नागौर में कृषि विभाग या कृषि उद्योग निगम का सर्विस सेन्टर है ? जिसमें सरकारी मोटर गाड़ियों की मरम्मत होती है ?

(3) क्या जिला कृषि अधिकारी की जीप से वर्कशोप में ता० 1-2-70 से ता० 31-3-71 तक कभी रिपेयर हुई ? यदि हां, तो कब कब व कितना कितना खर्चा हुआ एवं क्या यह जीप अन्य वर्कशापों में भी इस अवधि में रिपेयर हुई है ? यदि हां, तो कहां कहां एवं कब कब तथा कितना कितन

(श्री रामसिंह कुड़ी)

खर्चा हुआ ? प्राईवेट जगह पर किस किस चीज का कितना कितना खर्चा हुआ एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम सर्विस सेन्टर नागौर में उसी प्रकार की मरम्मत का कितना कितना खर्चा हुआ ?

(4) जीपों की मरम्मत कहां कराई जावे, इस बारे में कृषि विभाग के क्या क्या प्रचलित सरक्यूलर्स है ?

(स्थगित किया गया)

भूतपूर्व जिला भू-संरक्षण अधिकारी नागौर के विरुद्ध जांच

5. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले के भू-संरक्षण कार्यों में हुवे घोटालों के सम्बन्ध में कौन कौन सी विभागीय जांचें विचाराधीन है ? एवं कौन कौन अधिकारी ऐसी जांचें कब से किस किस अधिकारी के खिलाफ कर रहे हैं ?

(2) क्या श्री बम्ब, भूतपूर्व जिला भू-संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध भी कोई जांच पैन्डिग है। यदि हां, तो कब से व कौन अधिकारी यह जांच कर रहा है एवं आरोप क्या क्या हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में भू-संरक्षण कार्य में अनियमितताओं में निम्नलिखित विभागीय जांच विचाराधीन हैं :–

(1) श्री नेमी चन्द दीक्षित, भू-संरक्षण सहायक, नागौर ।

(2) श्री ओ० बी० बम्ब, जिला भू-संरक्षण अधिकारी ।

(3) श्री उत्तम चन्द नाहर, लेखा-लिपिक, सहकारी विभाग ।

(4) श्री किशनसिंह, फिल्डमेन ।

श्री नेमीचंद दीक्षित के मामले में प्रारम्भिक जांच श्री किशोरी रमन भार्गव, उप-निदेशक, कृषि, जोधपुर, ने 20-2-69 और श्री हरिनारायण माथुर, डिवीजनल भू-संरक्षण अधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 2-4-70 को की ।

श्री ओ० बी० बम्ब, उत्तम चंद नाहर व किशन सिंह के मामले में श्री किशोरी रमन भार्गव उप-निदेशक, कृषि, जोधपुर, ने दिनांक 16-5-69 को जांच की । तीनों व्यक्ति पहले ही निलम्बित किये जा चुके थे ।

(2) जी हां । श्री बम्ब, के खिलाफ जांच सन् 1969 से चल रही है । अब यह चूंकि सामूहिक मामला सिद्ध हुआ है, इसकी जांच राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग द्वारा करवाने की कार्यवाही की जा रही है । श्री बम्ब के खिलाफ निम्न आरोप हैं :–

(अ) दि० 12-1-67 को श्री मोती राम पुत्र पुरताराम, साकिन खरोडा, व श्री बेरीशालसिह पुत्र गुलाब सिंह, सा० साहीका के नाम से टेण्डर व रु० 500) जमानत के प्राप्त करना बताया गया है जो फरजी है अतः श्री बम्ब व श्री नाहर दोषी हैं ।

(ब) दिनांक 13-1-67 से 26-1-67 तक 80,000 पाइयां श्री मदनसिंह ठेकेदार

(कृषि मंत्री)

है प्राप्त होना व भिन्न भिन्न खेतों पर दिनांक 13-1-67 से 31-3-67 तक स्टोर रजिस्टर में इन्द्राज कर कणमन्दी के काम में लगाना बताया गया है जिसे श्री ओ० बी० बम्ब, जिला भू-संरक्षण अधिकारी ने तस्दीक किया है जो गलत है अत: दोनों दोषी हैं।

(स) दिनांक 20-1-67, 1-2-67 व 6-2-67 को श्री मदन सिह, सा० बिरलोका को रु० 1,600) 3,200) व 8,000) कुल रु० 12,800) भुगतान करना बताया गया है जबकि यह पाया गया कि गांव बिरलोका में किसी ठेकेदार ने कोई पाई सप्लाई नहीं की। उपरोक्त भुगतान बताना फरजी है अत: श्री बम्ब, श्री नाहर व श्री किशन सिह दोषी हैं।

सहकार प्रसार अधिकारी के पद

753. श्री रामसिह कुड़ी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार ने कुछ पंचायत समितियों से सहकार प्रसार अधिकारियों के पद समाप्त करने का निर्णय लेकर ऐसी पंचायत समितियों से सहकार प्रसार अधिकारीगण हटा लिये हैं ? ऐसी पंचायत समितियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और यह भी बतायें कि इन पंचायत समितियों को चुनने का आधार क्या रहा है ?

उत्तर

राज्य सरकार के आदेश क्र० एफ० 2 (24) को आप/1/68/13-8-68 द्वारा 46 पंचायत समितियों में से सहकारी प्रसार अधिकारियों के पद हटाये जाकर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गये हैं इन पंचायत समितियों की सूची संलग्न है ?

सम्बन्धित पंचायत समितियों में से सहकारी प्रसार अधिकारियों के पद हटायें जाने का आधार विकास विभाग की सिफारिश के अनुसार इन पंचायत समितियों में सहकारी प्रसार अधिकारियों के लिये पूरे समय का कार्य न होने तथा भूमि विकास बैंकों को ऋण वसूली के लिये निरीक्षकों की आवश्यकता के कारण था।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

डकैतियां व हत्यायें

754. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे :–

क्या यह सही है कि राजस्थान में एक जनवरी, 1970 से अब तक काफी तादाद में डाकेजनी व हत्यायें हुई हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी कितनी डकैतियां व हत्यायें हुई हैं ? कितने डकैत पकड़े गये ? कितने मारे गये ? कितने फरार हैं ? और कितनों का अदालत में चालान कर दिया गया, कितने चालान बाकी हैं ?

उत्तर

जी नहीं। सन् 1970 में अपराध स्थिति नियंत्रण में रही है तथा डकैती और हत्या के अन्तर्गत अपराधों में गत वर्ष के मुकाबले में कमी रही है 1 जनवरी

Page No 40

(गृह मंत्री)

1970 से 31 मार्च, 1971 तक घटित डकैतियों और हत्याओं के अपराधों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

सुजानगढ़ बुनकर बस्ती

755 श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सुजानगढ़ बुनकर बस्ती कब बनी और उस पर कितनी धनराशि किस मद से खर्च हुई ?

(2) अब इसका क्या उपयोग है ?

उत्तर

(1) बस्ती का निर्माण मार्च-अप्रेल, सन् 60 से प्रारम्भ हुआ था, बस्ती बन गई है, परन्तु रहने योग्य पूर्ण नहीं बनी है। 1,35,000/– रुपये निम्न मद से खर्च हुए हैं। लोन 1,20,000 रुपये पी० लोन एण्ड एडवान्सेज बाई स्टेट गवर्नमेन्ट मिसलेनियस लोन्स एण्ड एडवान्सेज फोर डवलपमेन्ट आफ हैंड लूम इन्डस्ट्रीज/ एन्ड इज रीअम्बर सर्विस इन फुल फ्राम दी आल इन्डिया हैन्ड लूम बोर्ड, बम्बई• 15,000 अनुदान 43 इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाईज (डी) ग्रान्ट-इन-एण्ड (2) सब सीडी टू कोलोनी इन्डस्ट्रीज कापरेटिव सोसाईटीज (प्लान)।

(2) बस्ती अपूर्ण है, अतः किसी उपयोग में नहीं आ रही है।

कस्बा राजलदेसर के पास नेशनल हाई-वे पर मरम्मत का कार्य

756. श्री रावतराम (छापर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा राजलदेसर (जिला चूरू) नेशनल हाई-वे से सिर्फ एक माईल है ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत भी उक्त एक माईल के टुकड़े पर कुछ कार्य हुआ है ? यदि हां, तो कस्बे की जनसंख्या व इसकी उपयोगिता को देखते हुए सरकार उक्त एक माइल टुकड़े पर डामर डलवाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नेशनल हाई-वे से रेल्वे स्टेशन तक का डामर का कार्य ठेकेदार को दिया गया है, कार्य प्रगति पर है।

कल्याणपुरा से जालोर सड़क

757. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कल्याणपुरा से जालोर वाया समदड़ी मोकलेसर सारा कच्चा रोड है ?

(2) क्या यह सही है कि समदड़ी व करमावास के बीच लूनी नदी बहती है ? यदि हां, तो वाहनों एवं यात्रियों की सुविधा के

(श्री गोरधन सोनी)
लिये नदी में अब तक रपट क्यों नहीं बन्धाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस नदी पर रपट बंधाने के लिए स्कीम स्वीकृत हो चुकी है एवं वहां पत्थर भी डाले गये ? यदि हां, तो इस नदी पर पुलिया कब तक बन जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अर्थाभाव के कारण फिलहाल कार्य पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। पत्थर अकाल राहत कार्यों में एकत्रित किय गये थे। अर्थाभाव के कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

खाटू बड़ी की पेयजल योजना

758. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के खाटू बड़ी ग्राम में क्या ग्राम पेयजल योजना निर्माणाधीन है ?

(2) क्या खाटू बड़ी ग्राम की पूरी आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा ? यदि हां, तो किस किस बास को ? प्रत्येक बास की आबादी कितनी कितनी है ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न

(22-4-71, 29-4-71, 6-5-71 व 13-5-71)

चम्बल क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना

431. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डाकू ग्रस्त चम्बल क्षेत्र में 500 मील की लम्बाई की सड़कों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के अन्तर्गत किस जिले की कौन कौनसी सड़कें बनाने की प्रस्तावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि केशोराय-पाटन से लाखेरी जाने वाला कच्चा मार्ग दूसरी पंचवर्षीय योजना का जीता जागता अवशेष का प्रतीक है ? जब कि तहसील पाटन के मध्य में एक मात्र यही सड़क है और जबकि इस तहसील में ग्राम रंगराजपुरा में और ग्राम घाटा का बराना में डकैतियां पड़ चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सड़क को प्रस्तावित योजना में क्यों नहीं लिया है ?

(3) क्या यह तहसील चम्बल क्षेत्र से लगी हुई नहीं है ?

(4) क्या यह सत्य नहीं है कि यह सारी तहसील चम्बल सिचाई योजना के अन्तर्गत आती है और बरसात में सिवाय रेल के इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(5-5-71)

सीलिंग से अधिक जमीन

605. **श्री जयनारायण खालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में किस किस जिले में किस किस के पास सीलिंग से अधिक जमीन है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(6-5-71 व 13-5-71)

मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान

636. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष के अकाल राहत कार्य करंडा से झाब सड़क पर 15 गैंगों के मजदूरों को आखरी सप्ताह को मजदूरी तारीख 1-8-70 से 15-8-70 तक का भुगतान कई दरख्वास्तों के बावजूद अभी तक नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वारा उपरोक्त मजदूरी के भुगतान के संबंध में उनके वास्तविक कार्य की जांच करली गई है ? अगर हां, तो कब ? उस जांच के तहत मजदूरों के कार्य के अनुसार कितनी मजदूरी का भुगतान करने का एसेसमेन्ट किया गया है ?

(3) उपरोक्त मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(13-5-71)

सड़क निर्माण कार्य पर व्यय

703. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार का सड़कों पर कोई ध्यान नहीं है ? यही कारण है कि एकीकरण के बाद से सड़कों की बरबादी सुनियोजनार्थ यह सड़कें 5—7 वर्षों में सर्वथा बरबाद हो जावेंगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि सड़कें जो ठेके के आधार पर बनाई जाती हैं उनका सीलिंग व गिट्टी अनुपात से कम होने से स्थान स्थान से बैठ जाती हैं और गिट्टियां निकल जाती हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि नव निर्मित सड़क को कम से कम आठ वर्षों में उनकी मरम्मत छरा और डामर की परत से होनी चाहिए पर अब तक सरकार इस प्रकार उदासीन रही है ?

(4) राज्य की समस्त सड़कों के लिए क्या 2.35 करोड़ रुपये रखे गये थे जिसमें से विभागीय मरम्मत गैंग जो लगभग 7,500 है इनके वेतन में 1.86 करोड़ व्यय हो जाता है ? तो क्या शेष 36 लाख की राशि में सड़कों के प्रति न्याय किया जा सकता है ?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(5) क्या सरकार जो धनराशि, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स की रकम के रूप में प्राप्त करती है, का नव निर्माण सड़कों व मरम्मत पर व्यय नहीं करती है ?

(6) क्या सरकार मरम्मत की राशि को बढ़ाने व नई सड़कों के निर्माण के लिए अधिक राशि देना अनुचित समझती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां। धन उपलब्धि के अनुसार मरम्मत कार्य करवाया जाता है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

स्थगित-प्रश्न
(13-5-71)

सहकारी विभाग में पदोन्नति के आधार

708. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के सहायक निरीक्षक, निरीक्षक (कार्यकारी) एवं ऑडिट तथा सहायक रजिस्ट्रारों की स्थायी। अस्थायी, आफीसियेटिंग एवं एडहॉक पदोन्नति में राज्य सरकार के सीनियोरिटी कम मैरिट एवं मैरिट फार्मूला के परिपत्र क्रमांक फा० 1 (6) नियुक्ति (डी) 60 दिनांक 27-8-66 के अनुसार की जाती है । जिसमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एवं सेवा रिकार्ड पर विचार किया जाकर 75 अंकों में से 62½ अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति देना जरूरी होता है ? यदि नहीं, तो उन्हें पदोन्नति किन नियमों के अनुसार दी जाती है और क्या वे नियम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी सहायक निरीक्षक एवं निरीक्षकों की पदोन्नतियों में राज्य सरकार के सिनियोरिटी कम मैरिट और मैरिट फार्मूले के परिपत्र क्रमांक (6) नियुक्ति (डी) 60 दिनांक 27-8-66 के पैरा नं० 5 के प्रावधानों के अनुसार गोपनीय प्रतिवेदन और सेवा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए अंक देने का तरीका नहीं अपनाते हैं और न ही उसका रिकार्ड बनाया जाता है और न रखा जाता है और मनमाने अवैधानिक तरीकों से तरक्कियां दी जाती हैं । उक्त मार्किंग सिस्टम के अनुसार 62½ प्रतिशत प्राप्त अंकों के योग्य कर्मचारियों को पदोन्नतियों से लगातार महरूम रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों को उनके पद से हटाया जाकर उन्हें दण्डित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ? यदि उक्त परिपत्र के अनुसार अंकों के आधार पर पदोन्नतियां दी जाती हैं, तो उनका प्रमाण प्रस्तुत करें ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा प्रकाशित आखरी वरिष्ठता

Page No 44

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सूची के अनुसार श्री जुगलकिशोर शर्मा, श्री एम० एल० जैन, श्री गोवर्धनलाल जैन, श्री बेनीप्रसाद, श्री ऋषिदेवसिंह, श्री राधेश्याम, श्री बी०के० मूर्ति, श्री धर्मनारायण निगम, श्री रेवोतीरमण, श्री कमल अहाद आदि सहायक निरीक्षकों की पदोन्नति अब तक हो जानी चाहिये थी क्योंकि इनसे जूनियर पड़ने वालों को पदोन्नत किया जा चुका है? उन्हें पदोन्नत क्यों नहीं किया गया? जब कि नियमानुसार उन्हें 75 अंकों म से 62 अंक प्राप्त हैं?

(4) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में श्री गोविन्दप्रसाद माथुर, श्री गयाप्रसाद गर्ग, श्री छजूराम, श्री छिदासिंह एवं श्री स्वरूपसिंह निरीक्षकों को उनके विरुद्ध गंभीर आरोप एवं शिकायत चालू होते हुए भी राज्य सरकार ने सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत कर दिया और इसी प्रकार विभागीय जांच सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार ने श्री तारासिंह, श्री भगवानसिं आजाद, श्री हरिसिंह चौधरी, श्री मोहम्मदह यूसफ टाक, श्री हर शर्मा, श्री दयानन्द शर्मा आदि सहायक निरीक्षकों को द्वितीय श्रेणी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति के समय मरिट (योग्यता) आंकने का कौनसा तरीका अपनाया गया था? यह तरीका प्रश्न नम्बर 3 में वर्णित कर्मचारियों पर क्यों न लगाया गया?

(5) 1 जनवरी, 1959 से आज तक सहायक रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालयों के स्तर पर सहायक निरीक्षकों के विरुद्ध कौन कौनसी तारीखों से क्या क्या शिकायत चालू हुई? और कौनसी तारीखों में उनका क्या क्या फैसला किया और कौनसी का फैसला होना बाकी है? उनमें से कौन कौनसे कर्मचारियों को किस किस पद पर तरक्कियां कौन कौनसी तारीख में दी गई? और ऐसी पदोन्नतियों में उनकी मैरिट आंकने का कौनसा मापदण्ड अपनाया गया? क्या यह मापदण्ड राज्य सरकार से अनुमोदित है? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे। और उनमें कौन कौन से सहायक निरीक्षक एवं निरीक्षकों को पदोन्नतियों से वंचित रखा गया? और क्यों? उक्त पूर्ण सूचना जो पूर्ण सूची सदन की मेज पर उपलब्ध कराई जावे।

उत्तर

(1) प्रश्न में परिपत्र क्रमांक दिनांक 27-8-66 का हवाला दिया है वह प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग में जो पदोन्नतियां की गई हैं व एडहाक बेसिस पर की गई है। एडहाक पदोन्नतियां प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती हैं।

(2) जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में लिखा जा चुका है कि क्रमांक दिनांक 27-8-66 का कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है और विभाग में एडहाक रूप से पदोन्नतियां की गई हैं।

(3) प्रश्न में वर्णित श्री जुगलकिशोर, श्री एम०एल० जैन, गोवर्धनलाल जैन, आदि सहायक निरीक्षकों की पदोन्नति उनके विरुद्ध गंभीर आरोप होने के कारण नहीं की गई थी।

(4) यह सही नहीं है कि श्री छाजूराम, निरीक्षक के विरुद्ध गम्भीर आरोप होने पर

(मंत्री सहकारी विभाग)

भी सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत कर दिया गया क्योंकि श्री छाजूराम अब भी निरीक्षक ही हैं और काफी समय से निलम्बित हैं। श्री गोविन्द प्रसाद माथुर, श्री गंयाप्रसाद गर्ग आदि निरीक्षकों को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति करते समय उनके विरुद्ध आरोपों पर विचार करने के पश्चात् ही पदोन्नति दी गई थी। इसी प्रकार श्री भगवान सिंह आजाद, श्री हरसहाय शर्मा आदि सहायक निरीक्षकों को पदोन्नति देते समय उनके विरुद्ध शिकायतों पर पूर्ण रूपसे विचार करने के पश्चात ही उनकी पदोन्नति की गई थी।

(5) इस प्रश्न की सूचना उप-रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रारों से प्राप्त की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं मा० सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ व श्री कल्याण मल मीणा, सदस्य विधान सभा, से देवली केम्प में तूफान में मकान गिरने व उनकी चद्दरें उड़ने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तथा कई व्यक्ति घायल हो जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

इसी आशय के स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री नत्थी सिंह व श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा से भी प्रप्त हुई हैं।

मैं मा० सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि मा० पुनर्वास मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुये शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं जो इस प्रकार हैं :-

(1) श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा ने अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर खण्ड को कार्यालय जयपुर से अलवर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री केसरीसिंह हाड़ा सदस्य विधान सभा ने जिला बूंदी के ग्राम पलका के बान्ध का काम बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थागन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) निम्नांकित सदस्यों से एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि पंचायत समिति परबतसर के प्रधान ने अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम गलत तरीके से भूमि आवंटन करा ली है तथा रेगर हरिजनों की भूमि भी छीनकर अपने कब्जे में कर ली है।

श्री परसराम गंगाराम, श्री दिग्विजयसिंह, श्री रूपसिंह, श्री चुन्नी लाल जेलिया, श्री डूंगाराम राजोरिया, श्री विजय सिंह, श्री आलमअली खां, श्री पृथ्वीसिंह चौहान, श्री फतेह सिंह इन मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलन पर इनपर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

Page No 46

(श्री अध्यक्ष)

प्राप्त हुई हैं । ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा, ने लघु उद्योग विभाग की अव्यवस्था के कारण श्री गंगानगर में चिमनी भट्टे के उद्योग चलाने वालों के सामने संकट उत्पन्न होने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है ।

(2) श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें जिला बून्दी में राज्य सरकार की घोषणा के विपरीत 15 बीघा या इससे कम भूमि पर जिन काश्तकारों ने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें बेदखल किया जाकर उनसे जुर्माना वसूल किये जाने का उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं । अतः इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इनके अतिरिक्त गंगानगर जिले में किसानों से चीनी न खरीदे जाने से...

श्री रामचन्द्र आर्य : चीनी नहीं चुकन्दर।

श्री अध्यक्ष : उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिसको देखने से यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है । अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री केदारनाथ याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला गंगानगर में कोयले की कमी के कारण तमाम भट्टे बन्द हो रहे हैं और उद्योग विभाग द्वारा लाइसेन्स की जो प्रणाली अपनाई जा रही है इस संबंध में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने दिया है, कम से कम राज्य सरकार से इसकी जानकारी चाही जानी चाहिए क्योंकि यह सारे जिले के काश्तकारों से और वहां के वाशिन्दों से संबंधित है। लोगों को ईंटें बहुत मंहगी मिल रही हैं और कोयला नहीं मिल रहा है...

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया है मैंने।

श्री रामचन्द्र आर्य : ''और तमाम भट्टे बन्द हो रहे हैं और लाखों रुपयों का ब्लैक और घोटाला हो रहा है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके संबंध में राज्य सरकार से जानकारी चाहें...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ताकि हम भी लोगों को तसल्ली दिला सकें कि राज्य सरकार इस मामले के लिए सतर्क है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था....

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, ईंटें और भट्टे वाला मामला बहुत गम्भीर है और इसका आप राज्य सरकार से वक्तव्य दिलायें तो ज्यादा उचित रहेगा

(श्री दौलतराव सारण)

क्योंकि यह मामला करीब 11 लाख की पापूलेशन से संबंध रखता है...

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय ले लूंगा ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, हिन्डोली में भूमिहीनों को 15 बीघा...

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : फिर क्या प्रश्न है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । ऐसा है कि बून्दी तहसील में पट्टे बृजसुन्दरजी देते आ रहे हैं । भूमिहीनों को पट्टे दिये जा रहे हैं और हिन्डोली में भूमिहीनों की जमीन को जो कि 15 बीघा से कम है उनसे वापिस छीना जा रहा है और जुर्माने वसूल किये जा रहे हैं—यह भेदभाव की नीति अनुचित है और सरकार इसके लिए वक्तव्य देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : उप-राजस्व मंत्रीजी इसको देख लें ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थान प्रस्ताव घाटगेट पुलिस थाने के पास एक मंदिर तोड़ दिया गया है उसके बारे में था और आपने कहा था कि उसकी जानकारी कर ली जायेगी...

श्री अध्यक्ष : वह तो जानकारी में है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय तो ठीक हैं लेकिन मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं ।

श्री श्रवणलाल : लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो जयपुर का जयपुर में ही है.........

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर निर्णय ले लूंगा ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : आप मुझे क्या बाध्य करते हैं कि आपको अभी ही वक्तव्य दिला दूं यह कैसे सम्भव है ?

श्री श्रवणलाल : लेकिन अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज....

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था जिसके बारे में आपने एक हफ्ते के अन्दर रिपोर्ट मांगी थी...

श्री अध्यक्ष : वह रिपोर्ट आज आ जायेगी। शिक्षा मंत्री जी से जांच कराई है वह मैं पता लगा लेता हूं ।

श्री श्रवणलाल : यह एक मन्दिर का मामला है और अब सोमवार को असेम्बली मीट करेगी इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है.......

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं मुझ से ?

श्री श्रवणलाल : मैं यह चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब यहीं हैं और वक्तव्य दिलाया जाये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मन्दिर तोड़ा नहीं जाये ।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री डूंगाराम राजोरिया : मन्दिर नहीं तोड़ा जाये इसके लिए आश्वासन होना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वह मन्दिर है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया गम्भीरता को।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कम से कम यह तो कहा जाना चाहिए कि मन्दिर नहीं टूटना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन के संबंध में एक सप्ताह पूर्व दिया था और एक जजमेन्ट को वे ऑनर नहीं कर रहे हैं.........

श्री अध्यक्ष : आप थे या नहीं मेरे ख्याल से रोडवेज के संबंध में मैंने व्यवस्था दी है लेकिन मैं रेडी रेफरेन्सर तो हूं नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर वक्तव्य दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री केदारनाथ याचिका उपस्थित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन,

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील जमपुर के ग्राम विजय महल की भूमि खसरा नम्बर 165, 166, 167 का अनियमित आवंटन के संबंध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

वित्तीय समितियों के लिए नामजद उम्मीदवारों की घोषणा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जनलेखा-समिति 1971–72, प्राक्कलन समिति 1971–72 एवं राजकीय उपक्रम समिति 1971–72 के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामजदगी के पर्चे सही पाये गये हैं।

जन लेखा समिति :

(1) श्री कल्याणमल मीणा
(2) श्री गोकुल चन्द
(3) श्री पुखराज कालानी
(4) श्री गुलाबसिंह शक्तावत
(5) श्री नन्दलाल बैरवा
(6) श्री हंसराज आर्य
(7) श्री अमीलाल यादव
(8) श्रीमती कान्ता कथूरिया
(9) श्रीमती मदन कौर
(10) श्री देवीलाल बुरासिया
(11) श्री बालसिंह सोढा
(12) श्री परसराम गंगाराम
(13) श्री दौलतराम सारण
(14) श्री फतहसिंह
(15) श्री विट्ठल
(16) श्री कृष्णकुमार गोयल
(17) श्री सूवालाल चौधरी
(18) श्री श्रवणलाल
(19) श्री डूंगाराम राजोरिया

प्राक्कलन समिति

(1) श्री किशनलाल वर्मा

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री गोकुलचन्द
(3) श्री पी० के० चौधरी
(4) श्री रामकुमार सपोटरा
(5) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
(6) श्री शंकरलाल जाट
(7) श्री अब्दुल हादी
(8) श्री विद्यासागर
(9) श्री दौलतराम
(10) श्री रणजीतसिंह
(11) श्री रतनलाल रोत
(12) श्री रूपसिंह
(13) श्री रामप्रसाद बोहरा
(14) श्री कन्हैयालाल
(15) श्री रामचन्द्र आर्य
(16) श्री देवीदत्त
(17) श्री विट्ठल
(18) श्री चुन्नीलाल जेलिया
(19) श्री परसराम गंगाराम
(20) श्री पृथ्वीसिंह
(21) श्री गंगासहाय
(22) श्री डूंगाराम राजोरिया
(23) श्री सूवालाल चौधरी
(24) श्री प्रेमसिंह सिंघवी

राजकीय उपक्रम समिति :–

(1) श्री सूवालाल चौधरी
(2) श्रीमती शिव कुमारी
(3) श्री किशनलाल शाह
(4) श्री परसराम गंगाराम
(5) श्री देवीलाल बुरासिया
(6) श्री गोकुलचन्द
(7) श्री रोशनलाल शर्मा
(8) श्री देवीलाल
(9) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
(10) श्री बिरदाराम
(11) श्री शंकरलाल जेतारण
(12) श्री वृद्धिचन्द्र जैन
(13) श्री सांवरमल वासोतियां
(14) श्री हरजीराम
(15) श्री रामचन्द्र आर्य
(16) श्री मेघराज पंवार
(17) श्री हरजीराम बुरड़क
(18) श्री दिग्विजयसिंह
(19) श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
(20) श्री केदारनाथ
(21) श्री भैरोंसिंह शेखावत

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि नामजदगी के पर्चों को वापिस लेने का आज सायंकाल 5 बजे तक का समय निर्धारित है। नामजदगी के पर्चे सम्बन्धित सदस्यों द्वारा सदन में अभिव्यक्तियों के जरिये जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए वापिस लिये जा सकते है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लिखित भी।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि अभिव्यक्ति द्वारा। तो यह तो लिखित से भी बढ़कर है। विधायी कार्य-पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करें।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

श्री रामप्रसाद लड्ढा–अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष :–प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा :–अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष :–ध्यान आकर्षण प्रस्ताव–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत लूटपाट, डाकेजनी, मारपीट, हत्यायें, बलात्कार आदि अपराधों को पंजीकृत नहीं करने तथा पंजीकृत मामलों में अदालतों में चालान प्रस्तुत नहीं करने की बाबत प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और विशेषकर सवाई माधोपुर जिले के भूतपूर्व विधायक कप्तान छुट्टनलाल तथा उनके साथियों द्वारा निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारियों पर दबाव लाये जाने के परिणामस्वरूप पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि दिनांक 15 और 16 मई को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक जयपुर नगर में हुई थी...

अध्यक्ष महोदय, उस बैठक में कुछ ऐसे गंभीर तथ्य सामने आये जिन तथ्यों का प्रसारण और प्रकाशन 17 मई के समाचार पत्रों में, जो जयपुर वगैरह से निकलते हैं अथवा दिल्ली से निकलते हैं, विस्तार से हुआ है। इस समाचार पत्रों में जिस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं और उनमें जिस प्रकार के तथ्यों का विश्लेषण हुआ है उनके आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में 17 मई को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसको स्वीकृत नहीं किया गया तो 18 मई को मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसको आपने एडमिट किया। उस पर आज सदन में चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अब इस बजट अधिवेशन में जब पुलिस विभाग की मांगों पर सदन में चर्चा हो रही थी तो सदन में इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार पर इस बात का आरोप लगाया कि राजस्थान में पुलिस विभाग राजनैतिक पक्षपात के आधार पर मुकदमों में कार्यवाही करता है। विरोधी दल के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाती है उनके खिलाफ झूठे मुकदमों के चालान अदालतों में पेश करती हैं झूठे मुकदमें बनाकर गिरफ्तारियां करना और मिड टर्म पोल के बाद जिन 2 क्षेत्रों में जनता ने कांग्रेस का विरोध किया वहां की जनता को, नागरिकों को, विक्टिमाइज करना यह आम रवैया राजस्थान की पुलिस का बन गया है। और कांग्रेस के नेता मंत्रियों को दबाकर, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को दबा कर अपने पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमें बनाने नहीं देते–चालान होने नहीं देते–पुलिस को कार्यवाही करने नहीं देते और राजनैतिक विद्वेष के कारण अपने विरोधियों को कुचलने की कार्यवाही चला रहे हैं। मुझे स्मरण है कि इन सब आरोपों का उत्तर गृहमंत्री ने सदन में यह कहकर दिया कि यह आरोप गलत है, हम किसी के दबाव में नहीं आते और बिना किसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजनैतिक पक्षपात के पुलिस कार्यवाही करती है। पर अध्यक्ष महोदय, यहां तथा बाहर के समाचार पत्रों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जयपुर में हुई हाल ही की बैठक में हुई बहस और चर्चा का जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसमें स्वयं गृह मंत्री महोदय ने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि उन्होंने सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत अपराधों के सिलसिले में चलने वाले मुकदमों में उचित कार्यवाही राजनैतिक दबाव के कारण नहीं कर पाये हैं और वह राजनैतिक दबाव इस विधान सभा के भूतपूर्व विधायक और वर्तमान सदस्य श्री छुट्टनलाल की तरफ से था। उन्होंने भी गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि ये पक्षपात पूर्ण तरीके से पुलिस के काम में दखलबाजी करते हैं। अब दोनों तरफ आरोप हैं। कांग्रेसी नेताओं में जहां तक कप्तान छुट्टन लाल का सवाल है वे सदन के अब सदस्य नहीं रहे हैं। पर आज संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत गृहमंत्री महोदय ने विधान की शपथ ली है और विधान की शपथ लेकर जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है उसका निर्वहन संविधान की धाराओं के अनुकूल लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल जनहित में किया जावेगा यह अपेक्षा उनसे सदन रखता है। होम मिनिस्टर इस हाउस में रेस्पोन्सिबल हैं। यहां उनका कन्डक्ट सैंसर किया जा सकता है। और इस सिलसिले में, मैं सवाई माधोपुर की जिन विशेष घटनाओं को लेकर जिनका सदन में उल्लेख करना चाहता हूं उस बारे में वे अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे। उन घटनाओं को सुनने के बाद सदन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि राजस्थान के गृह मंत्री ने संविधान की शपथ ली है और इस नाते उन पर जो जिम्मेदारी है, जनजीवन की रक्षा की जो जिम्मेदारी है, राजनैतिक पक्षपात से ऊपर उठकर ईमानदारी के साथ जनता को न्याय दिलाने की उन पर जो जिम्मेदारी है, उसे उन्होंने नहीं निभाया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है–राजनैतिक दबाव में आकर राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक उदाहरण नहीं देते हुए, सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए, और भी जो माननीय सदस्य कहना चाहेंगे उनका समय नहीं लेते हुए मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिन कुछ मामलों का उल्लेख किया है उन सारे मामलों के संबंध में कुछ उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। फिर यह सदन फैसला करे और गृह मंत्रीजी अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करें। वैसे तो गृह मंत्री महोदय ने अपनी विवशता को, ओमीशन को और गलतियों को एडमिट किया है कि उन्होंने कप्तान छुट्टनलाल के दबाव में आकर उन अपराधों के मामलों में कार्यवाही नहीं की- मुख्य मंत्री के दबाव में आकर चालान रोके गये, केस रजिस्टर नहीं किये–कौन कौन से ऐसे मुकदमें हैं जिनमें कप्तान छुट्टनलाल ने गृह मंत्री को दबाया और कौन कौन से वे मुकदमें हैं जिनमें मुख्य मंत्रीजी ने उन्हें दबाया वे उनका स्पष्ट उल्लेख करें सदन में बतावें तथा जिनके दबाव में आकर आज तक मुकदमों के चालान अदालत में प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसका स्पष्टीकरण तो गृह मंत्री करेंगे।

श्री अध्यक्ष : तथ्य दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ इन्स्टान्सेज पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं मारपीट के सिलसिले में मामले सदन के सामने रखूंगा। उसके बाद में हत्याओं के मामले, कुछ लूटमार के मामले, बलात्कार के मामले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और डाकुओं के साथ साठगांठ करने एवं आवागमन व उनको संरक्षण देने के मामले रखूंगा। इनके सिलसिले में जो केस रजिस्टर कराये उनमें कितनों के चालान नहीं किये गये कितने अब दबा दिये गये। इन सब के इन्स्टान्सेज सिलसिलेवार रखना चाहूंगा। पहला, अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, बामनवास के एक क्लर्क लक्ष्मणसिंह को भूतपूर्व विधायक श्री मदनलाल द्वारा बुरी तरह से पीटा गया और उसके अण्डकोष फोड़ डाले जिसके परिणामस्वरूप श्री लक्ष्मणस्वरूप अस्पताल में तीन महीने तक भरती रहे। इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई पर चूंकि भरतलाल कैप्टिन श्री छुट्टनलाल के लड़के के साले हैं इस कारण इस मामले में चालान पेश नहीं हुआ। गृह मंत्री महोदय, इस संबंध में इस सदन को जानकारी देंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसी भरतलाल ने जिसका जिक्र कर रहा हूं, यह भरतलाल कैप्टिन छुट्टनलाल के लड़के का सगा साला है। इसी भरतलाल के काका आदि छुट्टनलाल के सम्बन्धी श्री नारायण, जो कि बामनवास का सरपंच था, ने गोकुलराम क्लर्क को बुरी तरह से मारा। श्री नारायण को राष्ट्रपति शासन के दौरान निलम्बित कर दिया गया पर लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में कप्तान छुट्टनलाल चुनाव लड़ रहे थे इसलिये पंचायत मंत्री महोदय पर मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से दबाव डलवा कर पुनः बहाल करवा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अदालत में चालान पेश किया गया, परन्तु मुकद्दमे को वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है। दबाव डाला जा रहा है। इस सम्बन्ध की सारी मिसल गृहमंत्री जी ने जयपुर में मंगवाली है और चालान को वापस लिवाने की कार्यवाही की जा रही है। 59-60 में पंचायत समिति का कार्यालय बामनवास लाया गया। उस मौके पर बामनवास में जुलूस निकाला गया था। उस समय पर कुछ विघ्न उत्पन्न हुआ इन्हीं मदनलालजी ने लोगों पर गोली चला दी। 3 व्यक्तियों को गोली लगी। उनको अस्पताल में भरती कराया, छर्रे निकले और वे छर्रे आज तक अस्पताल में मौजूद हैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके कारण कांग्रेस के नेता और विशेषकर कैप्टिन छुट्टनलाल के दबाव के कारण अभी तक अदालत में चालान पेश नहीं हुआ।

सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख, श्री नत्थीसिहजी जो कैप्टिन छुट्टनलालजी के अभिन्न और सहयोगी हैं, साथी हैं और उनके गृह के व्यक्ति हैं उन श्री नत्थीसिहजी ने सहकारी बैंक के चुनावों के संबंध में विरोधी उम्मीदवार गंगासहाय और उनके साथी गंगापुर के श्री रघुनन्दनजी वकील, जो सवाई माधोपुर से हिण्डौन जा रहे थे, उनको हिन्डौन सड़क पर रोका, उनकी गाड़ी को रोका, पिस्तौल निकाली पिस्तौल दिखाई और इसके बाद अपने विरोधी उम्मीदवार गंगासहाय और रघुनन्दन वकील को जान से मारने की कोशिश कर माफी मांगने, हाथाजोड़ी करने और गिड़गिड़ाने पर उनको छुटकारा दिया। बाद में इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 307 का मुकद्दमा दर्ज हुआ। पर आज तक मकदमा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। नत्थीसिह जिला प्रमुख हैं। इन्हीं श्री नत्थीसिहजी ने बैंक मैनेजर देवी प्रसाद के छोटे भाई को बुरी तरह से मारा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पर आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक इसका चालान नहीं हुआ । मेडिकल विभाग का कैम्प लगा था, जैसे मोबाइल सर्जिकल या फैमिली प्लानिंग के कैम्प लगते हैं उस कैम्प में जो नर्स गई उसके साथ बलात्कार किया गया । इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय, उन लोगों का पुलिस ने कोई चालान नहीं किया। आज तक अध्यक्ष महोदय, उसका चालान नहीं हुआ और अफसोस इस बात का है कि उस नर्स का ही पता नहीं । उसे गायब कर दिया या जान से मार दिया गया? यह मनमोहिनी कौर नाम की नर्स थी-स्टाफ नर्स थी ।

ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ दी नर्स एड्रेस्ड टू डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ, इसकी नकल राष्ट्रपति को भेजी गई फोर नैसेसिरी एक्शन । ये सारे इसके कागजात हैं । मैं इसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता । मैं तो एब्स्ट्रैक्ट इन्स्टान्सेज ही दे रहा हूं । यह मेरी मुख्य मंत्री-गृहमंत्री और इस सरकार को खुली चुनौती है कि किसी एक केस में भी कोई एक भी बात वे झूठी साबित करके बता दें । मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी बातें पूरी 2 सही हैं । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सवाई माधोपुर में, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राज्य के उप-मंत्री, श्री शिवचरणसिंहजी और इन नत्थीसिंहजी के बीच किसी मामले को लेकर वाद-विवाद हुआ । कहा सुनी हुई । इन्हीं श्री नत्थीसिंहजी ने जो कैप्टिन छुट्टनलालजी के अभिन्न मित्र साथी, सहयोगी और गृह के व्यक्ति है, शिवचरणसिंहजी का हाथ पकड़ लिया । झगड़ा किया । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । राज्य के उप-मंत्री ने कराई । आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं ।

एक माननीय सदस्य : यह हमारे घर का मामला है ।

श्री रामकिशन : गूजर मीणों की लड़ाई नहीं थी । फिर घर की लड़ाई कैसे हुई ?

श्री मदन सिंह दांता : आप सदन के सदस्य नहीं होते या पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाते या नहीं लड़ते फिर ।

श्री अध्यक्ष : घर का मामला है या नहीं- साफ हो जावेगा आगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही मंत्री महोदय भूख हड़ताल पर बैठे थे इस विभाग के इन्हीं कारनामों को लेकर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आठवां उदाहरण एक केमला स्थान है । वहां के एक सरपंच हैं ठंडी । उनके कारनामे भी सुन लीजिये । वहां पर पंचायत के चुनाव हो रहे थे । नायब-तहसीलदार प्रिसाईडिंग अफसर बन कर वहां आये थे । वे चुनाव के फार्म वगैरह लेकर गये । चुनाव कराने गये । रिटर्निंग अफसर भी थे । अब बजाय इसके कि नियमानुसार शांति से चुनाव कराये जावें । फार्म भरे जावें, अपने उम्मीदवार की हार होते देखकर इन्हीं कैप्टिन छुट्टनलाल के प्राइवेट सेक्रेटरी, या सहयोगी साथी, अभिन्न मित्र इन श्री ठंडी ने इन नायब-तहसीलदारजी से सारे फार्म छीन लिये, बुरी तरह से मारा, पीटा । नायब तहसीलदार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई । आज तक चालान पेश नहीं हुआ । पुलिस विभाग निष्क्रिय बैठा है । गृह मंत्रीजी चुप हैं । कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक नाहरसिंहपुरा स्थान है । वहां के उप-सरपंच हैं रामनारायण सिंह, कैप्टिन छुट्टनलालजी के गुट्ट के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आदमी हैं। उनके खास मित्र, साथी और सहयोगी। तहसील का एक तामीलकुनन्दा नाहरसिंहपुरा में एक मामले में तामील कराने आया। तो उन उप-सरपंच साहब ने, जो अपने को चोबदार समझते हैं कैप्टिन साहब जयपुर में बैठे हैं, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, उस तामीलकुनिन्दा चपरासी को पकड़ा। जूतों से उसे ठोका, तामील नहीं कराने दिया। चपरासी भाग कर तहसील में गया। तहसीलदार को वाकये की रिपोर्ट की। तहसीलदार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज तक न वह केस रजिस्टर हुआ, न चालान पेश हुआ।

सपोटरा क्षेत्र से अध्यक्ष महोदय, राम कुमार 67 में जीत कर आये। वहां एक विरोधी कार्यकर्त्ता हैं श्री रतन लाल मीणा। कप्तान साहब ने देखा ये हमारे विरोध में कैसे हो गये? इसलिये उसको 67 के चुनाव के बाद जान से ही मार दिया। कतल हो गया। आज तक उसका पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं है। मामला वहीं खामोशी में पड़ा है।

एक खिरणी गांव के रहने वाले भूतपूर्व प्रधान हैं। पंचायत समिति, बाथ के प्रधान। इनके विरुद्ध दस हजार की बकाया की वसूली के लिये जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने कार्यवाही की। नोटिस निकाला। डिमाण्ड नोटिस भेजा। इस लोन की रिकवरी के लिये एल० आर० के तहत कार्यवाही के लिये तहसील दार ने गिरदावर को भेजा। पंचायत समिति, बाथ के भूतपूर्व प्रधान गंगाधर जी के पास, खिरनी गांव के रहने वाले हैं। कप्टिन छुट्टन लाल के ये राइट हैण्ड हैं। इनके खिलाफ दस हजार की वसूली की कार्यवाही हुई। नोटिस दिया। अध्यक्ष महोदय, रामकुमार मिश्र गिरदावर था। रामकुमार मिश्र वसूली के लिये उनके पास गया। गांव में गया। उसे बुरी तरह ठोका गया और ठोकने के बाद तहसीलदार ने मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज भी दर्ज है। न उससे वह रुपया वसूल हुआ और न गिरदावर को ठोकने पीटने के बारे में आज तक कोई कार्यवाही हुई। एक ग्राम खण्डी में कुछ ब्राह्मण परिवार, जोशी जिनको कहते हैं, रहते थे। वहां मंदिर है। उसकी सेवा पूजा वे करते थे और अपना गुजारा करते थे। 12 परिवार के लगभग वहां थे। उन बारह ही परिवार के लोगों को इन्होंने बुरी तरह मारा, ठोका और उस गांव में से ही निकाल दिया। उनकी सारी फसल को लूट लिया। और अध्यक्ष महोदय, वे 12 ही परिवार पांच महीने से इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। वे जयपुर में पड़े हैं। आज तक वे अपने गांव म वापस नहीं जा सके हैं। जिनके बारे मे गृह मंत्री ने अपनी कांग्रेस की पी०सी०सी० मीटिंग में हवाला दिया था और कहा था कि ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पर उनकी आज भी हिम्मत नहीं है। गृह मंत्रीजी आज अपने को इतना मजबूर पा रहे हैं कि उनको गांव में नहीं भिजवा सकते। बल्कि यहां तक हुआ कि उनकी सारी फसल को, घरबार को लूट लिया और उनके मन्दिर पर कब्जा करके दूसरों को वहां पर नियुक्त कर दिया। आज वहां गृह मंत्रीजी का राज नहीं रह गया है। वहां आज राज उनका चल रहा है। पुलिस मूक बनी सब देख रही है। पर मायूस है। कार्यवाही नहीं कर सकती। मध्यावधि चुनावों के कुछ दिनों पहले उस सवाई माधोपुर जिले में चुनाव लड़ रहे है कैप्टिन साहब इसलिये वहां के लिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपने फेवर का कलेक्टर देना चाहिए। तो चन्द्रप्रकाशजी मीणा को कलेक्टर लिया। जस्ट इन दी डेज ऑफ मिडटर्म इलेक्शन। मैं इस सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। गृह मंत्रीजी की जानकारी के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं। अप्रैल की बात है। 12 बजे रात्रि को कैप्टिन साहब वहां गए और इसी सिलसिले में किन्हीं गिरदावर के घर से उनकी पत्नी को बुलवाया। पत्नी ने जाने से इंकार कर दिया। पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। पर कोई कायवाही नहीं हुई। वह दिल्ली पहुंच गई। प्रधान मंत्री का दरवाजा खटखटाया। प्रधान मंत्री ने दया दिखाई। मुझे जानकारी मिली है कि इस मामले में सेन्टर की पुलिस इन्क्वायरी कर रही है। पर राजस्थान की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, एक रंगीलाल ठेकेदार है। करौली क्षेत्र में। माइन्स के ठेकेदार हैं। ये रंगीलाल ठेकेदार हमारे कैप्टिन छुट्टन लालजी के फाइनेन्सियर हैं और मददगार हैं। यह तो गृह मंत्रीजी कह देंगे।

एक माननीय सदस्य : ये ठेकेदार हैं तो क्या हुआ ? बहुत हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या कहते हैं ? इनकी करौली क्षेत्र में माइन्स है। और मैंने बामनवास की घटना बताई, पत्नी की बताई और कई बताई। आप तो मेवाड़ के हैं। उदयपुर डिविजन की बातें जानते होंगे। ये बामनवास के पृथ्वीराज जी पटेल बैठे हैं। आपके मेम्बर हैं। इनसे पूछो बामनवास की घटना के वारे में। धर्म से और मान से बोलो।

श्री पृथ्वीराज पटेल : जो सतीशचन्द्र जी कहते हैं ये सब बातें पक्की हुई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: धर्म आज भी बचा हुआ है।

श्री मदनसिंह दांता : इन बुजुर्गों में फिर भी ईमान धर्म है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धर्म मन में है। बूढे आदमी हैं। बेपढे हैं जरूर, पर धर्म और ईमान नहीं छोड़ रहे हैं। सच्ची बातों को मान रहे हैं। पर ये बाकी के कांग्रेस वाले और ये कांग्रेस के गृह मंत्रीजी नहीं मानते। तो ये रंगीलाल ठेकेदार–कप्तान छुट्टनलाल के फाईनेन्सियर करौली क्षेत्र में इनकी माइन्स हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मानीय सदस्यों ने फूला, जंगा डाकुओं के नाम सुने होंगे।

मशहूर डाकुओं का यह गिरोह। इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश के इलाकों से सात लड़कों को उड़ाया। इसके बाद वे करौली के इलाके में आये।

अध्यक्ष महोदय, करौली, मंडरायल और चम्बल का आसपास का सारा क्षेत्र, आज इस सदन में कई बार चर्चा होती है कि यह सारा डाकूग्रस्त इलाका है। दिन दहाड़े शहरों में से ये डाकू बच्चों को, आदमियों को उड़ाकर ले जाते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, इनको पनाह कौन देता है ? इनको हार्बर कौन करता है ? ये लोग करते हैं–ये इनको पनाह देते हैं। फिर पुलिस कभी इनको पकड़ सकती है ? नहीं। इस फला और जंगा डाकुओं के गिरोह को, इस करौली क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, इन सारे लोगों को इस रंगीलाल ठेकेदार ने और उसके लोगों ने अपने यहां ठहराया है। इनकी आवभगत की है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनको शराब पिलाई। 7 दिन तक रहे। उसके बाद उनको वहां पर एक पिस्तोल भी भेंट की गई। इसकी शिकायत एस०पी० को की गई। एस० पी० ने जांच कराई गृह मंत्री महोदय बताये कि क्या कार्यवाही हुई। श्री रंगीलाल ठेकेदार और उनके आदमियों के खिलाफ। जो डकोयट्स के साथ कांग्रेस के नेताओं के फाइनेन्शियर्स, उनके साथी, उनके गुट के लोग गठबन्धन करके चलेंगे और डाकुओं को पनाह देंगे तो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के जन-जीवन की सुरक्षा कैसे होगी?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रंगीलाल ठेकेदार कोई कांग्रसमेन है क्या ? अगर उसने पाप किया होगा...

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस के हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 15 वर्ष से कांग्रेस के कर्मठ सदस्य हैं।

श्री मदनसिंह : छुट्टनलाल कांग्रेसी हैं।

श्री रामकुमार (सपोटरा) : उनका डाकुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह गलत है यह सारी बात गलत है जो कही गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तिमावा गांव में एक मर्डर हुआ। आपके कहते हैं कि कप्तान साहब का नाम कैसे आता है। उस मर्डर केस में यह है कि वहां पर एक ब्राह्मण परिवार था और इनकी जाति के लोग थे तो वहां पर कोई जमीन को लेकर झगड़ा था। ये लोग ब्राह्मण को खेत पर ले गये और उसको मारा। उसको लटका दिया और लटकाने के बाद उसका नाक काटा (विपक्ष की ओर से शेम शेम), फिर कान काटा फिर आंख फोड़ी और जान से मार दिया। मर्डर हुआ। केस चला। केस को दबाने की गांव के लोगों ने कोशिश की, लेकिन डेलाइट मर्डर था, और इतना ब्रूटल मर्डर था कि उस ब्रूटल मर्डर के सिलसिले में आप गृहमंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे सदन को कि क्या ऐसे ब्रूटल मर्डर के केस में जिसमें आंखें निकाल दीं, कान काट लिये, नाक काट लिया और डेलाइट मर्डर हुआ, यह सही है कि वहां के थानेदार की इन्वेस्टीगेशन डायरी में यह इन्सर्ट किया हुआ है कि इस हत्या के मामले में हम पर दबाव डालने के लिए कैप्टन छुट्टनलाल कोशिश कर रहे हैं। वह डायरी जिसमें यह लिखा हुआ है आप सदन की मेज पर पेश करें। वह व्यक्ति रिटायर हो चुका है जगन्नाथ थानेदार। उसकी इन्वेस्टीगेशन डायरी में इस तरह का इन्द्राज है। इस अंश को अब चाहे निकाल दिया हो कि छुट्टनलाल ने आकर सिफारिश की है। ऐसे मर्डर केस में जाकर सिफारिश करें? अध्यक्ष महोदय, (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) गंगापुर सिटी में कोई महिला थी। अध्यक्ष महोदय, वह गांव की महिला गंगापुर सिटी में आई। क्योंकि उसके पति वगैरह सिनमा देखने चले गये और वह अकेली महिला सामान खरीदने बाजार में चली गई। बाजार में चली गई तो, अध्यक्ष महोदय, जब मालूम पड़ा मुन्शीजी को कि कोई महिला अकेली है। घरवाले वहां गये तो थानेदारजी थे, थानेदार का नाम गोपालसिंह और मुंशी का नाम है होतीलाल। उन्होंने उस महिला को बुलाया थाने में, और उस महिला के साथ में इन्हीं गोपालसिंहजी थानेदार ने बलात्कार किया थाने में (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसके बारे में ये परचे छपे। आमसभा हुई, गंगापुर में हड़ताल हुई। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं और सदन में कहना चाहता हूं कि गंगापुर सिटी में थानेदार ने रेप किया जिसके ये परचे छपे, जिसकी आम सभा हुई, जिसके लिए हड़ताल हुई और प्रदर्शन हुए। सारे परचे को मैं पढ़कर सुनाऊं तो समय लगेगा, सारे तथ्य इस प्रिन्टेड पेंम्फलेट में दिये हुए हैं। अभी भी गृह मंत्रीजी बतायेंगे कि उस गोपालसिंह के खिलाफ जिसने कि रेप किया है चालान किया गया या नहीं किया गया और उस केस की तफ्तीश क्यों छोड़ दी गई? मैं गृह मंत्रीजी को धर्म की सौगन्ध तो देना नहीं चाहता, लेकिन अपनी कान्शस पर हाथ धरकर कहें कि क्या यह सही है कि गोपालसिंह के पेंडिंग रेप केस में आपके पास कैप्टेन छुट्टनलाल के साथ रामकुमारजी आये थे? मेरी जानकारी है कि गोपालसिंह के खिलाफ रेप केस को दबाने में रामकुमारजी ने 10 हजार रुपये लिये हैं? (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) आप जांच कीजिये।

श्री रामकुमार : ये सारी बातें गलत हैं......(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप एक बात बता दें सिर्फ कि महेन्द्रसिंहजी बयाना वाले को किसने जीप बेची है? जीप बेची वह कहां से आई थी तुम्हारे पास? पी० सी० सी० की जीप है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बता दें।

श्री रामकुमार : मैंने पैसा देकर खरीदी है और वह पी० सी० सी० से जीप खरीदी है। इस तरह से पी० सी० सी० से जीप सभी लोग लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां से आई है जी, बोलिये? कितना पैसा खर्च किया है और किसने खर्चा किया है?

श्री रामकुमार : मैंने खरीदी है पी० सी० सी० से और 5 हजार रुपये दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 15 हजार की जीप है और पी० सी० सी० के नाम पर है।

(विपक्ष की ओर से शेम, शेम)

श्री किशनलाल शर्मा: यह बात गलत है। आप भ्रम फैला रहे हैं, सतीशचन्द्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप विराजिये। वह बीच में बोले, इसलिए यह बात कहनी पड़ी है वर्ना मैं कहने वाला नहीं था।

श्री रामकुमार : सवाई माधोपुर के बारे में सारी बातें गलत हैं।

श्री रामकिशन :-आपका जवाब नहीं। माननीय गृह मंत्रीजी की बात सुनेंगे तब कोई राय बनेगी।

श्री शंकरलाल : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से श्री रामकुमार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके मामले को यहां बहस में लाना मेरे खयाल से कतई मुनासिब नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो सवाई माधोपुर जिले—

श्री मदनसिंह : रामकुमारजी वकालत करते हैं वह सही है या गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जो क्रिमिनल आफेन्स हुए हैं जिनकी नेचर मैंने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाउस के सामने रखी है, जिनके इन्स्टान्सेज मैंने हाउस के सामने रखे हैं, उनके अन्तर्गत राजस्थान की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसने दबाव में आकर कार्यवाही नहीं की, किसी लीडर के दबाव में आकर कार्यवाही नहीं की, और ये मुकदमें, अध्यक्ष महोदय, 1, 2, 3, 4 और 5 साल पहले के यानि 65 तक के हैं और 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 यानि 6-6 और सात-सात साल के मर्डर केसेज, रेप के केसेज, मारपीट के केसेज, 307 के केसेज........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन सारे मामलों के इन्स्टान्सेज दिये हैं, अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी, आप यह कहकर नहीं चल सकते कि मने माननीय मुख्य मंत्रीजी के दबाव में आकर, आप यह कहकर नहीं चल सकते कि कैप्टिन छुट्टनलाल के दबाव में आकर नहीं किये। आप इस हाउस के लिए जिम्मेदार हैं। आपने संविधान की शपथ खाई है, और मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे मामलों में पुलिस विभाग ने अगर दबाव में आकर कार्यवाही नहीं की—चाहे वह छुट्टनलाल जी का दबाव हो, चाहे वह नाथूरामजी का दबाव हो, चाहे मोहनलालजी सुखाडिया का दबाव हो, और सवाई माधोपुर जिले की हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, और जो हालत सामने आई है कि कैप्टिन छुट्टनलालजी सवाई माधोपुर जिले के जनरल डिक्का खां बने हुए हैं। उनकी हर बात चलती है। जिसको चाहें उसकी मदद करें, जिसको न चाहें उनके खिलाफ चालान होगा, जिसको चाहें उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आज सारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहता। राजस्थान के गृह मंत्रीजी कहते हैं कि "उनके दबाव में आकर आपने उनकी कॉन्स्टीटुएन्सी को फीड आउट किया है, आपने सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, आपने राजस्थान के अन्दर........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके ऊपर जो स्वच्छ प्रशासन, जो न्याय देने की जिम्मेदारी है, पुलिस का काम है,

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पूरी नहीं होने पर आपने त्याग-पत्र की धमकी दी है, आपने पी०सी०सी० में अपना त्याग-पत्र आफर किया है। जब आप पी० सी० सी० में आफर कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बड़े सीरियस एलिगेशन्स हैं। आपके ऊपर दबाव था, आप कार्यवाही नहीं कर सकते थे तो आपकी संविधान के प्रति निष्ठा थी वह मांग करती थी कि अगर दबाव में आकर काम नहीं कर सकते थे तो त्याग-पत्र देकर कांग्रेस के बाकी के मैम्बर्स के साथ में आकर बैठ सकते थे। दबाव में कार्यवाही नहीं करते हुए आप त्याग-पत्र देकर कांग्रेस के बाकी मैम्बरों के साथ आकर बैठें। अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य समाप्त करें, काफी हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रशासन में पुलिस प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल ठप्प हो गया है, गृह मंत्री कार्यवाही नहीं कर सकते, मुख्य मंत्री हस्तक्षेप करले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं, कप्तान छुट्टनलाल हावी हैं, आप नहीं कर सकते तो क्यों आप इस पद को लज्जित करते हैं, इसको आप छोड़ दीजिये.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन शब्दों के साथ मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के सामने रखा था, मेरे पास इसके अलावा इन्स्टान्सेज बहुत थे, जिनमें केस रजिस्टर नहीं हुए हैं, घटनाएं ऐसी अनेक हुई हैं लेकिन उनके केस रजिस्टर नहीं हुए हैं, लेकिन उनको मैं सदन के सामने न रखते हुए मैंने मोटे तौर पर अपने विचार रखे हैं जिनमें कम्प्लेन्ट लाज की गई है, एफ० आई० आर० दर्ज की गई है, चार्ज शीट तैयार की गई है लेकिन आज तक उन मामलों का चालान नहीं किया, प्रोसीक्यूट नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है....

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण हो चुका है, डिटेल में हो चुका है, तथ्य दे दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत से तथ्य नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष : उनके अतिरिक्त और हों तो प्रस्तुत कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था समाप्त होने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहां जयपुर नगर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो अधिवेशन हुआ, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा मंत्रियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाये गये और वह समाचार पत्रों में छपे। यह समाचार पत्रों में ही छपने की बात नहीं है, इस संबंध में कई रोज से मैं इस सदन में कहता आया हूं कि राजस्थान में आज इस कांग्रेस की हुकूमत के द्वारा सूबेदारी सिस्टम कायम कर रखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तथ्य पर आ जायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कह रहा हूं, आप जल्दी न करें, यह मामला गम्भीर है।

इस तरह राजस्थान सरकार को चलाने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आरोप लगायें और आप उकडूं-मुकडूं होकर निकाल देना चाहते हैं—इसलिए आप इसमें जल्दबाजी न करें, अध्यक्ष महोदय, इस मामले को सही तौर से मैं रखना चाहता हूं।

तो सवाई माधोपुर को लेकर अधिवेशन में इस प्रकार की चर्चा हुई, एक तरफ गृह मंत्री छुट्टनलाल पर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ छुट्टनलाल गृह मंत्री पर आरोप लगाते हैं। पिछले सेशन में इस सदन के एक डिप्टी मिनिस्टर भी भूख हड़ताल पर बठे थे, उनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं कि अपनी जाति के डकैतों को राशन वगैरा सप्लाई किया। उनके खिलाफ एस० पी० गुमानसिंह......

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न यहां नहीं, माननीय सदस्य !

श्री जगन्नाथ : किस जाति के मिनिस्टर हैं, और वह डकैत का नाम लें, क्या है ? गूजर का है, जाट का है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में न बोलिये, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। बैठिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : रूपा नाम का जाट है।

श्री जगन्नाथ : नाम, कौन डाकू है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने ठेका ले लिया है ?

श्री जगन्नाथ : आपने ठेका ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप बैठ जाओ।

श्री जगन्नाथ : इस तरह जोर है आपका ?

श्री रामचन्द्र आर्य : एक डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दी, और उन्होंने उसके विरुद्ध भूख हड़ताल की। प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसा नहीं है कि कोई डिप्टी मिनिस्टर भूख हड़ताल करे। कोई सरकार का मंत्री भूख हड़ताल करे–इस प्रकार की घटना राजस्थान में हुई। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, न कोई छुट्टनलाल को अच्छा आदमी कह सकता है, न शिवचरणसिंह को अच्छा कह सकता है, न दामोदरलाल को अच्छा कह सकता है। एक जिम्मेदार पद पर बैठ कर एक दूसरे पर छींटाकसी करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से परे भागने की चेष्टा करते हैं। मुझे वह काम नहीं करने देते–यह गृह मंत्री, दामोदर लालजी ने कहा–मैं मुख्य मंत्री को लिस्ट दे दूंगा, जो आरोप हैं वह जांच करवा कर निर्णय कर सकते हैं। फिर आप किसके लिए कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है ? आप गृह मंत्री हैं तो क्या आपका कर्त्तव्य नहीं है ? आपको उनका चालान करना चाहिए। कोई मेम्बर हो, कोई मंत्री हो यदि वह कत्ल करता है तो क्या आप उसको बचाने की चेष्टा करेंगे......

श्री अध्यक्ष : आप भाषण देने लग गये।

श्री शिवचरणसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन !

श्री रामचन्द्र आर्य : जब चोरों में फूट पड़ती है......

श्री शिवचरण सिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन !

श्री रामचन्द्र आर्य : जब चोरों में फूट पड़ती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय उप-मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बाद में कह सकते हैं। पहले मैं कह लूं। इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री शिवचरणसिंह !

श्री रामनारायण चौधरी : यह एक्सपंज होना चाहिए, जो भी माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य ने अभी मेरे बारे में बात कही है। आज चर्चा का विषय था उसमें कहीं मेरा रेफरेन्स नहीं है।

श्री रामकिशन : है।

श्री दौलतराम सारण : आप भी उस पार्टी के हैं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय ने हुक्म दिया था कि नई बात कहें।

श्री अध्यक्ष : लेट हिम से।

श्री शिवचरणसिंह : मेरे बारे में सदन में चर्चा हो चुकी है। मैं माननीय सदस्यों को सबको चेलेन्ज करके कहता हूं, इतना लम्बा समय दिया है, आपके कोई ग्रिवेन्सेज हों, चार्जेज मेरे खिलाफ हों, डाइरेक्ट चार्जेज-उनका मैं उत्तर दूंगा और मैं उनको फेस करने के लिए तैयार रहूंगा।

श्री रामकिशन : फिर आप कह रहे हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : इसीलिए आपको उप-मंत्री नियुक्त किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस अधिवेशन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हर आदमी न मंत्रियों पर आरोप लगाये, मंत्रियों को अपना आचरण ठीक करना चाहिए।' तो सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाला पार्टी का अध्यक्ष है, वह इस प्रकार के आरोप लगाये तो इस संबंध में चिन्ता होना स्वाभाविक बात है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ये चोर ही चोर हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अब मैं कुछ घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नई घटनायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं गृह मंत्री का ध्यान नहीं, बल्कि मख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हू क्योंकि गृह मंत्री तो खुद इस मामले में फंसे हुए हैं। उन्होंने खुद ने कहा है...

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा प्रश्न कन्वर्ट कर दिया है, मेरा तो स्थगन प्रस्ताव था.....

श्री अध्यक्ष : अब जो हुआ वह हुआ, इस पर आ जाइये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने यह लिख दिया उसमें कि गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। क्या इनका ध्यान आकर्षित करेंगे, इन्होंने तो कहा है कि मख्य मंत्री जी जांच करें, मेरे वश का नहीं है, वह जांच करलें जो निर्णय करना चाहें वह करें। यह गृह मंत्री ने बात कही है। इसी तरह से गंगानगर जिले में पिछले दिनों मादरा में कत्ल हुआ उसके बारे में मैंने मांग की कि इसकी सी०बी० आई० से जांच कराई जाय। यह राजनैतिक कत्ल है, इसके संबंध में गृह मंत्री ने इस बात पर लीपा पोती कर दी। इसके अलावा और न मालम कितने केसेज हुए है, चूरू जिले के बारे में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप थोड़ी बात सुन लीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सही....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सारे राजस्थान का नहीं है, सीमा का है, गंगानगर, चूरू सब कैसे आ गये इसमें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा प्रस्ताव है, उसकी भाषा पढ़े। मैंने लिखा है, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर......

श्री अध्यक्ष : मैंने सीमा में आबद्ध कर दिया है, इसलिए सीमा में बोलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर, चूरू में जो घटनायें हुई......

श्री अध्यक्ष : गंगानगर, चूरू का नहीं है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है। आर्डर, आर्डर !

श्री रामचन्द्र आर्य : समूचे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष : आप सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : समूचे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष : समूचे राजस्थान का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, आप सीमा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर ही बोलेंगे, समूचे राजस्थान पर नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं गंगानगर, चूरू के बारे में अवश्य कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं देता। आप सीमा में बद्ध होइये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सतीशचन्द्र जी ने जो बात कही वह आपने सुनी, मेरी बात सुनना पसन्द नहीं करते हैं-यह भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि अध्यक्ष एक सदस्य को पूरी फैसिलिटी दें और दूसरे सदस्यों को आसन की तरफ से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : इजाजत नहीं दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय, श्री आर्य, स्थान ग्रहण करें।

यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विशष प्रस्ताव है, विशेष क्षेत्र का, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करके उस सीमा में ध्यानाकर्षण करने की आपको इजाजत दी है-इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे राजस्थान की स्थिति को यहां पर रखना आरम्भ करें। इसलिए पुनः निवेदन करूंगा, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसी सीमा में आप बोलें।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है कि "प्रदेश में नेताओं द्वारा राज्य प्रशासन में कथित हस्तक्षेप के संबंध म"।

श्री अध्यक्ष : जो अखबारों में आया है उस संदर्भ म कटिंग की गई है। अगर समय का उपयोग नहीं करना चाहते, सारी पुलिस पर डिबेट करना चाहते हैं, तो मैं समय नहीं दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अखबारों में कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में जो आया है, उस संबंध में कह देना चाहता हूं कि चूरू जिले में.....

श्री अध्यक्ष : मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदन किया है वक्तव्य देने के लिए, वह सीमा के अन्तर्गत है। आप सीमा से बाहर तथ्य रखेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस संबंध में राजस्थान के गृह विभाग के सामने जो भी इस प्रका

Page No 63

(श्री रामचन्द्र आर्य)

की घटनायें आती हैं, उनको कांग्रेसी लोगों के कहने से दबाया जाता है। चरू जिले में कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं द्वारा कत्ल करवाया....

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सही बोलता हूं। इसी तरह से....

श्री लाभचन्द वैद : मुख्य सचेतक इस तरह का व्यवहार करते हैं, लज्जा आनी चाहिए।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं फिर से माननीय श्री आर्य से निवेदन करूं कि आप सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के महत्व को खो देना चाहते हैं व्यवधान डालकर। मैंने आबद्ध किया है सीमा में, उस सीमा के अन्तर्गत मुख्यमंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। आप गंगानगर और चूरू ले रहे हैं, न मालूम कौनसे जिले आप लेने वाले हैं। आप अपनी सीमा में इस प्रश्न पर ध्यान आकर्षण कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सीमा के अन्दर रहता हूं, मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं, न कि गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सिर्फ गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए है।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान प्रदेश की 2।। करोड़ जनजीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है और मुख्य मंत्री के अंदर में जितने मंत्री हैं.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : सारे के सारे इस प्रकार से जो गलत कार्यवाहियां कर रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज सारे राजस्थान में अव्यवस्था फैली हुई है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूबेदारी सिस्टम है, इसको समाप्त किया जाए, प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया जाता है, एम० एल० एज० और मंत्रियों द्वारा आए दिन अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। जो दुर्घटनायें होती हैं दबाई जाती हैं। गंगानगर में एकसीडेंट हुआ गाड़ी में मनफूल सिंहजी बैठे हुए थे लड़का मार दिया.......

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान में आए दिन घटनायें होती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जन जीवन को झकझोर करने वाली कार्यवाहियां यह सरकार कर रही है और मंत्रियों से शासन नहीं संभलता है या जानबूझकर इस बात को नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल इस प्रकार का कोई दबाव है कि काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनको त्याग-पत्र देना चाहिए ताकि किसी सबल हाथों में प्रशासन रहे ताकि जितने मामले हैं सामने आयें। एक सवाई माधोपुर ही नहीं, दूसरे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्थानों में भी अनेक प्रकार की घटनायें हुई

Page No 64

(**श्री रामचन्द्र आर्य**)

हैं और उसी का परिणाम है और इनाम है कि जो घटनायें होती हैं वह इस बात को लेकर एक दूसरे एम० एल० ए० या एक दूसरे मंत्री का जहां टकराव होता है, वह सामने आता है, बाकी......

श्री अध्यक्ष : काफी हो चुका, पर्याप्त है। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस संबंध में गृहमंत्री से, आप मुख्य मंत्री से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिलायें तब तो हम समझेंगे कि आज जो हमने इस सरकार के सामने सदन का ध्यान आकर्षित किया है ....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठ जाइए।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब सदन क्या कहना चाहता है? स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : पनेल के एक चेयरमेन माननीय श्री राम नारायण चौधरी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्रीएट करते हैं, वह उनको उत्तेजित करते हैं। आप उनको जरा कुछ कहें कि व्यवधान पैदा न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी थोड़ा अपने सदस्य से कहें।

श्री अध्यक्ष (श्री रामानन्द अग्रवाल से) : आपका इसमें नाम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही है कि मेरा नाम नहीं है परन्तु यह मामला....

श्री रामचन्द्र आर्य : नाम भी नहीं है और आपसे जब हमने निवेदन किया कि इस प्रस्ताव पर दस्तखत करें तो इन्कार हो गए, अब बोलना चाहते हैं। दोनों बातें नहीं होनी चाहिएं।

श्री दामोदर लाल व्यास : रामानन्दजी का नाम नहीं है, न कोई इनका संबंध है। मेरे खयाल से इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए।

श्री मदनसिंह : यह जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैंने जो आपको बोलने के लिए कहा था यह समझकर कहा था कि आपका इसमें नाम है। इसलिए मैं प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा जिनके नाम हैं, उसके बाद में इस संबंध में सोच लूंगा। श्री केदारनाथ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जिनके नाम हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, लेकिन दो मिनिट के लिए आपकी आज्ञा से मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्कोप लिमिटेड है, मगर इसका बैंक ग्राउन्ड यह है कि पी०सी० सी० के हैड ने जो लिखित एड्रेस पेश किय

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री केदारनाथ)

उसमें उन्होंने इंडीकेशन दिया कि प्लान की प्रायरिटीज रीजनल व पोलिटिकल बेसिज पर तय होती हैं। तो यह पार्टी का इन्टरनल मामला नहीं है, यह पब्लिक मैटर बन गया।

दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेशन में रीजनल और पार्टीजन इन्टरेस्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है।

तीसरी बात कही मंत्रीमंडल के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका कन्डक्ट और केरेक्टर अबोव बोर्ड नहीं कहा जा सकता और उनके आचरण से कांग्रेस वालों को जनता में शर्मिंदा होना पड़ता है।

ये सीरियस एसपर्शन्स हैं, ये पब्लिक कंडक्ट के क्षेत्र में आते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण आदमी जो मंत्रीमंडल का सदस्य रहा हो उसके बाद हट गया, अब एम० पी० बन गया, कांग्रेस का चीफ है, उसकी स्पीच में, एड्रेस में सारे एडमिनिस्ट्रशन पर इस तरीके से कहना कि राजस्थान में कोई एड-मिनिस्ट्रेशन नहीं, नौकरशाही और लालफीता शाही आ गई है, मंत्रिमंडल के सदस्यों का केरेक्टर अबोव बोर्ड नहीं है तो इसको हम इन्टरनल मामला नहीं कह सकते। मैं यह भी मानता हूं कि पार्टी के अंदर जितनी अच्छी क्रिटिसिज्म हो, वह पार्टी की हैल्थ के लिए अच्छा है। मैं मानता हूं कि जिस पार्टी को जिन्दा रहना है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे ऐतराज है, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रेजीडेन्शल एड्रेस पर या प्लान प्रायरटीज पर नहीं है, सिर्फ सवाई माधोपुर जिले के संबंध में जो डिस्कशन हुआ उसके संबंध में, उसके बाहर बहस नहीं हो सकती।

श्री केदारनाथ : मैं उसी पर अपने को कन्फाइन करता हूं।

श्री रामकिशन : इतना कन्जरवेटिव एटीट्यूड क्यों ले रहे हैं ?

श्री मदनसिंह : सदस्यों पर मशीन लगा दो जो जीभ को कन्ट्रोल करे ताकि बोल ही नहीं सकें।

श्री केदारनाथ : जिस डाइलाग की चर्चा की गई है वह गृहमंत्री श्री दामोदर लाल व्यास और कैप्टन छुट्टनलाल के बीच होता है, वह परसनल मैटर नहीं है। परसनल मटर्स पार्टी के अन्दर हुआ करते हैं मगर जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई व्यक्ति कहे कि फलां होम मिनिस्टर ने सैबाटेज किया, काम नहीं करते, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन में सुधार न हो पाया, इसके होते हुए गृहमंत्री कहें कि मुझे अपने काम करने में बाधा पहुंचाते हैं, वह इस इन्टरफीयरेंस को बरदाश्त नहीं करते तो यह पब्लिक मैटर है। इसलिए यह सीरियस मैटर हो जाता अगर मुख्यमंत्री इन्टरवीन नहीं करते। तो सतीशचन्द्र जी ने जो मुद्दे रखे हैं सारे केसेज में, उनको प्रोब करे कि इस मसले का स्कोप छोटा होते हुए भी मंत्रीमंडल पर एस्पर्शन्स पी० सी० सी० के चीफ को क्यों लगाने पड़ते हैं। राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जो बयान श्री नाथूरामजी मिर्धा और माननीय गृह मंत्री ने दिये हैं वे इस सदन में विचारार्थ हैं और उस संबंध में हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। सतीशचन्द्रजी ने तथ्य रखे हैं। ऐसे और भी हैं। वह ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि अखबारों में गृह मंत्री जी ने बयान दिये हैं। दो बात कही है।

(1.20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अखबार में कोई बयान नहीं दिया है। मेरा कोई बयान नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई कान्ट्रा-डिक्शन नहीं है अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनके संबंध में। अखबारों में खबरें प्रकाशित होती हैं वे तथ्यों के आधार पर होती हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह अखबारों में समाचार छपे हैं यह कह कर आप टालना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा है कि मैंने समाचार पत्रों को कोई बयान नहीं दिया है।

श्री रामकिशन : यह बात सही है कि पी० सी० सी० के अन्दर जो कार्यवाही हुई और अखबारों में जो रिपोर्टिंग हुई उसके संबंध में आपको कोई एतराज नहीं है। उनमें यदि साहस का अभाव होगा तो वे कह देंगे कि उन्होंने गलत छाप दिया। वे इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि पी० सी० सी० में जो कुछ कहा है वह न तो आपके और न आपके दल का अन्दरूनी मामला है। न काल अटेन्शन मोशन ही इस बात को कहता है। तीन बड़े मुद्दे सामने हैं। पहली बात तो आपका यह कहना है कि राज्य के प्रशासन में कैप्टिन छुट्टनलालजी का दखल इतना ज्यादा है कि सवाई माधोपुर में नकसली कार्यवाही की गतिविधि पैदा हो गयी है। दूसरा आपने उन केसेज का जिक्र किया है, स्टटमेन्ट जो प्रेस में छपा है आपकी मार्फत, उसमें यह जिक्र करके कहा है कि कुछ फाइलें मुख्य मंत्रीजी ने मंगाली हैं जिसकी तलाश की जा रही है। तीसरी जानकारी मैं यह चाहूंगा कि वे कौन कौन से मामले हैं और कितने हैं जिनको मुख्य मंत्रीजी ने अपने पास में डाल रखा है। चौथा सवाल पैदा होता है उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी की हैसियत से आपको छुट्टनलालजी ने कौनसी बातें कहीं। शिवचरणसिंह जी ने भी कुछ कहा है। ऐसे केसेज राज्य में बढ़ रहे हैं गति विधियां बढ़ रही हैं।

मैंने तीन चार प्रश्नों के रूप में यह रखा है। इसका स्पष्ट उत्तर माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा, दहेज और बयान की बात के लिये तो जब इच्छा होगी आप कह देंगे। इन के आलावा और कितने केसेज हैं जो सतीशचन्द्रजी ने बताये हैं जिनमें दबाव डाला गया और रोका गया है और उनको रख दिया है। मुख्य मंत्रीजी के पास कितनी फाइलें हैं जिनका डिस्पोजल नहीं हुआ है और माननीय मिर्धा साहब ने जो कुछ कहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते और दल को सुधारने की दृष्टि से जो कुछ कहा है, अब तक राज्य की जनता पर जो पर्दा डाला गया था वह पर्दा उठ चुका है और सारी बातें सामने आ गयी हैं जो कि पार्टी के जीवन के लिये भी आवश्यक हैं। उन्होंने यह कहा है कि आमतौर पर मंत्री लोग रिश्वत लेते हैं और उनका कन्डक्ट अच्छा नहीं है......

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है।

श्री रामकिशन : यह हल्ला करके आप बन्द नहीं कर सकते।

Page No 67

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बिल कुल गलत कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : आप और जोर से बोलिये। आप जिस बात को कहते हैं......

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी आदत है मजाक करने की। आप किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। गलत बात कह देते है।

श्री रामकिशन : मेरे पास अंग्रेजी का यह "अपरोर" है जिसका सारांश यह है कि मा० बरकतउल्लाजी ने और हरिदेवजी जोशी ने स्पष्टीकरण चाहा तो कहा कि स्पेसिफिकली नहीं कहा है किसी के लिये। तीन चार मुद्दों के लिये जो मैंने रखे हैं उनका स्पष्टीकरण माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा और तब ही दूसरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री नाथूलाल करोल : मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिनका नाम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में है वे ही बोल सकते हैं। सब को इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि प्रायोरिटी उनको देंगे जिनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में नाम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मा० रामानन्दजी का नाम ध्यान आकर्षण पर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उनका नाम है तो पहले उनके बाद में दूसरों को देने के लिये अध्यक्ष महोदय ने कहा है। सवाई माधोपुर से सम्बन्धित है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं कहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहा है। पांच पांच मिनिट कहा है।

श्री गिरधारीलाल : पांच पांच मिनट क्या कहेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के रूप में कहूंगा कि सवाई माधोपुर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सहकारी बैंक के नाथूसिहजी ने 20 हजार की जीप और 27 हजार रुपये मरम्मत में खर्च किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम फेक्टस रखना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बहस को लम्बा न करें।

××× अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं दो मिनिट चर्चा करना चाहूंगा । मेरा नाम इसमें नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा था आप विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय, मेरी दिक्कत यह है कि इन मामलों की लम्बी चर्चा हो तो यह बात नहीं होनी चाहिये पी० सी० सी० के मामले आयें । ध्यान आकर्षण में नाम है तो कह दें । सीमा तो मान कर ही चलना पड़ेगा । पुलिस से सम्बन्धित मामले और छुट्टनलालजी से सम्बन्धित मामले हैं तो वे भी नहीं आ सकते हैं । एक दो कहना चाहें तो कह द लेकिन लम्बी चर्चा हो रही है इसलिये में मजबूर हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में साफ लिखा है कि राज्य के प्रशासन में कितना हस्तक्षेप है। इस सम्बन्ध में दो तीन मिनिट से अधिक नहीं बोलना चाहता था। सिद्धान्ततः मेरा अधिकार नहीं है । रामानन्दजी को आज्ञा दी है बोलने के लिये...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको आज्ञा नहीं दी है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सिद्धान्ततः इस अनुचित मामले में कुछ नहीं बोलूंगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जिस मामले को लेकर सदन में अभी चर्चा हो रही थी वह एक साधारण सी घटना थी । जिसे इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है । वसे तो यह कांग्रेस संगठन का बिल्कुल आन्तरिक मामला है । मगर ये जिस तरह समाचार पत्रों म छपा है, उनसे मैं इनकार भी नहीं करता हूं । इस प्रकार की चर्चा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जरूर हुई थी लेकिन जिस तरह से जयपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा है उस तरह की बात नहीं थी । वास्तव में पी०सी०सी० की मीटिंग में छुट्टनलाल जी ने कुछ मेरे खिलाफ कहा था और उसका जवाब मैंने दिया था कि कुछ केसेज में छुट्टनलाल जी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि इन केसेज में प्रोसीक्यूशन नहीं होना चाहिए । पर जसा कि सतीशचन्द्रजी ने कहा कि छुट्टनलाल जी ने कुछ मुकदमों के चालान नहीं करने का दबाव मुझ पर डाला इसलिए उन केसेज का चालान अभी तक नहीं हो रहा है–यह सही नहीं है । उनके कहने की वजह से चालान नहीं हुआ है । यह गलत है । दूसरे उन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्री मेरे डिपार्टमेन्ट में हस्तक्षेप करते हैं–यह भी सही नहीं है और मैंने कभी यह नहीं कहा कि मख्य मन्त्री मेरे ऊपर दबाव डालते हैं । आज डेमोक्रेसी का युग है और डेमोक्रसी के युग में सब को अपनी बात कहने का हक है । इस प्रकार छुट्टनलाल जी ही क्यों, कई विरोधी दल के सदस्य भी आम तौर पर उनके मसले लेकर आते हैं । मेरे पास आते हैं । कई माननीय सदस्य यहां आकर कहते हैं कि इस मामले में प्रोसीक्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोसीक्यूशन किसी केस में करना या नहीं करना तो केस की तफतीश के ऊपर निर्भर करता है । पर प्रजातन्त्र में सबको संबंधित मन्त्री के पास जाने का हक है। तो मैं समझता हूं इसमें यह कहना कि मैं दबाव में आ गया हूं और चालान पेश नहीं किये जा रहे हैं सही नहीं है ....

श्री रामकिशन : आपका यह कहना कि दबाव डाल रहे हैं

श्री दामोदरलाल व्यास : वे दबाव डाल रहे हैं–आप मतलब नहीं समझे । मेरा कहने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में तो यह इनएवीटेबल है। माननीय सदस्यों को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दबाव डालकर अनुचित काम मेरे से कोई करा नहीं सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दबाव का मतलब यही है कि अनुचित तरीके से कराने की कोशिश करते हैं, कई एम०एल०एज० अनुचित काम कराने आते हैं.......

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बीच बीच में इन्ट्रप्शन किये जाते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है आपका। इस तरह से तो there is no end to it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यदि और सभी सदस्यों के बारे में कहते हैं तो इन्ट्रप्शन करना पड़ता है। हमारा अधिकार है कि हम आपको जाकर सही स्थिति बतावें। आप जो बात कह रहे हैं वह ठीक नहीं कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। गृह मंत्री अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अपनी बात संबंधित मंत्री को जाकर कहने का हक सबको है। जनता को कोई प्रतिनिधि आकर कह सकता है, कोई भी माननीय सदस्य जाकर कह सकता है और इस तरह से कोई भी मंत्री दूसरे मंत्री को कह सकता है। अगर इसम कोई दबाव जैसी बात हो तो यह तो कनसर्निंग मंत्री है वह अपना डिस्क्रीशन जुडिशियरली करे, उसे तो फैसला जुडिशियसली करना पड़ता है कि आया इस केस का प्रोसीक्यूशन करना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि छुट्टनलाल जी के कहने से मैंने कोई कार्यवाही नहीं की या चालान उन केसेज में पेश नहीं किये जायेंगे। यह बात गलत है पर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यह बात भी सही है कि कुछ मामलों में छुट्टनलालजी ने मुझ पर दबाव डाला था कि इन केसेज में प्रोसीक्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं उनके दबाव में आ गया हूं। दूसरी बात जो यह है कि जैसा कि अखबारों में छपा है कि मुख्य मंत्री मेरे महकमे में हस्तक्षेप करते हैं–यह बात मैंने पी०सी०सी० की मीटिंग में नहीं कही थी। वास्तव में जब छुट्टनलाल जी के दबाव में मैं नहीं आया तो उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को दरख्वास्त दी। उनकी दरख्वास्त पर मुख्य मंत्रीजी ने उन केसेज की फाइलें देखने को मंगायी। मुख्य मंत्री मंत्री मण्डल के नेता हैं उन्हें किसी भी विभाग के किसी भी मामले की संबंधित फाइलें मंगाकर देखने का अधिकार है। अगर कोई मंत्री के खिलाफ शिकायत की जाती है तो वह भी मुख्य मंत्रीजी को जाती है, वे किसी केस के बारे में संबंधित मंत्री को एडवाइज कर सकते हैं उन्हें हक है। वे कह सकते हैं कि इस मामले में इस प्रकार का एक्शन होना चाहिए। उनको पूर्ण अधिकार है। मगर केसेज की फाइल मंगा कर देखने से यह तो मतलब नहीं निकल सकता कि वे मेरे महकमें में हस्तक्षेप करते हैं। यह मतलब निकालना गलत है। अब रहा सवाल इस बात का कि जयपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि सवाई माधोपुर जिले में मुकदमें पुलिस में दर्ज नहीं होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुकदमें दर्ज होते हैं तो उन चालान नहीं होते हैं। आपका मेरे ख्याल से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसमें कहने का तात्पर्य यह था कि छुट्टनलाल जी के दबाव से यह नहीं होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छुट्टनलाल जी तो क्या, चाहे कोई भी हो, मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं चलता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक भी ऐसा मामला आप नहीं बता सकते हैं कि जिसमे छुट्टनलालजी ने मुझ पर दबाव डालकर अनुचित फैसला करा लिया हो और वो केस अदालत में नही गये हों। हां कुछ मुकदमें आपने पेश किये हैं जिनके अन्दर अभी तक चालान पेश नहीं किये जा सके हैं पर उन केसेज में चूंकि तफतीश अभी तक पूरी नहीं हुई होगी इसलिए अभी तक चालान पेश नहीं किये गये हैं। वे केस किसी दबाव के कारण......

एक माननीय सदस्य : कुल कितने मुकदमें हैं......

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मुमकिन नहीं है कि मैं सारे मुकदमों की जानकारी रखूं। लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा कि जिन जिन केसेज में चालान नहीं हो रहे हैं उनमें तफतीश को पूरा करने की बराबर कोशिश की जा रही है। जिन केसेज में 3-4 साल लग गये हैं वह दबाव की वजह से नहीं लगे हैं। किसी अन्ड्यू इन्टरवेन्शन से नहीं लगे हैं। किन्तु उन मामलों में कुछ ऐसी पेचीदगियां पैदा हो गयी हैं कि उनमें समय लगना बहुत आवश्यक था। आपने सबसे पहले जो कल केसेज की लिस्ट दी थी और उस लिस्ट मे कुछ केसेज आज एडीशन करके दिये हैं—उन केसेज में कुछ मुद्दें आपने यहां उठाये हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(1) एक श्री लक्ष्मण प्रसाद के मामले को लेकर कहा गया है कि इसमें चालान पेश नहीं किया गया है। इसमें मेरा निवेदन है कि यह बात सही है कि भरतराम ने श्री लक्ष्मण प्रसाद क्लर्क के साथ मारपीट की, यह बात भी सही है कि उसके चोटें आयीं और यह बात भी सही है कि उसे करौली के अस्पताल भेजा गया था। वहां के मेडिकल ऑफिसर ने उसकी चोटों को साधारण चोटें बतायीं। उसके बाद में वहां से बड़े अस्पताल गंगापुर भेजा गया वहां उसके आपरेशन हुआ। वहां के डॉक्टर ने उसे ग्रिवीयस हर्ट का मामला होने की रिपोर्ट की......

एक माननीय सदस्य : क्या यह बात सही है कि पहले मेडिकल रिपोर्ट में सिम्पल इन्जरी लिखा हुआ था और बाद में दूसरे डाक्टर ने ग्रिवीयस हर्ट का लिखा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात सही है कि करौली के डाक्टर ने साधारण चोटें बतायीं, उसके बाद में गंगापुर के मेडिकल आफिसर ने ग्रिवीयस हर्ट की रिपोर्ट दी। पहले चूंकि डाक्टर ने सिम्पल इन्जरी का सर्टीफिकेट दिया था और चूंकि सिम्पल इन्जरी नॉन कोग्नीजेबिल आफेन्स होता है इसलिए पुलिस ने उसका कोग्नीजेन्स नहीं लिया। यह मामला सिम्पल इन्जरी का था, केस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गया। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसे पुलिस ने काग्नीजेबिल आफेन्स क्यों नहीं माना। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट खुद भी तो एमपावर्ड है इसके लिए। वह पुलिस को डाइरेक्शन नहीं दे सकता है। यह तो आप भी जानते हैं कि क्रिमिनल प्रासीजर कोड के अनुसार पुलिस का डिस्क्रिशन होता है और मैं आपको जानकारी

Page No 71

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के लिए यह भी बता दूं कि ऐसा एक हाई कोर्ट से फैसला हुआ है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वह पुलिस को डाइरेक्शन दे सके। इसके बाद में मेरे पास शिकायत आयी और आप जो यह कहते हैं कि मैं इस केस में दबाव में आगया हूं— यह बात नहीं है। मैंने तो इस केस में क्या एक्शन हुआ, रिपोर्ट मांगी। इसमें पता चला कि लक्ष्मण प्रसाद दो माह 26 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। और 26 दिन से ज्यादा रहने से अस्पताल में वह केस ग्रीवियस हर्ट का हो जाता है। वहां के मेडिकल आफिसर ने लिखा कि लक्ष्मण प्रसाद अस्पताल में भर्ती था। वह अपना काम काज नहीं कर पाता था। अतः यह ग्रिवीयस हर्ट के आफेन्स में आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इसकी जांच एस० पी० क्राइम ब्रान्च से व डी० आई० जी० पुलिस से करवायी थी। उन्होंने तफतीश पूरी करके रिपोर्ट दी है कि केस का चालान कर दिया है।

श्री मदनसिंह : कौन हैं ये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री भरतराम भूतपूर्व विधायक।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो पुलिस ने इस केस में दो दो बार एफ० आर० कैसे दे दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए दे दी कि पहले पुलिस डिपार्टमेन्ट के पास जो मेडिकल रिपोर्ट आयी उसके अनुसार सिम्पल इन्जरी लिखा था....

श्री मदनसिंह : आपने उस डाक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चलिये चलिये आगे चलिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरा मुकदमा आपने एक प्रमुख के खिलाफ पिस्तोल वाला बताया। इस केस में आपकी जानकारी के लिये बतादूं कि इस मुकदमे की तफतीश एस० पी० क्राइम ब्रान्च व डी० आई० जी० पुलिस से करवायी गयी है। इसमें भी फैसला किया है कि उसका चालान पेश किया जावे, अतः यह केस जल्दी ही न्यायालय में पहुंच जायेगा।

तीसरा मुकदमा आपने बैंक के मैनेजर देवीप्रसाद के भाई के बारे में बताया है। इसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं कि इस केस में तफतीस चल रही है। यह बात सही है कि इस तरह से जनसंघ की तरफ से पर्चे भी निकाले गये थे, उन पर्चों में सब कुछ लिखा था। पुलिस ने अपने यहां देवीप्रसाद के भाई के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया था। उसमें भी तफतीश चल रही है। जो भी नतीजा होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर ली जावेगी। इसके अलावा आई कैम्प की एक नर्स के रेप केस के बारे में है—मैं आपको जानकारी के लिये कह दूं कि वह केम्प बिल्कुल बोगस था, फर्जी था। उस केम्प में कोई आई आपरेशन नहीं होते थे और जो नर्स का नाम बताया है वह भी असली नहीं है, वह तो कोई दूसरी थी जिला प्रमुख ने मजिस्ट्रेट के सामने हलफनामा पेश किया है जिसमें रेप से इन्कार किया है नर्स से। वह पहले वाले पति को छोड़ चुकी है। आगरे के पास रहती है। यह आपका ख्याल मार डाला, गलत है। यह बात सही नहीं है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जैसा आप सोचते हैं, उसकी पूरी जांच नहीं हुई, गलत है। आपका समझना तो इस प्रकार का हो गया जैसे मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मजलूम कहती है, रेप नहीं हुआ और आप कहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था क्या ?

(व्यवधान, अश्रव्य)

एडजोर्नमेंट मोशन द्वारा मैंने रेज किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप हर कानूनी मामले में दखलन्दाजी मत किया करें। चार दिन बाद मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं इमीजियेटली।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : फिर भी आफेन्स नहीं बनेगा अगर कन्सेन्ट है तो।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिला प्रमख से कोई झगड़ा हुआ, डिप्टी मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। अन्तिरिक मामला है, झगड़ा हो गया तो कोई इसका उससे सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पुलिस ने कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस में काबिले दर्ख्वास्त नहीं है। इसलिये रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरे तहसीलदार ने थन्डी के इन्सपेक्टर से पेपर्स छीन लिये और मार पिटाई की, उसकी तफतीश पूरी हो चुकी है- आया उसमें सेंक्शन की आवश्यकता है या नहीं, यह देखने की बात है। फैसला कर दिया गया है- सेंक्शन की आवश्यकता नहीं है और मामला अदालत में चालान किया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला किसका था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने एलीगेशन लगाये हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैंने छुट्टनलाल के खिलाफ एलीगेशन नहीं लगाये। कुछ मामलात में इन्होंने मुझ से सिफारिश की या प्रेशर डाला, अब यह तो डेमोक्रेसी के अन्दर प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है मिनिस्टर के पास जाय, रिप्रेजेन्ट करे। मुलजिम भी जाते हैं और मुस्तगीस भी जाते हैं। एक दर्ख्वास्त मुझे लिये जाने का अधिकार है। यह ठीक है, छुट्टन लालजी आये और उनकी बात नहीं मानी, उनको नाराजगी हुई लेकिन यह नहीं कि प्रेशर में आकर किसी को रोक लिया। आप मुझे एक भी मुद्दा ऐसा नहीं बता सकते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तहसीलदार वाले केस मे यह दबाब नहीं था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो पी०सी०सी० की मीटिंग में संकेत था छुट्टनलाल जी ने दबाव डाला, यही मामला था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे चलिए। Go ahead.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा प्रोसेशन निकला था उस समय पृथ्वी राज जी ने मामला उठाया, गोली चली है। यह 1959-60 की बात है। इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। तलाश करने की कोशिश बराबर की जा रही है। मैंने इस केस के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सुबह तक कोशिश की है लेकिन पता नहीं लग सका है, गोली चलाई हो और गोली पड़ी है और अगर यह बात सही है कि चन्द आदमियों के छर्रे लगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस मुकदमें को रि-ओपन करूंगा और इन्वेस्टीगेशन कराऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत पुराना मामला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : रतनलाल मीणा के मर्डर केस के बारे में यह अर्ज करूं कि इस केस में पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ परन्तु अदम कमी की वजह से फाइनल रिपोर्ट दे दी । मैंने कल ही फहरिस्त आने के बाद-क्राइम ब्रान्च में आने के बाद, तफतीश की । इसके लिए मैं विश्वास दिलाता हूं एडीशनल एस० पी० के रेंक के आदमी तफतीश करेंगे, छोटे आदमी तफतीश नहीं करेंगे । कुछ फमीलीज का खंडील गांव के लिए मामला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है । यह सही है वे मुझसे एक रोज पहले मिले थे । मेरी इससे पहले जानकारी नहीं है । गांव से हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया है-इसकी जानकारी नहीं है । कुछ आदमी गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य लेकर भी मुख्य मंत्रीजी के पास गये थे और मुख्य मंत्री जी ने सख्ती से लिखा था-

"Please see that full protection is given to these people".

उसके बाद वे मुझ से नहीं मिले । उसी वक्त इन्तजाम कर दिया गया और वहां पर दो पोस्टें एक सिविल पोस्ट और दूसरी आर० ए० सी० की पोस्ट कायम कर दी । जो आफिसर डप्यूट किये हैं वे वहां पहुंच गये हैं और वापिस उनको घरों पर बसाने की कार्यवाही की जा सके । एस० पी० को बुलाकर यह अदम मौजूदगी में फसल काटने का मामला हुआ-घर से संबंध हटा दिये गये हैं और कई बातें हैं, उनके केसेज रजिस्टर करके इन्वेस्टीगेशन किया जायगा । इसलिए कोई सवाल नहीं है कि किसी के दबाव में आकर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है । इस नक्सलपंथी बात के लिए बहुत जोर दिया है । इस मामले को लेकर मैंने कहा है अगर इस तरह की हरकतें बर्दाश्त की गईं और प्रोत्साहन दिया गया तो सवाई माधोपुर जिले के अन्दर सब नक्सलपंथी की हरकत होने लग जायेंगी । इस केस को लेकर कही गई····।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन परिवारों को कितने दिन तक......

श्री दामोदरलाल व्यास : एक सेकिण्ड सुन लीजिये आप······ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन परिवारों को कितने दिन तक इस गांव में नहीं घुसने दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, 15 तारीख को मिले और 16 तारीख को एस० पी० को बुला लिया और हिदायत कर दी उन्होंने उसी वक्त जाकर, दो आउट पोस्टें कायम कर-एक सिविल पोस्ट दी-बाकायदा रोजनामचा खोल दिया गया और एक आर० ए० सी० की पोस्ट कायम कर दी गई है । एस० पी० को मालूम पड़ा तो एस०पी० ने 22 आदमियों को 107 में, 117 में और 151 में पाबन्द कर दिया है । 22 आदमियों की गिरफ्तारी की गई है लेकिन बात दरअसल यह है कि जिन लोगों को निकाल दिया वे कमजोर थे । डर के मारे नहीं जाते थे······

श्री लाडूराम सुलानिया : जोरदार को तो आपकी जरूरत ही क्या थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है उस पुजारी के खिलाफ, उस लड़के को उड़ाया; यह आरोप सही है ? और इसी मामले में उन लोगों को निकाल दिया। एक लड़के को उड़ाने का आरोप है। मन्दिर के पुजारी के खिलाफ है......

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात जरूर है उनकी कौम के एक व्यक्ति हैं......

श्री मदनसिंह : यह खादू जैसा तो मामला नहीं है।

श्री लाडूराम सुलानिया : मैं यह जानना चाहता हूं नक्सलवादी कार्यवाही केप्टिन छुट्टनलालजी ने की क्या ? इसका जवाब बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : बाद में पूछियेगा, आप मुझ से। यह भी अभी मेरी जानकारी में कतई नहीं है प्रधान मंत्री के पास महिलायें गईं हों और कलेक्टर की शिकायत की हो। इस समय मेरी जानकारी में नहीं है। अलबत्ता यह मालूम है कि गिरदावर को बुलाया था लेकिन और कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। जहां तक रंगी लाल वाली बात है, यह बात सही है कि रंगीलाल की पुलिस को इत्तला है कुछ डकत आते हैं लेकिन पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए है। यह सबूत मिल जाय डकैतों के आने जाने का हारबरिंग करने की शिकायत गई है। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूं, यह ठीक है कि रंगी लाल को लेकर यह बात कही गई है किडनेपिंग वाली। लेकिन आपको मालूम है सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में जो डकैती होती है और किडनेपिंग होती है वह सब बिना रेनसम के वापिस हुई है। उस जिले में रंगाफूला के कोई नहीं हुई है......

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिना पैसा लिये छोड़ते ही नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पैसा किसी के मार्फत देते होंगे, यह गलत बात है कि राजस्थान के किडनेप पैसा देकर आये हैं। भरतपुर जिला, सवाई माधोपुर जिला और कोटा जिला के उसमें सिर्फ बूंदी जिले के जो किडनेप्स हैं वे पैसा देकर आये हैं और उनके अलावा कोई नहीं आया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा जिले के देकर आये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गंगाधर वाले मामले में पैसा देकर आये हैं और पुलिस वाले और परेशान करके पैसा लेते हैं। बिना पैसा लिये कभी नहीं छोड़ते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी जानकारी में है और आपकी पुलिस की जानकारी में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने एक गंगापुर के सब-इन्सपेक्टर के लिए कहा। गंगापुर का सब-इन्सपेक्टर गोपाल सिंह का मामला है और यह यहां विधान सभा में भी आया था। उस मामले में मैंने तुरन्त एक्शन लिया और उसको पुलिस लाइन्स में हाजिर कर दिया और उसके खिलाफ डी० एस० पी० गया था और उसने जा कर इनवेस्टीगेशन किया परन्तु जिस औरत के लिए कहा जाता था कि उसने उसके साथ रेप किया तो उस औरत ने बयान देकर इस बात के लिए इन्कार कर दिया......

श्री रामकिशन : यह सब दबाव से किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब आप हर मामले में दबाव समझ लें और आपने राम कंवार के नाम को इसके साथ जोड़ा था तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)
रामकंवार जी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

एक आपने टिमाम मर्डर केस का जिक्र किया–इसकी मुझे जानकारी नहीं है और मेरे ख्याल से मेरे वक्त का मुकदमा नहीं है और पहले का होगा। इसका कहीं इन्द्राज है या नहीं–इसका मैं नहीं कह सकता। आपने कहां देखा और कैसे देखा यह तो आप ही जानते हैं कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मामलात माननीय सदस्य जयपुर से आये हुए हैं उन्होंने उठाये थे उनको मैंने बताया कि काफी मामलों के अन्दर कार्यवाही हो रही है। जिनमें तफतीश मुकम्मिल हो गयी है उनमें चालान पेश किये जा रहे हैं और जिनकी तफतीश ना-मुकम्मिल है उनको मुकम्मिल कराने के लिए पूरी कार्यवाही की जा रही है। जहां तक केसेज में दबाव या दखल का सवाल है मैंने अर्ज कर दिया कि डमोक्रेसी के अन्दरइसको अवोइड नहीं किया जा सकता और यह बात सही है कि श्री छुट्टन लाल जी कुछ मामलात को लेकर मेरे सामने आये थे और मैंने कुछ बातें उनकी नहीं मानी और मैंने यह भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में कहा था और समाचार पत्रों में भी छपा–वह सही है और यह भी सही है कि कुछ मुकदमों का चालान होने वाला था उसके खिलाफ मख्य मंत्रीजी को दर्ख्वास्त दी श्री छुट्टनलाल जी ने और जिसका देने का अधिकार है और मुख्य मंत्रीजी को जानकारी लेने का अधिकार है इसलिए उसमें भी गलत बात नहीं हुई। इसलिए यह कहना कि प्रशासन ठप्प हो गया है या किसी प्रकार लॉ एण्ड आर्डर में गड़बड़ी हो रही है यह गलत है। लॉ एण्ड आर्डर राजस्थान के अन्दर दूसरे राज्यों के मुकाबले आपको मानना होगा कि बिलकुल बेटर है और मैं अर्ज करूंगा कि जिस दिन लॉ एण्ड आर्डर गड़बड़ होगा उस दिन मैं यहां नहीं बैठने वाला हूं और कोई मुझे दबाकर काम भी नहीं ले सकता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी जानकारी करनी है....

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सतीशचन्द्र जी के प्रश्नों का जवाब दिया लेकिन इसमें प्रश्न और हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई थी। आपने कहा कि प्रेस में छपा वह सही है। हम तो जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी का पत्र है 'टाइम्स आफ इन्डिया' इसमें यह छपा है: "He alleged that Shri Chhuttan Lal and his supporters...."

श्री गिरधारीलाल व्यास : अंग्रेजी बोल रहे हैं?

श्री रामकिशन : अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : चलो, चलो।

श्री रामकिशन : उसमें यह है कि एक दर्जन के करीब केसेज गिनाये थे....

श्री दौलतराम सारण : 50 हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 50 हैं।

श्री रामकिशन : इसमें रिपोर्ट एक दर्जन की है। तो मैं चाहूंगा कि सतीशचन्द्र जी ने कहा यही केसेज हैं या इनके अलावा क दर्जन केसेज और हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा और हमने मान लिया कि मुख्य मंत्री जी का अधिकार है। ठीक है उन्होंने फाइल मंगाई होगी। वह कितनी फाइलें गयी हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके पा कोई फाइल नहीं है। मैंने कहा है, वह तो मुख्य मंत्रीजी ने जानकारी के लिए मंगाई थी और वापिस आगयी।

श्री रामकिशन : "लॉ एण्ड आर्डर" की यही स्थिति रही तो यह मेरी आदत की वजह से और मेरी कान्शस होने की वजह से बरदाश्त किया है और मुख्य मंत्रीजी को यह इस्तीफा ले लेना चाहिए- यह कौनसे शब्द थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी बात तो पहले सुन लें।

श्री रामकिशन : आपको थोड़ी जल्दी हो रही है, मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूं–..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामकिशन : आपको जल्दी हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी नही, मुझे सन्तोष दिलाना है।

श्री रामकिशन : मैं तो सन्तुष्ट हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके दो तीन पाइन्ट्स हैं। आपका पहला सवाल है यह ठीक है, मैंने कहा था कि अगर श्री छुट्टनलालजी इस तरह का काम करवाने चाहें तो उससे मैं इस्तीफा देना ज्यादा अच्छा समझूंगा और मैंने मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना की थी कि वह मुझे मुक्त कर द। लेकिन यह कभी नहीं कहा कि लॉ एण्ड आर्डर गड़बड़ हो गया है और प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया है और इसलिए मैं इस्तीफा दे दूंगा-यह बात बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात यह 'टाइम्स आफ इन्डिया' में छपा है कि एक दर्जन केसेज का तो मुझे तथ्य तो याद नहीं हैं लेकिन कुछ केसेज जो सतीशचन्द्रजी ने बताये थे उनमें से कुछ का जिक्र जरूर किया था कि छुट्टनलालजी मुझसे काम कराना चाहते थे और जिनको मना नहीं किया और यही नाराजगी का सवाल हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, गृह मंत्रीजी का बयान नवज्योति में छपा है। प्रत्युत्तर में दामोदरजी ने कहा कि मैंने बहुत बरदाश्त किया परन्तु अब यह बताना पड़ेगा कि ईमानदारी का दावा करने तथा अपने आपको कांग्रेस का सिपाही कहलाने वाले, यह शिकायतों वाले कि यह शिकायतें पैदा क्यों हुई, कप्तान छुट्टनलालजी से संबंधित लोगों पर लगभग 50 मामले पेण्डिग में होना तथा दबाव डलवाकर उनका चालान नहीं होने देने का रहस्योद्घाटन करते हुए श्री दामोदरलालजी व्यास ने चेतावनी दी कि यदि सवाई माधोपुर जिले का इलाज नहीं किया गया तो वहां पर नक्सलवादी प्रवृति बढ़ेगी। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को स्वयं फायल को जानकारी कराते हुए बताया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मामले को फिर से उठा रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : आगे उन्होंने कहा है।

सदस्यों ने बारबार कहा कि इनका चालान क्यों नहीं हुआ तो श्री दामोदरलाल जी व्यास ने कहा कि श्री छुट्टनलाल ने मजबूर किया है तो अब मैं ये सब मुकदमे मुख्य मंत्रीजी के पास भेज रहा हूं श्री दामोदरलाल जी व्यास ने कहा कि

(श्री दौलतराम सारण)

मुख्य मंत्रीजी चाहें तो यह महकमा मुझसे ले लें लेकिन इन्सान और गरीबों को जिन्दा रहने का अधिकार तो देना ही होगा, वहां जो अराजकता पैदा हो गयी है उसे म बरदाश्त नहीं करूंगा और कानून और व्यवस्था को बनाये रखने की मेरी जिम्मेदारी है.....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट फिर शुरु हो जायेगी, माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार श्री शिवचरणजी ने गृह मंत्रीजी पर आरोप लगाया कि लोग उनसे गाली देकर काम करवा लेते हैं, मुझे गाली देना आता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि आम गुण्डागर्दी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह भी सीरि-यस चार्ज है।...

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण : स्पष्टीकरण के तौर पर पूछ रहा हूं प्रश्नों के द्वारा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का काल भी चला गया ।

श्री दौलतराम सारण : यह बात सामने आई है कि गृहमंत्री के काम में हस्तक्षेप करते हैं कांग्रेसी नेता लोग, और मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी के काम करने में व्यवधान पैदा करते हैं। और दूसरा इसमें प्रश्न यह पैदा होता है कि इस प्रकार के जो सीरियस नेचर के केसेज है, हत्या, बलात्कार, डकैती, मर्डर के ऐसे केसेज में भी हस्तक्षेप होता है। यह बहुत साफ पी० सी० सी० के अधिवेशन में आई है। दूसरी बात यह साफ आई है कि गृह मंत्रीजी के काम में हस्तक्षेप करने वालों को माननीय मुख्य मंत्रीजी का संरक्षण प्राप्त है ।

दूसरी बात यह है कि इस हस्तक्षेप का नतीजा यह है कि नाथूरामजी मिर्धा बहुत कुंठित हैं और मंत्रियों के आचरण की वही शिकायत है...

श्री उपाध्यक्ष : अन्य डिबेट शुरू कर रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण : तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ मुद्दे हैं डिबेट के जो कि पी० सी० सी० के सामने आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : वे सामने आये हैं तब उत्तर दिया है उनका ।

श्री दौलतराम सारण : केवल तीन-चार का उत्तर दिया है और वह भी अधूरा दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण : कुछ केसेज ऐसे हैं जैसे मंहलाल पर आरोप लगाया....

श्री उपाध्यक्ष : समय ले रहे हैं ज्यादा आप ।

श्री दौलतराम सारण : मंहलाल के खिलाफ सीरियस नेचर के केसेज थे तब आप पंचायत मंत्री थे और उस केस में आप कार्यवाही करना चाहते थे लेकिन

Page No 78

(श्री दौलतराम सारण)

कार्यवाही नहीं करने दी गई, तो उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक विभाग का ही संबंध नहीं है। पंचायत में भी सीरियस नेचर के केसेज हैं प्रधानों के खिलाफ और उनके बारे में कार्यवाही न की जाए,...

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से बहुत दूर हुए जा रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं बिल्कुल नहीं हट रहा हूं। प्रशासन में हस्तक्षेप करने का मुद्दा है। यह आरोप इस सदन में सदा आता रहा है कि कांग्रेस के नेतागण प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। मंत्रियों को उनकी ड्यूटी में इस प्रकार से...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप कांग्रेस में थे तब नहीं किया करते थे ?

श्री दौलतराम सारण : अपना कर्त्तव्य पालन न कर दबाव में आ जाते हैं, और मुख्य मंत्रीजी से घबराकर सरेन्डर कर देते है। यह मुद्दा इस प्रक्रिया में आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी के वक्तव्य से, जो उन्होंने आज सदन में दिया है और उसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में दिया है एक बात स्पष्ट रूप से निकलती है जिसको गृह मंत्रीजी ने वहां भी यह कहकर स्वीकार किया है कि श्री छुट्टनलाल और उनके साथियों पर कई प्रकार के भयंकर आरोप है और उन आरोपों के सम्बन्ध में इस सीमा तक गये हैं......

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा है कि छुट्टनलाल के खिलाफ आरोप हैं। अगर अखबारों में ऐसा है तो सही नहीं है।

कई माननीय सदस्य : प्रत्येक अखबार में है।

श्री भैरोंसिंह : छुट्टनलाल सता रहे हैं। यह सब अखबारों में है।

श्री उपाध्यक्ष : वह एलिगेशन वेग है, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय शायद जोश में कह गये हों और शायद अब दुरुस्त करने की चेष्टा कर रहे हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो उस समय बात कही थी और इस समय यहां पर प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है और यह कह कर किया है कि इस प्रकार के केसेज से तो उन केसेज के संबंध में छुट्टनलाल मेरे पास आये और उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की और उन्होंने दबाव बढ़ाया तो जाहिर किया है कि मैं दबाव में नहीं आता हूं और जो उपयुक्त कार्यवाही है वह करने जा रहा हूं। आपने जो पी० सी० सी० की बात कही है और जो आज बात कही है उससे एक परिणाम निकलता है कि वहां जो पुलिस का प्रशासन है उस प्रशासन के अन्दर श्री छुट्टनलाल का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है वह हस्तक्षेप किस सीमा तक है उसको स्वीकार करते है या नहीं करते हैं यह एक डिबेटेबल मैटर है, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार के अपराध हैं और इस प्रकार के अपराधों की रोक-थाम की पूर्ण व्यवस्था नहीं की गई तो वहां पर नक्सलवाद बढ़ेगा। इसका मतलब

(श्री भैरोंसिंह)
यह है कि वहां पर गवनमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे मालूम है कि एक केस को लेकर कहा था जो कि इस प्रकार का दो साल का केस है उस केस को लेकर बात कही है।

श्री भैरोंसिंह : कब का केस बताया है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां पर तो जुल्म की बात हो रही है। नक्सलवाद तो एक सिद्धान्त को लेकर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने गलत नहीं कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गृह मंत्रीजी की राजनैतिक जानकारी इतनी ही है कि इसको नक्सलवाद बताया है। यह बहुत आश्चर्य है।

श्री मदनसिंह : तीन महीने पहले आपने फर्माया था कि 150 नक्सलवादी राजस्थान में पहुंचे हैं। वे शायद वे हैं।

श्री शंकरलाल : पाइंट आफ आर्डर निवेदन यह है कि यह जो बहस करना चाहते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : वह सब कानूनी स्थिति सदन के सामने आ गई है और सभी माननीय सदस्य जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी चर्चा करते हैं.....

श्री शंकरलाल : आप यह व्यवस्था द कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डिबेट नहीं होती है। नियम 131 के तहत वह साफ है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं निवेदन कर देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बात कर रहे हैं नियमों की। सवाई माधोपुर में लोगों पर और राजस्थान के और लोगों पर सी० आर० पी० सी० लागू होती है और आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों पर सी० आर० पी० सी० एप्लीकेबल न हो। यह कह दें कि उनके लिए आई० पी० सी० नहीं है, वह और जनता के लिए है। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप संशोधन करा लें कि I. P. C. will not apply on Congress Leaders.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

आपको आपत्ति है वह ठीक है, लेकिन यह बात भी है कि जो माननीय सदस्य तथ्य सामने रख रहे हैं वे नियमों से परिचित न हों ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी चर्चा हुई है और मैंने कोशिश की है यह जल्दी से जल्दी चर्चा समाप्त हो जाय मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है संक्षेप में उनके उत्तर के बाद में कोई अस्पष्ट चीज रह गई हो तो उसका स्पष्टीकरण करा लें।

श्री भैरोंसिंह : यह अलग अलग प्रत्येक केस के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी ने अपना जो स्टेटमेन्ट दिया है उसम यह बता दिया कि अमुक केस में यह कार्यवाही होनी चाहिए और अमुक केस में यह कार्यवाही, लेकिन गृह मंत्रीजी ने जो पी० सी० सी० के सामने इस बात को स्वीकार किया है और आज भी प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है कि

(श्री भैरोंसिंह)

सवाई माधोपुर में इस प्रकार के केसेज थे श्री छुट्टनलाल और उनके साथियों का दबाव है, जैसा कि अखबारों में रिपोर्ट हुई है, उसका वह एक सेन्टेन्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं : वह, उपाध्यक्ष महोदय, सब अंग्रेजी और हिन्दी के अखबारों में है...

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात का ध्यान...

श्री भैरोंसिंह : आप इन्टरफियरेन्स बरदाश्त नहीं कर सकते हैं तो दूसरे भी नहीं कर सकते हैं : Mr. Vyas lashed out at Mr. Chuttanlal saying that he and his supporters, whom the Minister named, were trying to hold Sawai Madhopur district to ransom. They had indulged in murder, loot and rape. They had terrorised the people to such an extent that no one was prepared to given evidence against them. Mr. Chuttanlal and his friends wanted officials of their own choice in the district. यह सारा विवाद तो पी० सी० सी० में हुआ और यहां विवाद हुआ कि केसेज कितने डिसाइड किये ।

श्री उपाध्यक्ष : वातावरण में काफी गर्मी हो गई थी इसलिए कहने में आ गया हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गुस्से में सच्चाई निकल आती है । यही कहला दें ।

श्री भैरोंसिंह : उस समय गर्मी आ गई थी और गर्मी में आकर कह दिया तो ठीक है । जिस समय शांत वातावरण हो तो सही बात कह दें तो कोई आपत्ति नहीं है ।

जो बात गृह मंत्रीजी के लिए कही है उस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी आप यह स्वीकार करके चलते हैं कि सवाई माधोपुर जिले में इस प्रकार की स्थिति है और उस स्थिति को बनाने में श्री छुट्टनलाल और उनके साथियों का हाथ है तो और किसी केस में मुलजिम के लिए क्या लिखा गया, और पुलिस वालों के खिलाफ लिखा गया उनमें तो आपने सबको बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार श्री छुट्टनलाल और और उनके साथियों को किसी मामले में नहीं पकड़ेगी और उनके खिलाफ एक्शन लेकर सवाई माधोपुर की आम जनता को इस प्रकार राहत देगी कि उन्हें अब डर नहीं होगा, उन्हें लोग लूट नहीं सकेंगे, उनके यहां चोरी नहीं होगी और मुलजिम भाग नहीं सकेंगे, मर्डर नहीं होंगे और उनके खिलाफ झूठे मुकदमें नहीं बनाए जायेंगे । इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । आपने बाकी के केसेज में मुलजिमों का चालान कराने का आश्वासन तो दे दिया और जांच करने का आश्वासन दे दिया, 69 के केसेज को रिओपन करने की बात कह दी, लेकिन मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं वह यह है कि छुट्टनलाल के कारण सवाई माधोपुर में असन्तोष प्रकट हुआ है–उस संबन्ध में राजस्थान सरकार क्या करना चाहती है ? इस सम्बन्ध में उत्तर दें ।

Page No 81

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल ।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि छुट्टनलाल ने दबाव डालकर काम कराये तो मैं निवेदन करूंगा कि कप्तान छुट्टन-लाल ऐसा कौन सा लाट था कि जो नाजायज दबाव डाल रहा था । कप्तान...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोड़िये ।

श्री रामकिशन : छोड़िये कैसे, कहिये।

श्री नाथूलाल करोल : मैं निवेदन करूं, कप्तान छुट्टनलाल उस जिले में इतने पापूलर है, पन्द्रह साल से वह काम करते आ रहे ह, जनता के अन्दर उनका विश्वास है । आपने बताया कि मेरे ऊपर नाजायज दबाव डाल कर ऐसा काम करना चाहते थे । तो यह बात आपने पहिले क्यों नहीं कही........

श्री उपाध्यक्ष : आह गृह मन्त्रीजी की बात को नहीं समझे है पूरी, यह नहीं कहा है ।

श्री नाथूलाल करोल : मेरा अर्ज यह है, कप्तान जनता के अन्दर पापूलर हैं और रहे हैं । यह मान कर चल रहे हैं कि वहीं नहीं, अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर में पापूलर हैं, तो मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने जयपुर में कोई आतंक नहीं फैलाया, न हमारे जिले में आतंक फैलाया, तो सवाई माधोपुर में किस तरह आतंक फैलाया ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हो गई बात ।

श्री नाथूलाल करोल : कप्तान छुट्टन-लाल ने सवाई माधोपुर में आतंक फैला दिया तो आज से पहले हाऊस में क्यों नहीं रखा, जब वह हाउस से निकल गये ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां है आतंक ?

श्री नाथूलाल करोल : जिस समय हाऊस में थे तो यह मामला क्यों नहीं आया।

श्री मदनसिंह : दबाव था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मीटिंग 15, 16 को हुई है ।

श्री नाथूलाल करोल : उसके पहले जब सदन के माननीय सदस्य थे तो उनके सामने हाउस में यह मामला पुट-अप क्यों नहीं हुआ ? आज जब सदस्य नहीं हैं तो उनके पीछे से हो रहा है । उनके सामने होता तो वह खड़े होकर कह देते ऐसा हुआ है । (व्यवधान) यह चिलम भरने का सवाल नहीं है ।

श्री मदनसिंह : यह होम मिनिस्टर कह रहे हैं, आतंक था, दबाव था, इस-लिए नहीं करते थे कार्यवाही :

श्री नाथूलाल : दबाव था तो सदन के माननीय सदस्य रहे तब उनके सामने केस पुट-अप क्यों नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुआ !

श्री नाथूलाल करोल : आज सदस्य नहीं हैं तो उनके पीछे से लाया गया है जबकि वह जबाव देने नहीं आ सकते ।

श्री लादूराम सुलानिया : वोट की जरूरत थी उस समय ।

श्री नाथूलाल करौल : अब कहते हैं, नक्सलवादी जैसी ।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भ्रम है। क्योंकि छुट्टनलाल को वोट लेने की जरूरत थी इसलिए किसी के खिलाफ एलीगेशन थे, वह लगा नहीं सकते थे। पी० सी० सी. में एलीगेशन तब लगाते हैं जब वोट की जरूरत नहीं हो । इसलिए करौल साहब को भ्रम हुआ है ।

श्री नाथूलाल करौल : भ्रम नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री नाथूलाल : मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं । मैं जयपुर की बात कर रहा हूं । जब सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं तब कहते हैं, 22 परिवारों को निकाल दिया, यह नक्सलवादी को, 22 परिवारों को निकाल दिया । उसके लिए गृह मंत्री, उनके पीछे से कुछ कहें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री नाथूलाल करौल : जब सदस्य थे, तब उनके मुंह पर कह सकते थे । जो अब सदन के सदस्य नहीं हैं उनके ऊपर आरोप लगाये हैं, इसके लिए कहा है, और कुछ नहीं । इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, जो अखबारों में पी० सी० सी० की मीटिंग के बारे में छपा, उसमें यह छपा, आरोप-प्रत्यारोप लगाने गये । माननीय गृह मंत्रीजी ने उत्तर दिया, वहां आरोप इन्होंने कप्तान छुट्टनलाल पर लगाये, उनका उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन यह बताने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने इन पर क्या आरोप लगाये ?

श्री उपाध्यक्ष : वह मामला यहां विचाराधीन है नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरा पूरा डिस्कशन......

श्री उपाध्यक्ष : पूरे डिस्कशन के लिए अलग समय रख लीजिये । यह नहीं आया, पी० सी० सी० में क्या हुआ, क्या नहीं । यह विचाराधीन विषय नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही विषय है । मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सवाई माधोपुर में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन है, और उसके सम्बन्ध में जो आरोप हैं—उसके बारे में कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री ने कई बातों की जो चर्चा की इस समय, मैं समझता हूं, कि यह स्थिति है, कांग्रेस के अन्दर दो गुट बने हुए हैं, एक एक असामाजिक तत्व को प्रोत्साहन देता है, दूसरा दूसरे को प्रोत्साहन देता है, कुछ ऑफिसर गृह मंत्री के हैं, कुछ ऑफिसर उनके हैं । उनके केसेज के बारे में उनको शिकायत है, उनके केसेज के बारे में उनको शिकायत है । इस प्रकार के आरोप लगाये गये...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह भ्रम है, किसी को शिकायत नहीं है, सब एक हैं । आपको भ्रम है । यह गलत बात है ।

श्री रामकुमार : हमारी जाति पर जो आरोप लगाये, उनके लिए कह रहा हूं कि यह झूठे हैं जो इल्जाम लगाये गये......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पहले रामानन्दजी कह दें, उसके बाद ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तथ्य कहां तक सही हैं, कहां तक नहीं–यह मैं नहीं जानता । जो आरोप लगाया, आईदानसिंह अमरपुरा के जागीरदार हैं, वहां जमीन पर काफी झगड़ा है, हरिजन, मीणे काफी अर्से से जो जमीन पर काबिज हैं, उसका वह अपने को मालिक मानते हैं। उनका कहना बताया पी० सी० सी० की मीटिंग में, आप जागीरदार का समर्थन कर रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : नया तथ्य ला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह नई बात ला रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह : गलत नहीं है। मीणों को कम्युनिस्ट पार्टी में ले जाना चाहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तथ्य है......

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है। मंत्री महोदय अगर कुछ कहना चाहें तो कह दें । लम्बी बहस नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से गुटबन्दी करके एक पर्टीक्यूलर तथ्य को गृह मंत्री......

श्री रामनारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ ऑर्डर क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह काल अटेंशन मोशन चल रहा है, 131 के तहत......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मालूम है ।

श्री भरोंसिंह : पढ लिया ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह साफ है :

"The member in whose name the motion stands in the list of business shall, except when he wishes to withdraw it, move the motion when called upon to do so, but no speech shall be permitted at this stage."

माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण कर दिया, उसका रिप्लाई कर दिया अब उस पर बोल नहीं सकते । उसके बाद में जिस तरह से बोलने की इजाजत दे दी यह नियमानुसार नहीं है । काल अटेंशन में डिस्कशन का सवाल नहीं है । यह अननेसेसरी तरीके से डिबेट बढाई जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री ! ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकुमार नन्दवाना : उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर का सवाल है, मैं उस जिले का शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हूं मैं ही खोलने वाला हूं, हमारी जाति के खिलाफ

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
आरोप लगाये हैं, इसलिए मुझे बोलने को आजत दी जाय····

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे देते ।

श्री लादूराम मुलानियां : बोलने दीजिये । सवाई माधोपुर का मामला है, बोलने दिया जाय ।

श्री रामकुमार : सवाई माधोपुर का मामला है, तो दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए । अभी एक तरफ की बात सुनी गई है......

श्री रामकिशन : इनकी बात सुनी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री दौलतराम सारण : इनको बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : व्हिप महोदय, आपके माननीय सदस्य को समझाइये । इस पर बहस नहीं होगी ।

श्री रामकुमार : गृह मंत्रीजो इस्तीफा दें । अगर मेरी बात सही साबित हो जाय अगर गलत होगी तो मैं कहता हूं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं । जगह जगह हमारी औरतों को चुरा करले जाते हैं और इनके आदमियों को प्रोत्साहन देकर आज तक उनको गायब करते रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा, मेरा निवेदन है हमको दबाया जा रहा है । जो भरतलाल का सवाल है और जो नत्थीसिंह का सवाल है उसके बारे में निवेदन करूंगा ......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री लादूराम मुलानिया : बोलने दिया जाय ।

श्री रामकुमार : एक बैंक के मामले में गंगासहाय के खिलाफ खड़े हुये थे, वहां अविश्वास प्रस्ताव लाये थे । जो सरपंच था, उसके खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे । उसके बाद यह आरोप लगाया ....

श्री उपाध्यक्ष : यह मसला अलग है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पी० सी० सी० नहीं है, यह हाउस है । गृह मंत्री के पक्ष की बात सुनी जाय और जिनके खिलाफ आरोप रखें उनको न सुना जाय..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दिग्विजयसिंह : हम सुनना चाहेंगे ।

श्री रामकिशन : इन्हे मौका देना चाहिये ।

श्री रामकुमार: मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय । हमारे खिलाफ सख्त आरोप लगाये गये हैं उनकी तफतीश कराई जाय । लेकिन जिनकी तफतीश का सम्बन्ध है, वह हाउस में मामला आया, कई पेपर्स में आया, एस० पी० ने जो रिपोर्ट दी है, वह हाउस में नहीं लाई गई । वहां पर निष्पक्ष आदमियों को कुचला जा रहा है, बरबाद किया जा रहा है और इस हाउस में सुनवाई नहीं होती है । इस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है । सवाई माधोपुर जिले के मामले को सुनिये, हमारी तकलीफों को सुनिये, मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : गृह विभाग की मांग आपके सामने दस पन्द्रह दिन पहले आई थी उस समय आप बोले नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : यह मांग से सम्बंधित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है, इसकी सीमा है।

श्री रामकुमार : यह मीणा समाज के खिलाफ, जनरल तौर पर मीणा जाति के खिलाफ आरोप लगाया है कि मीणा समाज ने आतंक फैला रखा है. .

श्री उपाध्यक्ष : किसने कहा यह ?

एक माननीय सदस्य : विधान सभा में नहीं कहा, यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कांग्रेस के कुछ नेता झगड़ा फैला रहे हैं, एक गुट इनके साथ है, एक गुट उनके साथ है, एक एक की तरफ है और दूसरा दूसरे की तरफ ।

श्री रामकुमार : यह गम्भीर बात है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरी स्थिति सामने आने दीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : जातिवाद पर आधारित हैं, कहीं मीणा गुजर को लड़ाते है, कहीं जाकर जाट राजपूतों को लड़ाते है, कही हरिजनों और ब्राह्मणों को लड़ाते हैं । यह जातिवाद के ऊपर आधारित शासन है। यह जातिवाद को, साम्प्रदायिकता को उभार कर, आपस में लड़ा कर शासन करना चाहते हैं। यह इस कांग्रेस का नंगापन जाहिर हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरी तरह गूजर वसस मीणों की लड़ाई है, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, या रोका जाना चाहिए ? यह कह सकते हैं ....

श्री शिवचरण सिंह : हमारे जिले में जातिवाद नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरे तथ्य आने चाहिए ।

श्री लादूराम सुलानिया : एक माननीय सदस्य को दबाया जा रहा है, उनको बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, उनको कहने का अधिकार है .....

(शोरगुल)

चर्चा समाप्त हुई ।

श्री रामकुमार : मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकुमार : हमारी सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाई माधोपुर जिले का मामला है । सवाई माधोपुर जिले की ी हो रही है, यह चर्चा का विषय है...

श्री उपाध्यक्ष : उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है......

श्री रामकुमार : सवाई माधोपुर पर चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दस्तखत नहीं किये उस पर, न ही चर्चा उठाई। चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, वह बोल लिए।

श्री रामकुमार : मीणा समाज को कलंकित किया जा रहा है। मीणा को मारा गया, आज तक केसेज नहीं बने ...

(अश्रव्य-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकुमार : 26 तारीख के एस० पी० ने मरतलाल के घर पर खाना खाया, शराब पी, एस० पी० नहीं सी० आई० रवाना हुए.....

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री रामकुमार : इस तरह के कांड और मर्डर किए जांय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सम्बद्ध मामला है उन्हीं घटनाओं से। जो मामला एट इश्यु है, पी० सी० सी० में बहस हुई, जिस पर शंका होती है कि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन नहीं कर रहे हैं, उस मामले में दूसरे माननीय सदस्य........

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नियम है कि जो माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उनको संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है, उसके बाद में मंत्री महोदय अपनी ओर से उत्तर दे देते हैं, वह बात यहीं समाप्त हो जाती है, फिर भी अगर कुछ माननीय सदस्य और बहुत से माननीय सदस्य कहना चाहते थे तो समय दे दिया। ऐसा लगता है कि दुबारा इस पर चर्चा शुरू हो रही है, तो यह नहीं हो सकता, समय नहीं है, इसलिए चर्चा को समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक निवेदन, अगर इजाजत दें तो।

श्री उपाध्यक्ष : बात बढ़ जायगी।

श्री भैरोंसिंह : केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य रामकुमारजी ने जिस भाषा में बात कहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि सदन उनके साथ न्याय करेगा अगर उनके पक्ष को सुनेगा, अगर नहीं सुना गया तो एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा कि मीणा और गूजरों को आपस म लड़ाया गया। और ढंग से स्पेसिफाई नहीं किया गया, विधान सभा में सफाई नहीं की गई तो गांवों में झगड़े होंगे फिर लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी. ....

श्री उपाध्यक्ष : आप और हम सब गांवों में रह रहे है।

(शोरगुल)

(श्री उपाध्यक्ष)

चर्चा समाप्त हुई।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री लादूराम सुलानिया : उनको बोलने नहीं दिया जाता है, बीच में माननीय सदस्य रोकते हैं और आसन भी उनको रोकता है..........

(श्री लादूराम सुलानिया और श्री रामकुमार साथ साथ बोलने लगे) ऐसी हालत में कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति वालों को बोलने के लिए......

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया : X X X

श्री मदनसिंह : आप उनको बोलने नहीं दे रहे है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूं कि विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए था लेकिन बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं और रामकुमारजी भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो उचित होगा कि सदन की ओर से कुछ समय देकर उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकुमार कितना समय लेंगे?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदस्यों ने जितना समय लिया है।

श्री रामकुमार : यह सवाई माधोपुर जिले का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बता दें।

श्री रामकुमार : 10 मिनट दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में सवाई माधोपुर जिले के बारे में कुछ मुद्दे उठे। उन मुद्दों को लेकर हमारे माननीय गृह मंत्री और हमारे एक्स-एम० एल० ए० श्री छुट्टनलाल में कुछ तर्क-वितर्क हुआ। उसके बाद में कुछ हमारे मीणों के खिलाफ पेपर्स में समाचार प्रकाशित हुए हैं, उससे हमारे मीणा समाज को कलंकित किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर जिले में मीणों की आबादी ज्यादा तादाद में है। मीणों के गांवों में सभी जातियों के लोग रहते हैं और उनके साथ हम भाई चारे का बर्ताव करते हैं। जैसे मीणा भाई हैं वैसे ही अन्य जाति के सदस्यों को हम अपना भाई समझते हैं। उनकी बहिन-बेटियों को हम अपनी बहिन-बेटी समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी औरतों की इज्जत करते हैं। हमारे समाज में कभी हमने दूसरों के साथ में कोई सख्ती बरती हो, या आतंक किया हो, मारपीट की हो या किसी की लड़की को लेकर गए हों, इस तरह की मिसाल सवाई माधोपुर जिले में मीणों में नहीं मिलेगी लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से हमें कलंकित किया जाए कि हम आतंकवादी

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकुमार नरवाना)

हैं, नक्सलवादी हैं, हमने यह कर रखा है, वह कर रखा है, तो वह मेरे ख्याल से उचित नहीं है जैसे कि हमारे माननीय सदस्य ने भरतलाल के खिलाफ आरोप लगाए। वास्तव में झगड़ा हुआ, इस केस में दो बार एफ० आई० आर० दी गई। पहली एफ० आई० आर० पर संतोष नहीं हुआ, दुबारा तफतीश कराई, उसके बाद में दूसरी एफ० आई० आर० दी।

दूसरा मामला नाथूसिंह प्रमुख का आया है। नाथूसिंह प्रमुख और गंगा सहाय सरपंच दोनों चुनाव लड़ रहे थे। गंगा सहाय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। उसके बाद उन्होंने इस तरह की हरकतें पैदा की कि हम लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक मेरी बात आपकी सेवा में और नहीं आई। श्रीचन्द के खिलाफ गंगा सहाय उप-प्रधान ने झूठा रेप का केस बनाया। हमने मंत्री महोदय से कहा कि अगर रेप का मामला सही है तो सजा दें, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, उसकी स्वयं मुख्य मंत्री ने तफतीश कराई, वह केस झूठा पाया गया। ऐसा ही एक केस हिंडौन का है। वह कहीं प्रमुख से मिला या नहीं लेकिन यह बात सही है कि झूठा केस लगाया गया और पुलिस में रिवाल्वर दिखाने की झूठी रिपोर्ट कराई। प्रमुख के नाम कोई रिवाल्वर का लाइसेंस नहीं है। प्रमुख के परिवार में किसी व्यक्ति के नाम लाइसेंस नहीं है, किसी रिश्तेदार के नाम लाइसेंस नहीं, बल्कि उस गांव में रिवाल्वर का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद षड्यंत्र रचते हैं। यह क्यों रचा जा रहा है ? हमारे समाज में खुद कार्यकर्त्ता आगे बढ़ते हैं, चुनाव में आगे आते हैं तो उनको डमेज किया जाता है, पिंच किया जाता है। उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 5-6 आदमी सवाई माधोपुर जिले में हैं उन्होंने सब तरह के झूठे केसेज लगा। नाथूसिंह का रिवाल्वर का मामला बिल्कुल गलत है, निराधार है। रिपोर्ट हुई है और माननीय मुख्य मंत्रीजी इसकी तफतीश करा लें, अगर केश साबित हो जाए तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन लोगों का नाम लो।

श्री रामकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, करोली ठेकेदार के खिलाफ आरोप लगायें। रंगीलाल ठेकेदार एक मीणा भी है और ठेकेदार भी और कांग्रेस का कार्यकर्त्ता भी है। भाई रामकिशनजी भी कहेंगे। उसका माननीय मुख्य मंत्रीजी से सम्पर्क हुआ है। वह इस प्रकार का आदमी नहीं है। लेकिन उसको परेशान किया जा रहा है। दूसरों से शिकायतें करवाई और इस कारण उसको ठेके से हाथ धोना पड़ा। हमारे यहां के कुछ साथी हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि वह ठेका करे। उप-मंत्री महोदय इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। उप-मंत्री के खिलाफ डकेतियों के केसेज गुमानसिंहजी ने सिद्ध किये हैं और सारी रिपोर्ट हुई और शिवचरणसिंहजी के खिलाफ जो केसेज दिये हैं वे मैं पेश कर रहा हूं। उनके सम्बन्ध में एस० पी० गुमानसिंहजी ने डिटेल्स में लिख कर सरकार को रिपोर्ट भेजी है जिसमें बताया गया है कि ये डकेतों से सांठ-गांठ करके डाकुओं की मदद करते हैं। एस० पी० की रिपोर्ट को

(श्री रामकुमार)

सदन की मेज पर रखी जाय तो आपको सब कुछ मालूम हो जायगा। केबरी का महाजन। कांग्रेस का कार्यकर्त्ता है उसके भाई को मारा। संग्राम नाम के गूजर ने मारा। वह वहां पर गार्ड की ड्यूटी पर था और सरकारी राइफल ले जाकर, रामस्वरूप को बुलाया और रामस्वरूप तो नहीं आया लेकिन उसका भाई आया और उसको बंदूक मारी और फरार हो गया। पुलिस ने यह साबित किया है कि वह वहां चला गया जहां शिवचरणसिंहजी के भाई बन्द रहते हैं। उसने मारा है। गंगापुर के ठेकेदार की जीप चुनाव के बाबत मंगाई, और के बावजूद हंसराज के साथियों का साथ दिया। डाकुओं से मिलने के लिए चले गये। राशन सप्लाई किया और उसके बाद गुमानसिंहजी ने इस बात की तफतीश की। ठेकेदार ने बताया कि यह पत्र आया और ड्राईवर ने कहा है कि बन्दूक बता कर चला गया। इस प्रकार की घटनायें होती हैं। हमारे लिये कोई जरा सी बात हो जाय, किसी मुकद्दमे में हो जाये तो गृह मंत्रीजी केस लगवा देते हैं, 325 और 326 लगवा देते हैं। लेकिन इस प्रकार के गम्भीर मामलों में कुछ नहीं करते हैं। उनके खिलाफ केस नहीं बनाये जाते हैं। गृह मंत्रीजी उनकी वकालत करते हैं, चर्चा करते हैं। ये सारे मामले दबा कर बैठे हैं। मीणाओं के खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय से बहुत दूर चले गये हैं।

श्री रामकुमार : मुख्य मंत्रीजी तबदील कर लें। हम एग्री हैं इस बात पर कि जिनको सजा होनी चाहिए उनको सजादें और गिरफ्तार करना चाहिए उनको गिरफ्तार करें।

श्री मदनसिंह : आपका मतलब यह है कि होम विभाग मुख्य मंत्रीजी को दे दिया जाय ?

श्री रामकुमार : गृह मंत्रीजी के पास यह विभाग रहेगा तो मैं हाउस में भी कह देना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी हमको कुचलेंगे और हमारे खिलाफ केसेज बनायेंगे और वे यह नहीं चाहेंगे कि हम आगे चुनाव लड़ सकें।

श्री उपाध्यक्ष : समय पूरा हो गया।

कई माननीय सदस्य : बोलने दीजिए आप उनको, हाउस इसमें इन्ट्रेस्टेड है।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट का समय दिया गया था।

श्री रामकुमार : दोनों पक्षों की तो आप सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट का समय दिया वह पूरा हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना इम्पोर्टेन्ट मैटर है। उनको आखिर में बोलने दिया जाय। लीडर ऑफ दी हाउस को तो कोई ऐतराज ही नहीं है चेयर को क्यों ऐतराज है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं नियमों से परिचित हैं माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: The Chair is simply to regulate the business.

श्री रामकुमार : खंडील के प्रश्न को लेकर चर्चा हुई। तीस–चालीस परिवारों को गांव से निकाल दिया गया, मंदिर पर कब्जा कर लिया और फसल को लूट लिया पुजारियों को यह जमीन खाने और परिवार के साधन के लिए दी थी। औरतों को लेकर चले गये। पुलिस ने कोई केस नहीं बनाया। खण्डील वालों के साथ कुछ भी नहीं किया। जो भी कार्यवाही की वह बाद में की 107 से 21–22 आदमियों को गिरफ्तार करने के लिये आदेश दिये। कलेक्टर ने जाकर तफ्तीश की। 22 आदमियों को गिरफ्तार किया। हमने इसकी आवाज उठाई ग्राम की पंचायत बुलाई और यह निर्णय किया कि हमारे गांव में बहिन बेटी हैं वह हमारी हैं। मीणा के साथ ज्यादती को हम इसकी गवाह नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामकुमार : मीणों के लिये जो आरोप लगाये गये हैं यह सारा राजनैतिक षड्यंत्र है। झूठे आरोप लगाये गये हैं और राजनैतिक जीवन को डेमेज करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मदनसिंह दांता : आप दबाना चाहते हैं। मीणा और गूजरों को मार्शल रेस को आपस में लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं।

श्री रामकुमार : यह बात गलत है उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूं कि पंचायत बनोली करोली के प्रधान श्री मांगीलाल जी, उनके बच्चे की औरत के सम्बन्ध में माननीय उप-मंत्री झगड़ा लेकर गये। गुजरों का गांव है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके माना मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

भाषण समाप्त हुआ।

श्री रामकुमार : ऐसा है कि उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है, और समय आप दे नहीं रहे हैं। लेकिन मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आरोप आज मीणा समाज के विरूद्ध लगाये जा रहे हैं, वह मीणा जाति को बदनाम करने के लिये लगाये जा रहे हैं। यह सब झूठे हैं। श्री छुट्टनलालजी पर जो आरोप हैं और उनके समर्थकों पर जो भी आरोप लगाये हैं, वह सब निराधार हैं इन आरोपों में कुछ भी तथ्य नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना तो मानकर चलता हूं कि अगर गृह मन्त्रीजी के पास सवाई माधोपुर जिले के मामले रहे तो वह किसी न किसी बहाने से श्री छुट्टनलालजी और उनके समर्थकों को कुचल देंगे। समय कम है अन्त में, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुख्य मन्त्रीजी चाहें तो इसकी निष्पक्ष जांच कराऐं और अगर उसमें सवाई माधोपुर जिले के मीणाओं की बेइमानी सिद्ध हो जाये तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से इस्तीफा दे सकता हूं और उसका गुलाम बन सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकुमार : समय के अभाव में, मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष (मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) : श्री मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्षजी, सबसे पहले मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे विवाद में जो भी मामले इस सदन के सामने आये हैं उनमें किसी जाति का प्रश्न नहीं था और न किसी की जाति के विरुद्ध ही था। जो कुछ भी पी० सी० सी० की मीटिंग में कहा गया था वहां ऐसी चर्चा हुई थी। उस समय यह था कि इन्डीविजुअल के खिलाफ कोई बात हो, कोई केस हो तो जांच करायी जा सकती है। दूसरी यह बात कि गृह मंत्रीजी किसी जाति विशेष के खिलाफ कार्यवाही करते हैं यह भी मानकर मैं नहीं चल सकता। केसेज के फैसले मेरिट के आधार पर होते हैं न कि जाति विशेष के प्रश्न पर। ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। उपाध्यक्षजी, इस विवाद पर काफी चर्चा हो गयी है। अब इसे समाप्त किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : काफी नहीं हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप मुख्य मंत्रीजी पर लगाये गये हैं उनके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि वो...

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी को तो कुछ कहना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी पर जो आरोप लगाये गये हैं और श्री रामकुमार ने कहा है कि रंगीलाल ठेकेदार उनसे मिलता है। गृह मन्त्रीजी ने कहा है कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था कि पुलिस विभाग में रिपोर्ट आई थी। उसमें ऐसा लिखा है। पुलिस की सूचनायें ऐसी हैं कि रंगीलाल ठेकेदार डाकुओं से सम्बन्ध रखता है उनको शरण देता है।

श्री भैरोंसिंह : पर इतना मालूम होने पर भी शायद आप उसका चालान नहीं करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को जब सूचना है कि रंगीलाल डाकुओं से संबंध रखता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने स्थानीय पुलिस थाने के इन्चार्ज को और पुलिस एस० पी० को आदेश दे दिया है कि वह रंगीलाल के ऊपर कड़ी निगरानी रखें।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह बात कहता हूं कि रंगीलाल डाकुओं से संबंध रखता है, और वह मुख्य मंत्रीजी से भी मिलता है इसमें आप क्या कह रहे हैं। रामकुमारजी ने कहा है कि वह कई बार मुख्य मन्त्रीजी से मिल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मुख्य मंत्रीजी से मिले हैं–आप पूछ लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रंगीलाल अभी भी कोई गिरफ्तार थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । इस पर चर्चा समाप्त हो ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में, मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि रंगीलाल ठेकेदार मुझसे मिला है । इसमें कोई शक नहीं कि रंगीलाल ठेकेदार मुझसे कई बार मिले हैं । मुझसे तो कोई भी मिल सकता है । पर इन सब सूचनाओं के बारे में जो कुछ भी गृह मन्त्रीजी ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट पुलिस में हुई है । रंगीलाल डाकुओं को शरण देता है । यह बात मेरी जानकारी में पहली बार आई है । पर कोई मुझसे मिलने आये और मैं मिलने आने वाले को मिलने से इनकार कर दूं ये कैसे हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : एक डाकू के सहयोगी से....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि मेरी जानकारी में यह बात पहली बार आई है । इस बात का मुझे पता नहीं था ।

(श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अब चर्चा नहीं होगी ।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर चार्जेज लगाये गये हैं मुझे एक मिनट बोलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, कहिये पर संक्षेप में ।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस पक्ष से कुछ माननीय सदस्यों ने व इस पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने गृह मंत्रीजी के वक्तव्य पर इतनी चर्चा की है और इस चर्चा के बीच में श्री रामकुमार जी ने मेरे ऊपर चार्जेज लगाये हैं कि जगाराम डाकू मेरा सम्बन्धी है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात गलत है । दूसरे एक केस महाजन का बताया है कि उसकी हत्या कर दी गयी । उसमें यह बताया गया है कि हत्या उस महाजन की एक गजर सिपाही ने की क्यों कि उस महाजन ने 800 रुपये उधार लिये थे और उसके उस महाजन ने 80,000 रुपये का हिसाब बना लिया । जिससे कि उस सिपाही ने उसे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी । उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी गूजर जाति का है और वह अगर किसी की हत्या कर देता है तो इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि चूंकि मैं गूजर हूं और वह भी गूजर है इसलिये मेरा सम्बन्धी हो गया । तो, उपाध्यक्षजी....

श्री रामानन्द : आपका संबंधी है..

श्री शिवचरणसिंह : संबंधी नहीं है । एक मिनट सुनिये तो सही, आपको बीच में बोलने की आदत पड़ गई है, आपने भी अलवर में क्या क्या कारनामे किये हैं वह हमें सब पता है......

श्री उपाध्यक्ष : आप गलत समझ गये हैं, उप-मन्त्रीजी ।

श्री शिवचरणसिंह : दूसरे जो माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में यह कहा कि जगाराम डाकू मेरा संबंधी है । उपाध्यक्ष महोदय, म आपसे अर्ज करना चाहता हूं

(श्री शिवचरणसिंह)

कि इस सदन में पहले भी कई बार इस बात की चर्चा हुई थी । मैं इस सदन में स्पष्टीकरण कर चुका हूं कि मेरा कोई डाकुओं से संबंध नहीं है । और न ही कोई डाकू मेरा संबंधी है । माननीय सदस्य जो मेरे ऊपर चार्जेज लगाते हैं वह गलत हैं । दूसरे मैं गूजर और मीणा जाति के लोगों में जातिवाद फैलाता हूं वह भी सही नहीं है । मुझे खेद है कि हमारे जिले के लिये यह बात कही गयी है कि वहां गूजर और मीणा जाति के लोगों में झगड़े हैं—यह बात भी सही नहीं है । मेरे जिले में कोई जातिवाद का वातावरण नहीं है वहां की आबादी में 21 प्रतिशत मीणा हैं..

श्री उपाध्यक्ष : उप-मन्त्रीजी, विस्तार में न कहें । संक्षेप में समाप्त करें ।

श्री शिवचरणसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 21 प्रतिशत तो मीणा हैं, 25 प्रतिशत गूजर हैं और 20 प्रतिशत हरिजन हैं । यहां पर कोई मेरे ख्याल से जातिवाद नहीं है और न ही जातियों में संघर्ष है । जो आरोप लगाये गये हैं वह सब असत्य हैं । इस पर भी आपको अगर शंका हो तो मेरा निवेदन है कि आप पुलिस द्वारा इसकी जांच करा सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो गृह मन्त्रीजी से मिले हुए हैं । आपके खिलाफ में क्या हो सकता है ।

श्री शिवचरणसिंह : मेरा गृह मंत्रीजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पी० सी०सी० में यह बात कही गयी कि कुछ माननीय सदस्य प्रशासन में अपना कार्य कराने हेतु दबाव डालते हैं । और कोई बात ऐसी नहीं हुई थी......

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं । अब चर्चा समाप्त हुई ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त नहीं हुई है वह जहां की तहां रखी हुई है ।

श्री दौलतराम सारण : चर्चा चौड़ी हो गयी है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई ।

श्री भैरोंसिंह : चर्चा समाप्त नहीं हुई है, उपाध्यक्षजी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चर्चा तो अब बढ़ेगी, उपाध्यक्ष महोदय ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई । सरकार की ओर से उत्तर 4 बजे दिया जायेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं अतः सदन का समय बढ़ाया जाय ।

Page No 94

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन का बिल है, उस पर हम भी बोलना चाहेंगे। माथुर साहब को शायद इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं होता है और इस बात में मुझे तो खुशी होती है कि माननीय सदस्य इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, लेकिन आज शादियां हैं यहां पर जयपुर में। कई माननीय सदस्य इधर उधर जायेंगे। इसलिये मैं पसन्द करूंगा कि इसे पांच बजे तक समाप्त कर दिया जाय। पांच से छः बजे तक सरकार की तरफ से जवाब हो जायेगा। दो मन्त्री बोलेंगे। एक मैं और शोभाराम जी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाया गया भाषण के लिये 5 बजे तक। भाषण की सीमा निर्धारित, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनिट होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें जो सदस्य आज बोलना चाहे उन्हें बोलने दिया जाय और राज्य सरकार की तरफ से रिप्लाई 24 को दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अभी तो कोलोनाईजेशन मन्त्री बोलेंगे......

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी बोलेंगे......

श्री उपाध्यक्ष : आँर्डर प्लीज। भाषण सीमा अधिक से अधिक 25 मिनट निर्धारित की गयी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ढाई घंटे का समय तो इस चर्चा पर वेस्ट कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आगे भी आधे आधे घन्टे में एप्रोप्रियेशन बिल पास कर दिये हैं।

राज० विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1971 पर अग्रेत्तर विचार

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बाढ़दार साहब आप बैठ जायें, इन्हें बोलने दिया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की मांगों के सन्दर्भ में मैं, भी कुछ कहना चाहूंगा कि इस सदन में जब कभी भी बजट की मांगों पर चर्चा यहां हुई थी। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध को लेकर जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार के तथ्य सदन के माननीय सदस्यों ने इस सदन के समक्ष रखे हैं उस आधार पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह भी कहने के लिये राजस्थान की जनता तैयार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

है और हर समझदार आदमी तैयार है कि राजस्थान राज्य में भ्रष्टाचार एक साधारण और एक नियम सा बन गया है और भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात मिलती है तो वह अपवाद स्वरूप आती है । उपाध्यक्ष महोदय आज मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को दृष्टिगत रखते हुये सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं तो मैं समझता हूं इन दो चार बातों के कहने से कोई राज्य का कल्याण होने वाला नहीं है । आज आप जानते हैं इस प्रकार के प्रमुख मसले सदन में उठाये जाते हैं कि राजस्थान में कई प्रभावशाली व्यक्तियों के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चाहे कितने ही भ्रष्टाचार के मामले हों, आई० पी० सी० के सारे जुर्म हों तो उसके विरुद्ध राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मंत्रीमंडल कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है । अब ऐसी समस्याओं पर चर्चा करना, मैं समझता हूं राजस्थान के मंत्रीमण्डल से कोई न्याय और इन्साफ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, आज ही दो महत्वपूर्ण मामले इस सदन में आये हैं । कांग्रेस जैसे संगठन के आपस में कांग्रेस के व्यक्तियों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये और उन आरोपों के संदर्भ में आज जो इस सदन में चर्चा का विषय बना तो कम से कम इतनी बात स्पष्ट तौर से आजाती है । एक और आरोप लगाये जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता मन्त्रीमण्डल पर दबाव डालने की चेष्टा करते हैं और वह दबाव इस कार डाला जाता है कि कांग्रेस का मन्त्री मण्डल उनके विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार नहीं है । लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन लोगों की ओर से इस प्रकार का दबाव दिया जाता है . ।

(2.52 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

निर्भीकता के साथ लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को मेन्टेन करने के लिये आपका मन्त्रीमण्डल सुदृढ़ है-इस प्रकार की भावना आपके द्वारा व्यक्त की जाती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं-आरोप लगाये जाय और यह लगाया जाय कि मन्त्रीमण्डल के सदस्य दबाव में आते हैं । मन्त्रीमण्डल तो दबाब में नहीं आता है बल्कि आरोप मिथ्या लगाये गये हैं तो आप इस बात का निराकरण क दीजिये......

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब है मन्त्री मण्डल निष्पक्षता से काम करता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर मन्त्री मण्डल निष्पक्षता से काम करता है तो जो एलीगेशन और मिथ्या आरोप सामने आते हैं तो आप निराकरण करते । आज राजस्थान के मुख्य मंत्री से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के सम्बन्ध में जिस मसले को लेकर जो सवालात पूछे गये, राजस्थान के मुख्य मंत्री आज इस स्थिति में नहीं हैं कि स्पष्ट उत्तर दे सकें । हम नहीं कह सकते हैं आज राजस्थान के मंत्री निष्पक्षता से काम कर रहे हैं । राजस्थान के मंत्रीमंडल से...

श्री केसरीसिंह हाड़ा : कोरम नहीं है

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हम राजस्थान में कल्पना करके चलें कि क्या उनसे न्याय मिल सकता है ? सभापति महोदय, इन भ्रष्टाचार के मसलों की कहां तक गिनती करें कबीर के शब्दों में आपके भ्रष्टाचार की हालत यह है कि तुम्हारे अवगुणों के बारे में कोई चेष्टा करेगा तो निश्चयात्मक रूप से मानकर चलिये वह बढ़ते जायेंगे और निराकरण होने वाला नहीं है । इसके अलावा प्रशासन से जो सम्बन्धित बातें हैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा–जहां तक विकास का सवाल आता है और विकास में प्रत्येक विभाग को लेकर मांगे इस सदन में पेश कराई जाती हैं, लाखों रुपयों का बजट गरीब राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाकर पास कराते हैं लेकिन उस पैसे का जहां खर्च करने का सवाल आता है, जहां सदुपयोग का प्रश्न आता है तो उस रुपये का व्यय किन साधनों में, किन स्थानों पर और किन आवश्यकताओं पर किया जाना चाहिये वह यह राजस्थान की सरकार विचार नहीं करती है । माननीय सदस्यों को विदित होगा एक ओर परिगणित जाति, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को लेकर राजस्थान की सरकार ने रुपया खर्च करने का सवाल पैदा किया उसमें भी पक्षपात किया गया है । वित्त मन्त्रीजी राजस्थान के किसी कोन में विकास करें, इस बात को मैं मानने को तैयार हूं कि विकास होता है । लेकिन हमारा जो एतराज है और जो हमारी शिकायत रहती है वह यह रहती है कि विकास करना हो तो सारे जिलों का इस तरह करें, इस प्रकार से प्रत्येक जिले में खर्च करें जिससे लोगों को शिकायत का मौका नहीं आये । आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर जितना रुपया विकास के नाम पर खर्च किया है वह सारा पैसा उदयपुर में खर्च कर दिया है । सारे जिलों का विकास उदयपुर के आगे अवरुद्ध हो गया है ।

एक माननीय सदस्य : देखने से पता लगेगा उदयपुर जिले में कोई खर्च नहीं हुआ है, उन गोत्रों को देखना चाहिये जहां....

श्री अमोलाल यादव : बहुत कम खर्च हुआ है, उदयपुर में । आप कह रहे हैं वह बिलकुल गलत है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: माननीय सदस्य, मुझे प्रसन्नता है उदयपुर विकास के सम्बन्ध में आपके दिल में भी शिकायत है । जितना विकास आप चाहते थे आपकी इच्छा के उपरान्त भी नहीं किया गया । लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति का अवलोकन करना चाहते हैं तो निश्चयात्मक राजस्थान की सरकार ने विकास के नाम पर अधिक रुपया आपके जिले में खर्च किया है, यह आपको मानना पड़ेगा हो सकता है आपकी भी मेरी ही तरह शिकायत हो व्यक्तिगत, जिले के सम्बन्ध में पर्टीक्यूलर कान्स्टीट्यूएन्सी में खर्च नहीं किया हो यह जो पक्षपात की भावना है और जो इल्जाम मैं लगा रहा हूं उसको आपभी सपोर्ट करते हैं । आप भी इस बात को ताईद करते हैं तो इस राजस्थान की सरकार के ऊपर जिन आरोपों को मैं लगा रहा हूं कि आप भी मानते हैं । मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के संदर्भ में जिस प्रकार राजस्थान की सरकार द्वारा····

2.58 म० प०
(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी, समानेत्री पदासीन)

जनता के पैसों का उपयोग नहीं किया जाता है और उसका जो सदुपयोग होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से मैं माननीय मंत्री महोदय आपके सामने जयपुर जिले की कुछ समस्याओं को लेकर... — ...

श्री मथुरादास माथुर : यह बात करें मुद्दे की।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बात यह है कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी होने का एक अवसर मिला............

श्री मथुरादास माथुर : और यह अवसर सौभाग्य कहलाता है— —.......

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सौभाग्य से मिला या कसे मिला लेकिन मैं ईमानदारी के साथ यह कहता हूं कि राजस्थान की राजधानी होने से यह दुर्भाग्य हुआ दुर्भाग्य इसलिये हुआ राजस्थान का सारा मंत्रिमंडल यहां विराजता है, जयपुर में, आकर रहता है अपने क्षेत्र से। अधिकांश अपना समय यहां बिताते हैं लेकिन इसके उपरान्त आज जयपुर नगर में जो ढाई सौ साल पहले का बसा हुआ है और 20 साल में 20 गुणा ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के उपरान्त भी राजस्थान का कोई ऐसा नगर नहीं है जो इतनी पापुलेसन के बढ़ जाने के बाद भी वही सहूलियतें प्रदान कर सकें। लेकिन राज्य सरकार की ओर से इसके विकास की ओर कुछ नहीं किया गया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके आंकड़ों के आधार पर कुछ इस प्रकार का थोड़ा रुपया खर्च करने के बाद में भी क्या स्थिति है। वैसे दो और दो चार करने में तो आप पक्के हैं क्योंकि फाईनेन्स का काम और आंकड़ों का काम आप बराबर करते आ रहे हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि असलियत में किसी को भटकाने का सवाल पैदा हो तो आंकड़ों का इन्द्रजाल उसके सामने रख दो और वह उसमें फंस जायेगा और असलियत से दूर हो जायेगा। आप यह देखेंगे कि जयपुर नगर में स्लम्स कितना बढ़ गया है, कच्ची बस्तियों की समस्या कितनी ज्यादा हो गयी, पेयजल की समस्या कितनी भयंकर होती जा रही है, सड़कों के निर्माण के बारे में आपकी राज्य सरकार ने 20 सालों में क्या खर्च किया ? ड्रेनेज के लिए आपने जयपुर नगर के बारे में क्या किया ? आज सीवेज लाइन की समस्या बड़ी भयंकर हो रही है। फायर ब्रिगेड का इन्तजाम नहीं है। जितनी बढ़ती हुई आबादी है और फायर ब्रिगेड की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उसका इन्तजाम राज्य सरकार ने नहीं किया मैं पूछना चाहता हूं कि यह सौतेला व्यवहार क्यों ? यह प्रश्न हमारे सामने पैदा किया जाता है कि जयपुर में विकास दिनों-दिन होता जा रहा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर बाहर की ओर बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार की कितनी बिल्डिगों का निर्माण हुआ ? यहां पर राजधानी और सचिवालय होने से बहुत से व्यापारी यहां आये और अपने आप बंगले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है लेकिन राज्य सरकार ने क्या अभी विचार किया कि जो नयी प्लानिंग आप करते हैं, जो आप नयी स्कीम बनाते हैं उनमें ड्रेनेज और पानी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
की कुछ व्यवस्था है ? राजस्थान में विकास के नाम पर, इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट के नाम पर, बहुत से पैसे आप खर्च करते हैं-चाहे आप स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को ले लें, बड़ी इन्डस्ट्रीज को ले लें और दूसरे विकास के कामों को ले लें.........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हमें तो शिकायत है कि कुछ नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि बहुत किया है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपको भी शिकायत है और मुझको भी शिकायत है कि सरकार ने कोई विकास नहीं किया—इसका मतलब यह है कि आप भी मेरी बात को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैंने इस ओर ध्यान सरकार का दिलाया है ।

सभापतिजी, मंत्री महोदय जरा यह तो बतायें कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, बड़ी इन्डस्ट्रीज, एज्युकेशन हास्पीटल, कालेजेज वगैरह का कौनसा विकास आपकी राजस्थान सरकार ने इन 20 सालों में जयपुर नगर के लिए किया है ? जरा गिनती करके बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : बतायेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेडिकल कालेज आपके जमाने का बना हुआ नहीं है, स्टेडियम आपके जमाने का नहीं, रामनिवास बाग आपके जमाने का नहीं..

श्री मथुरादास माथुर : मालविया इन्जीनियरिंग कौलेज, यूनिवर्सिटी, गर्ल्स कालेज सब हमारे जमाने के हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपको यह भी मालूम है आप मालविया इन्जीनियरिंग कालेज का नाम लेते हैं तो इसकी स्कीम कब बनी थी ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ये चीजें गलती से गांवों में नहीं जा सकती थी इसलिए बड़े शहर में ही रहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मालविया इन्जीनियरिंग कौलेज का उदाहरण दे दिया क्या इसकी स्कीम आपने बनाई थी ? इसके लिए कितनी भूमि यहां के राजा द्वारा दी गयी है । आप यहां पर लोक कल्याण-कारी सरकार के प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम गरीबी मिटायेंगे और फिर आज गरीब जनता पर ही टैक्स लगाया जाता है । जो गरीब टैक्स के रूप में राज्य सरकार को पैसा देते हैं वह अधिकांश पैसा हम विकास के कार्यों पर खर्च करते हैं— मैं एक डाइरेक्ट और सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन आटोक्रेट्स के जमाने की स्थिति को देखिये आप कहते हैं कि हम लोक कल्याणकारी भावना से काम करते हैं और पुराने जमाने में राजा लोग शोषण करते थे और जो रुपया आता था वह अपनी विलासिता में खर्च करते थे, अपने लिए खर्च करते थे । मगर मैं यह बात मानकर चलता हूं कि जो टैक्स के रूप में रुपया लेते थे उस पर अधिकार होता था आम जनता का और जनता के हित के काम उसमें से किये जाते थे । वह चाहते तो अपनी विलासिता में खर्च कर सकते थे लेकिन अधिकार होते हुए भी उसको विकास के काम पर कितना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

खर्च किया, यह आप भी जानते हैं। इस रुपये पर आपका अधिकार नहीं है। आप तो कस्टोडियन के रूप में बैठे हैं। जो जनता का टैक्स का रुपया आता है वह जनता का रुपया है लेकिन उसको जनता का रुपया नहीं मानकर चलते हैं। यह तो निष्पक्षता के साथ विचार करना पड़ेगा कि आपके मंत्रिमंडल के सदस्य जिनकी स्थिति वह मंत्रिमण्डल में नहीं आये थे-मैं प्रत्येक व्यक्ति की न तो अलोचना करूंगा और न आरोप लगाने की चेष्टा करूंगा यह मानवमात्र का स्वभाव है कि वह अपनी निधि बनाना चाहता है। आप खाते होंगे हमें एतराज नहीं लेकिन खाने के साथ में कम से कम जनता को भी तो आप देखो।

श्री मथुरादास माथुर : आप जयपुर की मांग रख रहे थे, कान्क्रीट रखो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : डिस्ट्रिक्ट का हास्पीटल बनाने का वादा किया और उसकी स्कीम आपने खटाई में डाल दी।

श्री मथुरादास माथुर : खटाई में नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अब ये वादे आपके कब तक सुनते रहें, कब तक आशा करते रहें? आपने वादा किया था कि इस वर्ष तक कोर्ट्‌स का कन्सट्रक्शन वर्क चालू हो जायेगा लेकिन मुझे आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में 3 वर्ष से हम प्रेस करते हुए आ रहे हैं......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप कहे जाइये, निश्चित पूरा होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहने से क्या होता है और इसके लिए उत्तर दिया गया था मंत्री महोदय द्वारा इतना झूठा और इतना सफेद उत्तर कोई नहीं देगा। मंत्रीजी कहते हैं कि काम बराबर प्रगति पर है......

श्री मथुरादास माथुर : किसका?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तीन चार दिन पहले जवाब दिया गया कि सिविल कोर्ट्‌स का काम प्रगति पर चल रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैंने कहा कि आप इसको तो देख—मैं रोज उधर से गुजरता हूं और वह मेरे रास्ते में ही पड़ता है अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है...

श्री मथुरादास माथुर : जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्‌स चल रही हैं इनको हटाकर बेनी पार्क में नयी कोर्ट्‌स बनाई जाये उसीका मतलब है?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हां।

श्री मथुरादास माथुर : इतना मैं जानता हूं इसके बारे में कि क्योंकि वहां बनाने में रुपया खर्च होगा और फिर इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे इसलिए इसका प्राविजन मैंने बजट में रखा है और फाइल मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी और नक्शे बनकर काम शुरू हो जायेगा—मैं ऐसा मानकर चलता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो हम उम्मीद करें कि अगले वर्ष तक हो जायेगा?

श्री मथुरादास माथुर : जरूर हो जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में आप भी थे और पेयजल की समस्या के बारे में एक सवाल पैदा हुआ। बनास की योजना के बारे में आपकी योजना चल रही है, आप कुछ कर रहे होंगे, अच्छी बात है लेकिन आपने वादा किया था कि इसको जल्दी ही पूरा करेंगे और कुछ रुपया निकाला था मैं उसके सन्दर्भ में निवेदन करूंगा कि बनास नदी पर एक बांध बनाने की जरूरतें पड़ेगी और नये टैक्स लगाने पड़ेंगे और फिर उन टैक्स का यूटीलाईजशन किया जायेगा जहां से ट्यूब वेल का पानी है उससे टैंक भरेंगे

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

और उससे यह सप्लाई की जायेगी। यह एक साल पहले की बात है। आप याद कर लें और इस बात को करीब 9 महीने हो गये होंगे मेरे ख्याल से एक भी ट्यूब वेल आपने नहीं खोदा........

श्री मथुरादास माथुर : पहले की मीटिंग में यह तय हुआ था कि जो लोकल लाइन है जिसकी केपेसिटी कम हो गयी है उसको रिप्लेस करना चाहिए और कुछ ट्यूब वैल नये खोदने चाहिएं....

श्री दुर्गालाल बाड़वार : आप अपनी मिनिटस उठाकर देख लें।

श्रीमती सभानेत्री : जो भी कुछ कहना हो मंत्री महोदय अपने उत्तर में कह दें। इस समय सवाल जवाब नहीं होंगे। माननीय सदस्य, आपको भी जो कुछ भाषण में कहना है वह कह दें और यह भी मैं आपको याद दिला दूं कि आज काफी माननीय सदस्य बोलेंगे। 5 बजे उत्तर दिया जायेगा इसलिए अब आपको 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जायेगा और आपको 20 मिनट हो गये हैं। आप इस प्रकार सवाल न उठायें और जल्दी ही समाप्त करें।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : मैं तो, सभापति महोदया, जयपुर के और दो तीन मसलों पर कहूंगा मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

तो तीसरी बात की ओर जो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा वह महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा आपको यह ध्यान देना होगा कि जहां तक प्रशासन, लेजिस्लेशन और जुडीशियरी इन तीनों को सबल होना किसी राज्य के अन्दर नितान्त आवश्यक होता है इस दृष्टिकोण से मंत्री महोदय आप सारी भावनाओं को एक तरफ रख दीजिए, जनकल्याण की भावनाओं को सामने रखते हुए आप इस पर सोचें कि राजस्थान के एक बहुत बड़े प्रान्त की यह मांग कितने अर्से से राज्य सरकार के सामने चली आ रही है कि जहां तक न्याय प्रशासन का सवाल है राजस्थान के हाई कोर्ट के मसले को लेकर कुछ राजनैतिक कारण इस प्रकार के राज्य सरकार के सामने आ रहे हैं और उनके आधार पर इस मसले को राजस्थान सरकार किसी न किसी बहाने से इधर उधर टालने की कोशिश करती है। मैं सभापति महोदया, निष्पक्षता के साथ आपके माध्यम से एक प्रश्न राजस्थान के मंत्रिमण्डल से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि राजस्थान की हाई कोर्ट में जितने भी केसेज हैं और जितना भी बल्क ऑफ दी वर्क होता चला जा रहा है वह राजस्थान के कौनसे कोने का है? आप इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य को लें आप पायेंगे कि जहां केपिटल होती है वहीं हाई कोर्ट होती है या हाई कोर्ट की बैंच

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

होती है । आपके लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आप राजस्थान के हाई कोर्ट को उठाकर ले गये और इसके बाद यह मसला रीकन्सीडरेशन के लिए आपके सामने आया और इसके बाद आप मानें या नहीं मानें राजस्थान का नागरिक कहता है, राजस्थान की जनता कहती है कि हाई कोर्ट को ले जाने के लिए यदि किसी का हाथ है तो वह राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री मथुरादासजी माथुर का है। मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप राजनैतिक दृष्टिकोण से मत देखिये, आप यह सोचिये कि जहां आप राजस्थान राज्य के वित्त को हैंडल करते हैं तो कितना टी० ए० और डी० ए० राजस्थान की सरकार को हाई कोर्ट के यहां नहीं होने से देना पड़ता है। राजस्थान की सरकार मनुष्यों के साथ फैसला नहीं करती । राजस्थान सरकार के खिलाफ हजारों मुकदमों की रिट हाई कोर्ट में करनी पड़ती है और उनकी पैरवी करने के लिए राजस्थान की सरकार आफिस डेप्यूट करती है और उनके टी० ए०, डी० ए० का खर्चा लाखों रुपयों का और कहीं कहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में यह खर्चा बढ़ जाता है । और अगर राजस्थान की हाई कोर्ट की बेंच को जयपुर में ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मंत्रिमण्डल राजस्थान की जनता के साथ न्याय करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं एक छोटी सी और कह देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपके आदेश से इसके साथ ही साथ आप यह देखिये कि राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड की बेंच आपने बराबर जयपुर में शुरू कर दी सेल्स टैक्स के केसेज को सुनने के लिए । मंत्री महोदय आपको इसमें विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है पर सम्भावना यह अवश्य है कि हाई कोर्ट के मसले को लेकर जोधपुर की जनता आपके खिलाफ हो जाये और वोट नहीं मिलें...

श्री मथुरादास माथुर : न वोट यहां मिलते हैं और न वहां मिलते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें कौन सा तुक है कि रेवेन्यू बोर्ड की बेंच सेल्स टैक्स के केसेज को सुनने के लिए जयपुर में आती है। दो मेम्बर यहां आते हैं और वही मेम्बर सेल्स टैक्स के केसेज वहां भी सुनते हैं और यहां सुनते हैं और राजस्थान का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डीनेन्स है उसमें यह प्रावीजन है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी सीट राजस्थान के किसी भी कोने में ले जा सकती है, कानूनी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्ट्रक्शन्स और रेवेन्यू बोर्ड के जितने भी मेम्बर्स हैं उन्हें भी किसी प्रकार का एतराज नहीं लेकिन एतराज है तो वह राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य को है मैं यह नहीं कहता कि रेवेन्यू बोर्ड को यहां ले आयें । आप कुछ भी करें लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इसको एग्जामिन कराइयें कि जो ब्रांच यहां आती है सेल्स टैक्स के केसेज को सुनने के लिये क्या एतराज है कि रेवेन्यू के केसेज को भी वह सुन लें । आप देखिये लोग अजमेर जाते हैं वहां पानी की समस्या है, वहां धर्मशाला की समस्या और सारी पब्लिक तकलीफ पाती है, इस समस्या को भी आपको साल्व करना होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक मसला इस

Page No 102

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

राजस्थान की सरकार को सोचना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार राजस्थान के मंत्रिमण्डल का रहा है और प्रशासन का रहा है वह जुडीशरी के बारे में आपको जुडीशरी को जितनी एड देनी चाहिये उतनी उपयुक्त मात्रा में एड नही मिलती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सवाल कई बार आया है कि जुडीशरी में बल्क ऑफ दी केसेज के आधार पर डिस्पोजल करने की दृष्टि से कोर्ट्स का निर्माण नहीं होता। यह डिफिकल्टी आपके सामने आती है। विथ कन्सल्टेशन आफ दी हाई कोर्ट आप कोर्ट्स का निर्माण करते हैं। जब सवाल आता है तो यह जवाब दिया जाता है कि राजस्थान सरकार इसका इन्तजाम करेगी। स्टाम्प्स का इन्तजाम नहीं, पाई पेपर्स का इन्तजाम नही, नकलनवीसों का इन्तजाम नहीं,

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि कर दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नहीं किया। अगर आपने ऑर्डर्स निकाल भी दिये होंगे, तो आपकी आज्ञा की तामील कोई नहीं करता। आपने जरूर हुक्म दिये होंगे लेकिन अब तक वही की वही स्थिति है। स्टाम्प्स नहीं मिलते बल्कि यह हो रहा है कि 15-20 रुपये के जो स्टाम्प्स होने चाहिए उनके ऊपर आठ, आठ आने की मोहर लगाकर वह टिकट बेचे जा रहे हैं। कोर्ट्स में पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं, बैठने के लिए कोई लिटिगेशन शेड्स नहीं हैं और जो लिटिगेशन शेड हैं उसको भी आपने किराये पर चला दिया। समझ में नहीं आता कि किस तरह से आपकी व्यवस्था चल रही है। आखिर जिन प्रश्नों को लेकर राजस्थान की सरकार को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिये। और वित्त मंत्रीजी अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि प्रिमिसेस कन्ट्रोल एण्ड लेण्ड इविक्जीशन एक्ट आया तो टीनेन्ट क्लास की इतनी वकालत की थी और यह बताया था कि लेण्ड लार्ड्स जिनको हैरेश करते हैं उनके बेनिफिट के लिये यह बनाया है। लेकिन एक काम्पलीकेटेड केस है जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। रीसेन्टली सेक्शन 13 के सब क्लॉज 4 और 5 के बारे में जो जजमेन्ट ऑफ दी हाई कोर्ट हुआ है कि फर्स्ट डे आफ हियरिंग को जितना किराया मकान मालिक किरायेदार से मांगता है वह खर्चा मुकदमा और ब्याज अगर किरायेदार अदालत में जमा नहीं करायेगा तो उसका डिफरेन्स स्ट्रक-ऑफ कर दिया जायेगा with all due respects to the judgment, I do not want to critisize judgement of the High Court. I do not want to say anything as far as the judgment has been passed by the Hon, ble Judge of the High Court. But I want to submit before you the Minister as to what should be the reasonable provisions of the statute and with that reasonableness, I would draw attention of the learned Minister that the interpretation that has been made by the judge is that suppose an excess demand is made by the landlord for instance only Rs. 100/- are due and the landlord has filed a suit for Rs. 1,000/- without any objection, then according to the interpretation which has been

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

made by the Court, the tenant is supposed to deposit Rs. 1,000/-.

श्रीमती सभानेत्री : यह कानून की बात हिन्दी म नहीं की जा सकती है क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कुछ प्रवाह में वह गया था । तो मैं मंत्री महोदय यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा कि और मुवक्किल कोई झूठा दावा भी 500 रुपया कहकर किसी किरायेदार पर कर देता है तो किरायेदार यह कह सकता है कि 400 रुपये तो म दे चुका हूं और यह रसीद है और 100 रुपये बाकी है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बहुत महत्वपूर्ण है । ....

श्रीमती सभानेत्री : तो आप पहले ही क्यों नहीं कह जाते । पहले तो दूसरी बातें करते रहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस बात को पूरा तो कहने दें तो। वह यह कहता है कि उसको पहले 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे उसके बाद उसका डिफेन्स सुनेंगे । सवाल यह है कि रीज़नेबल इन्टरप्रिटेशन होना चाहिए लेकिन जो निर्णय हो गया वह हो गया तो इस मसले को लॉ डिपार्टमेन्ट से स्क्रुटिनाइज कराके जो हाई कोर्ट का जजमेन्ट है उसको ध्यान में रखें। अगर आपको लॉ डिपार्टमेन्ट मानता है कि यह इन्टरप्रिटेशन ऐसा ही होना चाहिए और आपकी सरकार भी यह मानती है कि किरायेदारों के गलों पर इस प्रकार से छूरी चलाई जानी चाहिए तो निश्चित रूप से इस कानून को रहने दो......

श्री मथुरादास माथुर ; आप क्या सोचते हो बताओ ना ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा तो सबमिशन यह है कि इन्टरप्रिटेशन ठीक हो । यह इन्टरप्रिटेशन ठीक इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, रीजनेबल इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकता है । राजस्थान हाई कोर्ट ने जो इन्टरप्रिटेशन किया है कि 30 तारीख के अन्दर अन्दर रेन्ट पहुंचा दे, आपके प्रोवीजन के अनुसार 31वां दिन हो गया तो उसकी नहीं मानेंगे । हमारा रीजनेबल इन्टरप्रिटेशन यह है कि 63 में जो कानून था उसमें यह प्रावधान है कि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 भी वही लागू होगा जैसे कि सब लागू किये जायं, लेकिन 63 में लिमिटेशन एक्ट के आ जाने के बाद सेक्शन 5 का प्रोवीजन सब एप्लीकेशन पर लागू हो रहा है । एप्लीकेशनों में सब्सटेन्शियल कॉज बता देते हैं तो एक्स्टेन्ट किया जाय । हमारा कहना है कि रीजनेबल इन्टरप्रिटेशन आफ दी स्टेटीट्यूट हो । यह थोड़े ही हो कि हर एप्लीकेशन पर, हर प्रोवीजन पर लिमिटेशन एक्ट के प्रोवीजन लागू नहीं होते हैं और दूसरे कोई स्पेसिफिक प्रोवीजिन्स रख सकते ह । तो वह लागू नहीं होना चाहिए इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ रीजनेबल इन्टरप्रिटेशन मेरी तो न प्राब्लम है और न मैं लैण्डलार्ड हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह बता दूं कि लैण्डलार्ड का पक्षपात करना यह उन लोगों के लिए हित में है जिनके पास प्रापर्टी है.....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूं कि आप रिपीटीशन न करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे दल का एक ही सदस्य बोलने वाला हूं ।

Page No 104

श्रीमती सभानेत्री : आप भले ही एक हों ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे दल का समय मुझे दे द ।

श्रीमती सभानेत्री : 25 मिनिट से ज्यादा कोई सदस्य नहीं बोलने वाला है । आपके ही साथी बोलेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक मुद्दा और आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय को निवेदन यह करना था कि कुछ जयपुर की समस्याएं हैं, ज्वलन्त समस्याएं हैं और जिसके लिए राजस्थान सरकार आश्वासन दे चुकी है । उनका समाधान करें । वैसे तो अनेक मसले हैं और विशेष मसले हैं उन्हें और किसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा अभी समयभाव है और नियमों का उल्लघंन करना मैं पसन्द नहीं करता, और अनुशासन में रहकर आपसे निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं वे ऐसे हैं कि उन्हें शीघ्र ही पूरा करने की चेष्टा करेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरलाल । ऐसा है कि आप समय पर समाप्त करें । मुझे चेताने की जरूरत नहीं पड़े ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभानेत्रीजी, राजस्थान राज्य के लिए हम 1971-72 तक के लिए 1,74,41,20,000 रु० स्वीकृत करन जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह बिल हमारे बजट का अन्तिम चरण है । वास्तव में हमको यह देखना है कि बहुत सी बातें तो हमने अपनी ग्रान्ट के सम्बन्ध में कही, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे की बातें हैं जो डिस्कशन में नहीं आ सकीं और कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ पुनः संकेत करना अनिवार्य हो जाता है ।

सभापति महोदया, म सर्व प्रथम यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का प्रत्येक ग्रामीण और शहरी व्यक्ति को यह आशा रहती है कि इस बजट में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, उस बेरोजगारी की समस्या को कहां तक हल किया जा रहा है । मैं इस बात के लिए वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि कुछ बातें इसमें बेरोजगारी की समस्या को हल करने की कही है । लेकिन मैं उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव पेश करना चाहूंगा । एक बात तो यह कहता हूं कि जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के उनको हम जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक कुछ जो है महीना 150) या 250) रुपये देंगे । लेकिन, सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने जो पैसा देकर बेरोजगारी की समस्या को हल करने की तजवीज की है वह मुझे क्या कई लोगों को अच्छी नहीं लगी..........

श्री मथुरादास माथुर : मैंने बेकार बैठे-बैठे के लिए देने के लिए नहीं कहा है । उनको यह देंगे इनके मायने यह नहीं कि वे बेकार बैठे रहेंगे । They will be on job.

श्री शंकरलाल : यह इसमें नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह इसमें मैंने साफ कहा है क्लियरली कि चाहे डॉक्टर हों, चाहे इन्जीनियर हों, चाहे शिड्यूल्स कास्ट्स के हों उनका पूल बनेगा और जहां जहां गवर्नमेंट को जरूरत होगी वहां उनको काम पर, ड्यूटी पर लगायेंगे । उनकी तनख्वाह व ग्रेड नहीं होगा और उनको वही स्टीपेंड मिलेगा ।

श्री शंकरलाल : जब तक कि नौकरी नहीं मिलेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : तब तक वे काम करते रहेंगे । माना कि सर्वे ऑफ इंडिया में 10 आदमियों की जरूरत है तो हम उनको वहां पर भेज देंगे । वह वहां पर काम करेंगे ।

श्री शंकरलाल : मैं नहीं चाहता कि अनएम्प्लायमेंट के नाम पर डोज दिये जायं और यह एम्प्लायमेंट सही माने में नहीं है । लेकिन इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपकी जो अनएम्प्लायमेंट की प्राबलम है यह एक तो विलेजेज में है और दूसरे जो आपके एज्यूकेटेड पर्सन्स हैं उनमें है । तो यह दो प्रकार की चीज है । जहां तक विलेजेज के अनएम्प्लायमेंट का प्रश्न है उनके लिए जो अपने देश के अन्दर एक योजना केन्द्र द्वारा बनाई गई है जिसको कि हम फेज प्रोग्राम कहते हैं जिसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जिले में एक हजार ऐसे मनुष्य हों कि जिसके परिवार में कोई भी आदमी एम्प्लायमेंट में नहीं हो तो उनको जहां तक एम्प्लायमेंट देने का सवाल है तो इसके एक्जीक्यूशन का जो तरीका अपनाया है वह सही नहीं है। आपने एक जिले के अन्दर एक हजार आदमियों को एम्प्लायमेंट देने की बात कही है और उस जिले के अन्दर 10 पंचायत समितियां हैं तो आपने कह दिया कि हरएक पंचायत समिति में 100-100 आदमियों को एम्प्लायमेंट में लगायें । प्रश्न यह है कि एक पंचायत समिति में 20 गांव है तो हर गांव में पांच-पांच आदमियों को लगाया जाय । सवाल तो ऐसा है कि ऐसे एक हजार परिवार जिनके पास किसी भी सदस्य के पास दूसरा धन्धा नहीं है उनको लगायें और उनके लिए जिले में एक ही वर्क खोलें जहां कि वे हजार हजार आदमी रहे और उन हजार आदमियों के रहने की व्यवस्था करें और उनके लिए दूसरे प्रकार की व्यवस्था और सुविधाएं हों लेकिन आप इस तरह से तो केज्यूअल लेबर को एम्प्लायमेंट देने की बात करते है इसलिए वास्तविक अनएम्पलायड आदमियों को उससे सुविधा नहीं मिलेगी, क्यों कि गांवों में केज्युअल लेबर होता है । एक पंचायत समिति में आप 100 आदमियों को देने की बात कहते हैं तो गांवों में मानो काश्तकारी धन्धा नहीं हुआ बरसात नहीं हुई तो वे काम पर आ जावेंगे और बरसात हो गई तो वे काश्त की तरफ डाइवर्ट हो जायेंगे । अगर किसी आदमी के परिवार में कोई धन्धा नहीं है और वह कहीं का भी हो उसके लिए आप ऐसा प्रोडक्टिव काम खोलें तो जो अनएम्प्लाइड आदमी होगा वह वहां आ जायेगा । अगर गांवों में जायेंगे तो वहां पर हरेक आदमी केज्युअल लेबर आ जायेगा और वास्तविक रूप में जो अनएम्प्लाईड होगा वह रह जायगा । यह आपके डिसेन्ट्रीलाइज करने की बात है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ठीक है कि एक हजार आदमियों को काम पर लगायें, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में 5 पंचायत समितियां है तो पंचायत समिति के लेवल तक डिसेन्ट्रलाइज करने की बात है वह ठीक नहीं है । इससे आप जो लोगों को एम्प्लायमेंट देने की बात करते हैं वह नहीं होगी और केज्युअल लोगों को

(श्री शंकरलाल)

एम्प्लायमेंट मिलेगा और जो अनएम्प्लायड लेबर है विलेज का वह यों का यों ही रह जावेगा ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर का अनएम्प्लायमेंट इस बात से मिटने वाला नहीं है। जब तक कि जो गांवों के धन्धे हैं, जो कि आज बेकार हो गये हैं जैसे हमारे यहां वांमी लोग सूत का काम करते थे और वहां पर रेजा बनाते थे, बढ़ई हैं, लुहार हैं तथा दूसरे जो लोग गांवों के अन्दर धन्धा करते हैं उन लोगों के लिए जो है रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी एडाप्ट नहीं करेंगे तब तक गांवों में आपकी अनएम्प्लायमेंट का प्राब्लम मिटने वाली नहीं है, क्योंकि एग्रीकलचर पर जो पापुलेशन डिपेन्डेन्ट है वह तो खेती वाड़ी पर है हीं। उस पर भी प्रेशर बहुत है तो ग्रामों में ग्रामीण औद्योगिकरण की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी जाकर गांवों की बेकारी की समस्या को हल कर सकेंगे।

शहरों जो में एज्यूकेटेड लोगों के अनएम्प्लाइमेंट की प्राब्लम है मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह माना है कि कोई मेकेनिक में डिप्लोमा होल्डर है या इलेक्ट्रिसिटी में डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री होल्डर है उनके लिए आप बजट में कहते हैं, लेकिन अभी तक आपने पब्लिक सेक्टर म ऐसा बड़ा धन्धा नहीं लगाया है कि जिससे वे खप सकें। आप पब्लिक सेक्टर के अन्दर चाहे ट्रेक्टर्स का हों, चाहे दूसरी मशीनरी का हो, वैसा बड़ा धन्धा जब तक नहीं करेंगे तब तक यह कहना, कि हरेक आदमी को सुविधा देने को तैयार हैं और वह धन्धा करें ठीक नहीं हो सकता। एक तो अनएम्प्लायड आदमी है और जब खुद गवर्नमेंन्ट को भी साधन जुटाने में दिक्कत आती है, तो वह आदमी इन्डिपेन्डेन्टली कोई धन्धा चला सकता है ? आपको पब्लिक सेक्टर के अन्दर बड़े बड़े धन्धे खोलने पड़ेंगे जो कि राजस्थान के अन्दर उपयोगी हो सकते हैं, और जब बड़े धन्धे खोलेंगे, मसलन मने ट्रेक्टर का बताया था तो जोधपुर की बात सुनते थे, डेयरी की बात सुनते थे, लेकिन बात ही बात सुनते हैं। आप कोआपरेटिव सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में बड़े बड़े धन्धे खोलें।

दूसरी, म एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एग्रो-इन्डस्ट्रिज कार्पोरेशन द्वारा ट्रेक्टर दिये जाते हैं और काश्तकारों को देने की बात सुनने में आती है तो सदन में शिकायतें आती है कि ट्रेक्टर जिन्हें देते हैं तो वे उस काम में नहीं लेते हैं तो आप इसकी जांच करें कि जो ट्रेक्टर एग्रो इन्डस्ट्रियल बोर्ड से दिये जाते हैं, जिस काम के लिए दिये जाते हैं उस काम में आते हैं या नहीं ? जो बी० एससी० एग्रीकल्चर में हैं, उनको आज ट्रेक्टर की जरूरत है लेकिन उनको प्रायोरिटी में नहीं देते हैं। आप उनको दीजिये और सौ रुपये जमा कराने से जो प्रायोरिटी तय करते हैं, बहुतसों ने जो सौ रुपये जमा करा रखे हैं, वह प्रायोरिटी में आ जाते हैं, और वह ट्रेक्टर लेकर दूसरों को बेच देते हैं नफे में। इसलिए आप जेनाइननेस देखें और जो बी० एससी० एग्रीकल्चर हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, वह सौ रुपये जमा भी न करायें

(श्री शंकरलाल)

तो भी उनको दीजिये। इससे एक तो आप अनएम्प्लायमेंट दूर कर सकेंगे और दूसरे ट्रेक्टर का उपयोग सही करा सकेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोपरेटिव सोसाइटीज के निर्माण के लिए पहले अभियान चलाया जाता। मैं जानता हूं, पहले यह वित मंत्री के पास में सहकारिता विभाग था, उस वक्त जितनी तरजीह दी गई, उतनी अब दे रहे हैं या नहीं—इसमें मुझे सन्देह है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में सोशलिज्म को उसकी आत्मा बना कर चलने वाली सरकार को कोपरेटिव सेक्टर, कोपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। कोपरेटिव सेक्टर से गलत एलीमेंट को आप जरूर हटायें, उसमें मुझे शिकायत नहीं है, हम नहीं चाहते कि ऐसा एलीमेंट पनपे लेकिन कोपरेटिव मूवमेंट खत्म हो जाय—यह स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। जो कोपरेटिव सोसाइटी के निर्माण का अभियान चलायें तो उसमें आप अनएम्प्लाइड पर्सन्स को लें, जो बेकार मजदूर हैं, उनकी कोपरेटिव सोसाइटी बनायें, छोटे छोटे कृषकों की कोपरेटिव सोसाइटी बनायें और कोपरेटिव सोसाइटी से एम्प्लायमेंट के स्रोत खोल कर उनको धन्धा दें तो मैं समझता हूं कि इससे जल्दी समस्या हल हो सकेगी, बनिस्वत इसके कि जो इंडिविजुअल आदमी को ऋण देने की बात कही है। अगर आप इंडिविजुअल आदमी को ऋण देंगे तो कितनों को दे सकेंगे ? इसलिए कोपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करने के लिए स्पेशल अभियान चलाना चाहिए और इसके द्वारा अनएम्प्लायमेंट का प्रश्न हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे पी० डब्ल्यू० डी० हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इरिगेशन हो—सब महकमे के कामों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी चलायें तो मैं समझता हूं कि उद्देश्य की पूर्ति होने में सफलता मिलेगी।

दूसरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी अच्छी घोषणायें की है। मैं मानता हूं कि उन घोषणाओं की पूर्ति यदि हो तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान समाजवाद की ओर बढ़ सकता है और जो भी बातें कहीं है वह पूर्ण हो सकती है। लेकिन वह कार्यान्वित हो सकेंगी और मौजूदा मशीनरी उनको कार्यान्वित कर सकेगी—इसमें मुझे बड़ा भारी सन्देह है। आपने एक बात कही है, गांवों के अन्दर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां हैं उनके अन्दर बिजली और पानी मुफ्त दिया जायगा। जहां आलरेडी बिजली है और उन बस्तियों में लाईन नहीं गई है तो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की बस्ती की तरफ लाइन डाली जायगी। पानी नहीं है तो राज्य सरकार के खर्चे से सार्वजनिक नल लगाये जायेंगे। आप नोटिफिकेशन निकाल कर एक शिड्यूल्ड टाइम में यह करना चाहते हैं जिससे जहां कहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड और ट्राइब्स की बस्तियां हैं, उनको उस टाइम तक यह सुविधा मिल जाये। इस प्रकार आपने जो घोषणा की है, मुझे सन्देह है वह कार्यान्वित हो सकेगी। आप इम्पलीमेंट करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को चुनें। मैं नहीं कहता कि सारी बातें एक साथ कर दें। सारी बात करना सम्भव नहीं होगा जो आप कर सकते हैं उनका आप चुनाव करके उनको इम्पलीमेंट कर दें, और वह कार्यान्वित हो जायं तो मैं समझता हूं कि

(श्री शंकरलाल)

हमारा मकसद कुछ पूरा हो सकता है। गांवों के अन्दर आज समस्या पेयजल की है, हाउसिंग की है--इन बातों को सदन में कई बार कहा गया है लेकिन में फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप हाउसिंग की बात कहते तो हैं लेकिन हाउसिंग के लिए, रहने के लिये प्लाट नहीं है, पंचायत देती नहीं है। इसलिए आप पंचायतों को कहें और सरक्यूलर निकाल कर राज्य आज्ञा निकाल कर इसको इम्प्लीमेंट करायें। आप पंचायतों से फिगर मंगावें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोगों को प्लाट दिये है, और नहीं दिये है, तो क्यों नहीं दिये हैं और कितने लोग प्लाट चाहते हैं। यह काम केवल घोषणा मात्र से नहीं होगा। आप इसको इम्पलीमेंट करायें और जो आपकी पालिसी है उसके इम्प्लीमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर न रहें। आज पंचायत समिति के लिए यह कहा जाता है कि उनके पास में काम नहीं है, जिला परिषद् के पास काम नहीं है, बजट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन बाडीज को बीच में लिया है, यह बाडीज हैं, स्लीपिंग बाडीज हो रही है इसलिए यह आज कल कहा जा रहा है कि इनको खत्म किया जाय। मेरा निवेदन है कि वह इस स्थिति में इसलिए हैं कि आप उनको इम्पार्टेन्स नहीं दे रहे हैं। आप उनको इम्पार्टेंस दें और बजट का इम्प्लीमेंटशन उनके थ्रू करायें, जल्दी करायें और निश्चित टाइम में करवायें तो उसका अच्छा फल नजर आ सकता है।

दूसरा, में निवेदन यह करना चाहूंगा: सभानेत्री महोदया, राजस्थान के अन्दर सरकार ने कई बार यह कहा है और बेगर्स की प्राबलम को रिमूव करने के लिए इस सदन में बिल लेकर आई लेकिन वह एक्ट नहीं बना। राजस्थान के अन्दर जयपुर जैसे शहर में कहीं खड़े हो जाइये, बेगर सामने आते है तो बड़ा दुख होता हैं। समाजवाद और लोकतंत्र के अन्दर आज भी गरीब रहें और आज के जमाने में भी भिखमंगे देश में रहे तो यह कलंक की बात है। समाज कल्याण विभाग के जरिये छुटपुट योजनायें बनाई गई हैं जयपुर शहर में बताया है कि भिक्षुक गृह खोल कर चला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप दूसरे प्रान्तों की तरह भिक्षावृत्ति निवारण कानून बनायें, जो भिक्षुक हैं उनके गृह बना कर उनको काम दीजिये जो काम करने योग्य आदमी है उनको काम दीजिये, जो बूढे हैं, जिससे कुछ नहीं हो सकता है उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिये, जो ओल्ड एज पैन्शन की बात कही है वह ठीक है। लेकिन इस प्रोबलम को आप साल्व नहीं कर रहे है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए इसको देखना चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह विनियोग विधेयक है, इसमें धारा 3 में कहा गया है विनियोग अनुसूची में उक्त वर्ष के लिये बतलाई गई सेवाओं व कार्यों के लिए किया जावेगा जो काम बताये हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन, सभानेत्री महोदय, वित्त मंत्रीजो यहां नहीं हैं, इरिगेशन मिनिस्टर भी नहीं है, मैं कुछ एसी बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जिनसे आपको मालूम होगा कि जिन बातों के लिए बजट में प्रावधान रखा जाता है उन मदों के

(श्री शंकरलाल)

लिए पैसा खर्च नहीं किया जाता है ऐसा नहीं होता है तो न मालूम क्यों बजट पास कराया जाता है। मनी इधर उधर डाइवर्ट कर देते है और इस प्रकार लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। उदाहरण लिए आय-व्ययक अनुमान, 1971-72 है वाल्यम 2। इसके अन्दर, पेज 149 के अन्दर यह बताया गया है सुमेरपुर खंड की इर्रिगेशन स्कीम्स के बारे में। इसमें बताया है बरोंटिया खुर्द की योजना के बारे में, यह योजना 1965 के अन्दर बनी, कुल स्वीकृत लागत है 9,50,000 यह मंजूर हुए। फिर यह बताया गया है, 1969-70 के अन्दर 7,96,000 व्यय हुए फिर 1970-71 के अन्दर 50 हजार खर्च हुए और 1971-72 के लिए 5 हजार रुपये रखे हैं। यह मेरी कान्स्टोट्यूएन्सी का है इसमें 9,50,000 की योजना बनी और उसमें से 7,96,000 और 50,000 हजार खर्च करने की बात करते हैं। लेकिन वहां काम शुरू भी नहीं हुआ है। वह योजना प्रारम्भ नहीं हुई है तो यह योजना कार्यान्वित कैसे होगी ? मैं पूछना चाहूंगा यह कैसे खर्च हुआ ?....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह खर्च नहीं हुआ, मंजूर हुआ है।

श्री शंकरलाल : आप सुनिये, ऐसा है, यह योजना स्वीकृत हुई 1965 के अन्दर, कुल स्वीकृत लागत 9,50,000। सुनिये आप अमाउन्ट स्पेन्ट अप टू 1969-70 क्या मतलब है ? यानी खर्च किया गया 1969-70 में। कितना ? 7 लाख 96 हजार रुपया खर्च किया गया योजना प्रारम्भ नहीं हुई, 1970-71 में खर्च किया गया 50 हजार और 5 हजार 1971-72 में खर्च होगा। मैं पूछना चाहूंगा, यह रुपया कहां गया किस योजना में डाइवर्ट किया है। इस प्रकार लाखों रुपया स्वीकृत हो जाता है तो मैं कहना चाहूंगा और जवाब चाहूंगा, यह मेरे क्षेत्र की बात है, ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं, राजस्थान में लाखों रुपये स्वीकृत होना और लाखों रुपया व्यय होना बता देते हैं और इस प्रकार गलत इंफार्मेशन दे देते हैं। पैसा खर्च करना दूर रहा, कामभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा एक जरूरी बात निवेदन करूं कि इसी प्रकार इस बजट के पेज 186 पर बताया गया है कि सोजत से बिलाड़ा सड़क के सुधार के लिए 2.40 लाख रुपए मंजूर हुए पाली जिले में और इसी सड़क पर जोधपुर जिले में 2.40 लाख मंजूर हुए। सोजत-बिलाड़ा सड़क का सुधार पाली जिले में और जोधपुर जिले में मंजूर हुए। सड़क कितनी लम्बी है, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। एक ही काम है, एक ही जिले में मंजूर क्यों नहीं हुई ? दोनों जगह रकम खर्च हुई है या एक ही जगह ?

इसके साथ साथ आगे बताया गया है कि देवली से जैतारन एप्रोच रोड के लिए मंजूर हुआ 2.50 लाख 1969-70 में और 2.12 लाख खर्च हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देवली से जैतारन काम चालू नहीं हुआ, चंडावल से देवली काम शुरू हुआ है। जिस काम के लिए रुपया मंजूर हुआ, उस काम के लिए नहीं दूसरे काम के लिए खर्च हुआ। इसी तरह लांबिया से ब्यावर 1.70 लाख मंजूर हुए, लेकिन खर्च क्यों

(श्री शंकर लाल)

नहीं किया गया ? तो लाखों रुपए की मंजूरी करवाते हैं, यह गलत पॉलिसी है। सरकार को अधिकार होते हुए भी अगर इसका प्रयोग करती है तो मैं समझता हूं यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है, लाखों रुपए स्वीकृत करा लिए अमुक कार्य के लिए और उसको पूरा न करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दे, यह अच्छी बात नहीं है।

कुछ जिले रूरल वर्क्स प्रोग्राम में हैं। उनमें पाली जिला भी एक है। उस प्रोग्राम के अंदर यह भी कहा गया है कि अधूरे अकाल के कार्य पूरे किये जायेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम में पाली जिले में मान लीजिए केवल सिंचाई के लिए, वन विभाग के लिए और भू-संरक्षण के काम लिए गए, सड़क के काम नहीं लिए गए, पी० डब्ल्यू० डी० से कहें कि अधूरे पड़े हैं तो कहते हैं कि आपका जिला रूरल वर्क्स प्रोग्राम में आया है। लेकिन रूरल वर्क्स प्रोग्राम में तो पी० डब्ल्यू० डी० का एक भी कार्य नहीं लिया गया तो इसका तात्पर्य यह है कि अकाल में जितनी सड़कें बनी, जो अधूरी पड़ी हैं उसमें लगे लाखों रुपये बेकार जायेंगे लेकिन इस चीज को विभाग नहीं देखेगा कि कौनसे काम अधूरे पड़े हैं, जिनको पूरा करना जरूरी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल दो तीन मिनिट बोलूंगा।

इस प्रकार सिंचाई के कार्यों में छोटे छोटे एनीकट्स के कार्य जो कि अकाल के समय में लिए गए, कोई 22 हजार का, कोई 25 हजार का, अधूरे रह गए। हमें आशा थी कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम में पूरे किये जायेंगे लेकिन अकाल राहत मंत्री ने बताया कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम में तो वही काम लिये जायेंगे जिन इन्डिविजुअल वर्क्स की सेंक्शन भारत सरकार से ली जायगी और भारत सरकार से सेंक्शन ली जायगी विभाग की प्रोजेल पर अकाल के जो प्रोजेल्स बनते थे तब तो फेमिन एडवाइजरी कमेटी की सलाह लेते थे, उसमें विधायक और प्रधान भी थे लेकिन जब कामों को पूरा करने की बात आई तो आपके विभाग ने कहा ये प्रपोजल्स सीधे भारत सरकार के सामने भेजेंगे और स्वीकृत होंगे। मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह रेड टेपिज्म अपनायें आपका कर्तव्य है कि भारत सरकार के ध्यान में लायें कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर जो स्कीम है, जो अधूरी रह गई हैं, एनीकटस है, उनको लेना पड़ेगा वरना लाखों रुपये नहीं बल्की करोड़ों रुपये बेकार जायेंगे। इससे करप्शन बढ़ेगा जो प्रपोजल विभाग अपनी तरफ से भेजता है, उसका कोई उपयोग न होते हुए भी स्कीम भेजकर भारत सरकार से स्वीकृति मांग लेंगे। क्यों नहीं आप नान आफिसियल्स इसके अन्दर शामिल करते हैं ? जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रूरल वर्क्स प्रोग्राम के बारे में प्रश्न उठाया था। मैं समझता हूं वित मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्री को इस बात को हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत जिन जिलों में कार्य हो रहा है वहां के नान आफिसियल्स विधायक प्रधान सब की सलाह से जो प्रपोजल्स बनेंगे, उनके अनुसार खर्च होगा।

कुछ जिले इंडस्ट्रियल प्रोग्राम में लिए

(श्री शंकर लाल)

गए, 16 जिले लिए गए हैं। मैंने देखा पाली जिले का नाम नहीं है। पाली में 5 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं। जहां 16 जिलों में औद्योगीकरण की गुंजाइश है, उनमें पाली का नाम नहीं। आपने किस आधार पर इन जिलों को चुना है? आप कोई भी आधार मानें, कोई ऐसा आधार नहीं है जिसमें पाली जिला नहीं आता है। अतः मेरा निवेदन है कि आपने इंडस्ट्रिलाइजेशन प्रोग्राम है जो 16 जिले लिए हैं उनमें पाली को भी शामिल करें।

अंत में, मैं निवेदन करता हूं कि जो एप्रोप्रिएशन बिल है वह मेटर्स आफ पब्लिक इम्पार्टेन्स आफ एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी का होता है। तो आप जितनी भी स्कीम है उनका इम्पलीमेंटेशन ठीक ढंग से करायें तो कुछ परिणाम आने वाले हैं, वरना आपका बजट बुरा नहीं है, कितनी भी आलोचना करें जो कुछ है अगर इम्पलीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए तो कई बातें अजीब कर सकेंगे और समाजवाद की ओर बढ़ सकेंगे।

श्री सभापति : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल, (कोटा): सभापति जी, सरकार इस एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए रकम लेना चाहती है। जहां तक धन देने का सवाल है यह बिल पास होगा, हम इसका विरोध करेंगे उसके बावजूद भी पास होगा और शायद हमें आपत्ति भी न हो कि राज्य सरकार अगर इस धन को राजस्थान के विकास में लगाए लेकिन ज्यादा दुख इस बात पर होता है, हो सकता है कि नीतियों पर हमारा राज्य सरकार के विरोध हो, कुछ खामियां हमें राज्य सरकार की दिखती हों, हम आलोचना करें लेकिन जब स्वयं राज्य सरकार अपनी घोषित नीतियों पर आचरण नहीं करती, उन नीतियों की उपेक्षा करती है। मैं, राजस्थान के अन्दर स्वायत्त शासन संस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज राजस्थान में जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, जो नगरपालिकायें हैं और नगर परिषदें है, जिनका सम्बन्ध शहरों से है, शहरों की पढ़ी लिखी जनता से आता है आज उनकी किस प्रकार से दयनीय हालत है। मैं समझता हूं देश में अन्य संस्थाओं की इस प्रकार की दयनीय हालत नहीं हो सकती। वे आज पैसे के मामले में राज्य सरकार की ओर देखती रहती हैं। जो कुछ उनका बजट है राज्य सरकार उन पर अंकुश लगाती जाती है। चाहे प्री आडिट सिस्टम वहां पर बिठाया है, लेकिन चुनाव समय पर नहीं होते, उनके जो अधिकार हैं उनको बांधने का प्रयास किया जाता है। आप ताज्जुब करेंगे आज नगर परिषद् का अध्यक्ष है जिससे आशा की जाती है कि होल टाइम देकर वह सर्विस दें उनको हमारे यहां सैलेरी की व्यवस्था एक्ट के अनुसार 150) प्रति माह होती है, उसके मुकाबले आर० ए० एस. अधिकारी कमिश्नर को बिठाया है उनको 800-800, 1,500-1,500 महीना तनख्वाह मिले, क्या इसको राज्य सरकार के लिए शोभनीय कहा जा सकता है? नगर परिषद् के अध्यक्ष को 150....

श्री वृद्धिचन्द जैन : नगर पालिका के अध्यक्ष को 75/-।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कहीं 50/-

(कृष्णकुमार गोयल)

है। उसके मुकाबले में कमिश्नर्स जो आर० ए० एस० हैं उनको 800, 1,000 या 1,500 दें, उसका भार राज्य सरकार वहन न करके म्युनिसिपिलेटी वहन करें, यह विडंबना नहीं ? उनका जो अधिकार क्षेत्र है कहीं पर मंडी कमेटी का एन्क्रोचमेन्ट है, कहीं पर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का एन्क्रोचमेन्ट है, कहीं पर कालोनाइजेशन का एन्क्रोचमेंट है। नगर परिषद् अपने क्षेत्र में खुलकर भूमि के क्रयी विक्रय के बारे में एलाटमेंट के बारे में लीज देने के मामले म स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकार ने भिन्न भिन्न एजेंसीज बनाकर उनको पंगु बना दिया है। आपने जो राजस्थान में यू० आई० टीज० का निर्माण किया, उनके पीछे मन्शा क्या थी? आप ईमानदारी से महसूस करते हैं कि इन य० आई० टीज0 ने नगरों के विकास के लिए, उनकी बहबूदी के लिए कोई काम किया ? वे केवल पिंजरापोल है। जिसको राजस्थान की जनता ने चुनावों में ठुकराया, उनके आगे टुकड़ा डालकर यू० आई० टीज० के चैयरमैन के नाम से बिठाया हुआ है। एक ओर तो इलेक्टेड बॉडी है, वार्ड मेम्बर इलेक्टेड, म्युनिसिपल कौन्सलर इलेक्टेड, चेयरमेन इलेक्टेड और प्रेसिडेन्ट बैठे हों, उनकी उपेक्षा की जाय और पिंजरापोल में पालने के लिये जिनको जनता ने राजनैतिक दृष्टि से ठुकराया उनको मनोनीत करके बैठा देते हैं। जयपुर की ही स्थिति देख लीजिये। 62 में राम किशोरजी हारते हैं तो उनको यू०आई०टी० में बिठा दिया जाता है। 67 में बालचन्दजी वैद हार जाते हैं तो उनको यू०आई०टी० में बिठा दिया जाता है।

श्री भीखाभाई : ऐतराज क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिनको जनता ने ठुकराया है, अपनी राजनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये उनको इन जगहों पर बिठा देते हैं नोमिनेट करके यह अनुचित है। आप यह कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : योग्यतायें हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सही है इसको भीखाभाई आप महसूस करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : योग्यता तो ऐसी है डिप्टी मिनिस्टर रामचरण और श्री कन्हैयालालजी की जैसी।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : भीखाभाई तो मुन्सिफ थे और डाइरेक्टर उनके ऊपर था और वह उनको नहीं मानता था। डाइरेक्टर लोकल बोडीज मिनिस्टर थे और ये उनके नीचे काम करते थे।

श्री लाभचन्द वैद : आपकी योग्यता तो हरिजन छात्र गा रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपका समय नष्ट हो रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यू०आई०टी०, उदयपुर का प्रेसिडेन्ट श्री गिरधारीलाल और सुखाड़ियाजी का इलेक्शन एजेन्ट। कोटा की यह स्थिति है कि नाथूलालजी को चुनाव लड़ाने लिये उनसे स्तीफा दिलवाया और हार जाते हैं तो उनको वहां बिठा दिया जाता है। पहले तो उनको बेरी कमीशन में लगा दिया और वह खत्म हो गया तो लेंगवेज कमीशन में लगा दिया और वह समाप्त हो गये तो उनको यू०आई०टी०, कोटा का चैयरमेन लगा देते है। वह मखौल बना रखी है और इन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लोगों को पालने के लिये बना रखी है। तो आपका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है और विश्वास है तो जनता ने जिनको ठुकराया है उनको इस प्रकार ने ले जाकर नहीं बिठायें।

यू०आई०टी०, जयपुर की क्या स्थिति है? जब से इसका निर्माण हुआ है इतिहास इस बात का द्योतक है और सबूत है कि जयपुर के विकास में सहयोग दिया हो और नई बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनको अच्छी जगह बसा कर रखा हो। ऐसा नहीं किया है। बस्सी सीताराम पुरा की कोलोनी में यू० आई० टी० ने मनमाने ढंग से फर्जी नाम से जो जीवित नहीं हैं, दिल्ली बैठ हैं उनको अलॉट किया और शिकायत होने पर यह मामला राजस्थान विधान सभा की पिटीशन कमेटी के सामने आया और 67 में उसने एक रिपोर्ट दी उसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि लोगों को मनमाने ढंग से, फर्जी नाम से प्लाट एलॉट किये गये और उसमें यह उल्लेख आया है...

श्री भीखाभाई : कहां से आ गया?

श्री कृष्णकुमार गोयल : पीटिशन कमेटी विधान सभा की है उसकी यह रिपोर्ट है।

श्री भैरोंसिंह : जिस रिकार्ड की चिन्ता करते हैं, वह वही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तिवारीजी सरीखे व्यक्ति रहे, रामकिशोरजी सरीखे व्यक्ति रहे थे और जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको उन लोगों ने प्लाट अलाट किये। वह रिपोर्ट सामने है। रेवेन्यू बोर्ड के मि० सूद को अपोइन्ट किया। उसकी रिपोर्ट, जो उन्होंने पेश की, उसको दबा दिया। फर्जी तरीके से जिन्होंने

(3.55 म०प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

प्लाट अलाट किये, कमेटी कोई काम नहीं कर सकती, वह केवल अपराधी घोषित कर के चुप रह जाती है।

यह प्रश्न केवल बस्सी सीतारामपुरा का ही नहीं है। अगर यू० आई० टी० की जितनी कार्यवाही को देखें तो हर जगह फ्राड है।

एक एक्ट बना हुआ है। 59 में एक्ट बन कर पास हो गया। यू० आई० टी० को चाहिये था कि एक्ट में जो प्रावधान हैं उनको फालो करें। यू० आई० टी० एक्ट में लिखा हुआ है, उनकी धाराओं में लिखा हुआ है, क्या अधिकार हैं यह लिखा हुआ है, किस प्रकार भूमियों को ग्रहण करना चाहिये, नोटिसेज को निकालना चाहिये इसका प्रोसिजर दिया हुआ है। लैंड एक्वीजिशन में सेक्शन 4 और 6 के नोटिसेज देकर एक्वायर करते चले जा रहे हैं। जब यू० आई० टी० को इच्छा हुई तो नोटिस निकाल दिया और ओबलाइज करना है तो उसको रिलीज कर दिया। यू० आई० टीज० हैं, जहां जहां नोटिसेज निकले हैं लेकिन एप्रोच हो गया, किसी प्रकार का एप्रोच रहा हो, उनको रिलीज कर दिया। एक है चौमूं हाउस। 4-4-57 को नोटिसेज दिये, अवार्ड हो गया। वर्कशाप के लिये उसको लेना था।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उन्होंने एप्रोच किया और आपने उस स्कीम को ड्राप कर दिया। सामोद हाउस 53 में एक्वायर किया, नोटिसेज जारी किये, उसको ड्राप कर दिया। कानोता हाउस 25-4-57 को नोटिस दिया। नायला हाउस, 57 में नोटिस दिया और अवार्ड 59 में दे दिया, उसको ड्राप कर दिया। डिग्गी हाउस 56 में एक्वायर किया। लेकिन ड्राप कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप भी ड्राप करें अपने भाषण को।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार भिन्न समय में, यू०आई०टी०, जयपुर में एक्वीजिशन्स किये, और रिलीज कर दिया उनकी आप जांच करवायेंगे? बारगेनिंग हुआ था, सौदेबाजी हुई थी, पैसा पहुंच गया और रिलीज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले इस विधान सभा के एक प्रश्न के माध्यम से एक विशेष मसला इस सदन के समाने वसन्त विहार भूमि नामक एग्रीकल्चरल लेण्ड के बारे में आया था। यह वसन्त विहार भूमि जयपुर शहर के बाहर टोंक रोड पर स्थित है। इस एग्रीकलचरल लैंड का बेचान यू०आई०टी० द्वारा जयपुर शहर की कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्री श्री श्रीराम गोटेवाले को किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस जमीन को बेचते वक्त यह शर्त थी कि चूंकि यह जमीन एग्रीकल्चरल लैण्ड है अतः इसे बेचा नहीं जाना चाहिये। पर, अध्यक्ष महोदय, यू०आई०टी और श्री श्रीराम गोटेवाले ने इस शर्त को बलाये ताक रख दिया। और इस यू०आई०टी०, जयपुर ने श्रीराम गोटेवाले को इस लैण्ड का सबडिविजन करने का अधिकार दे दिया। अध्यक्ष महोदय, यह जमीन श्री श्रीराम गोटेवाले द्वारा दो लाख रुपये में खरीदी गयी थी। इस जमीन में 14 बीघा और 42, 500 वर्ग गज जमीन है। अध्यक्ष महोदय, यू०आई०टी द्वारा सब डिविजन करके बेचन की अनुमति मिलने से इन्हीं श्री श्रीराम गोटेवाले ने उस जमीन को छः लाख रुपये में बेच दिया। यह जमीन, अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के किये बता दूं कि एक सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचा गया। आप कहते हैं कि आपने इनसे डेवलपमेन्ट चार्जेज के रुपये ले लिये हैं। आपने ऐसा बताया कि आपने 15,300 रुपये एक लिये है, 29,370 रुपये आपने पानी के चार्जेज के लिये, 4,600 रुपये आपने रोड चार्जेज के लिये और इसके अलावा आपने 13, 700 रुपये नालियों के चार्ज कर लिये हैं और इस प्रकार आपने इनसे 65,000 रुपये के करीब से थोड़ा ज्यादा लेकर इन्हें प्लोट काट कर बेचने की अनुमति दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वह जमीन छः लाख रुपये में बेची है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब जमीन बेचते वक्त शर्त थी कि जमीन एग्रीकल्चरल लैण्ड है और इसको नहीं बेचा जाना चाहिये तो मंत्री महोदय, आप जवाब दें किस प्रकार इन्होंने उस जमीन के 94 प्लोट काटे और वहां पर दो दुकानें भी बनाली। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि न्होंने उन प्लाटों के बेचान के लिये इन लोगों से 6,300 रुपये एडवान्स भी ले लिया है। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, जो सम्पत्ति दो लाख रुपये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

की थी, वह छः लाख रुपये में बेची गयी। यू०आई०टी० ने इनसे नॉमीनल प्राइस लेकर उस एग्रीकल्चरल लण्ड को कहते हैं आबादी में कनवर्ट कर दिया, मैं आज भी मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि वह जमीन आबादी लैण्ड है नहीं, आज भी वह जमीन एग्रीकल्चर लैंड है। इस जमीन के बारे में जयपुर में आज भी केसेज पैंडिग हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भी इस जमीन के बारे मे जयपुर में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के सामने केसेज पेन्डिग हैं। इस चीज की जांच आप तहसीलदार, जयपुर से कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इस जमीन के लगान के रुपये 145.96 पैसा सम्वत् 2025 तक जयपुर में तहसीलदार के यहां जमा हुए हैं। आप चाह तो खसरा नम्बर मेरे पास है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तहसील-दार की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की और न जाने आपने कौनसे कोई सन् 46 के कागजात के अनुसार सौदेबाजी करके उन्हें सब डिवीजन करने का अधिकार दे दिया। अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस की सरकार अपने सब छुट भाईयों को इस प्रकार से पनपा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कोई एकाध मामले ही नहीं हैं पर ऐसे तो अनेक मामले हैं। एक बात मैं आपसे इसी प्रकार के यू० आई० टी० कारनामों की निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक श्री सन्तुराम जी हैं, कहते हैं वे कोई पंडित हैं जो कि श्री सुखाड़ियाजी के वास्ते अनुष्ठान करते हैं। श्री सन्तु-रामजी के लिये कहा जाता है कि वे तान्त्रिक हैं और सुखाड़ियाजी राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने रहें, उनका आसन नहीं डिगे, इसके लिए वे मन्त्र जाप करते हैं....

श्री रामकिशन : अगर अनुष्ठान करते है तो उन्हें भी कुछ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय कम है, आप तो अपना भाषण जारी रखिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन सन्तुरामजी को भी तो कुछ फायदा पहुंचाना चाहिये तो इस सरकार के मुख्य मन्त्रीजी ने यू० आई० टी० से गलता दरवाजा के बाहर सन्तुरामजी को 23 हजार वर्ग गज जमीन जो कि एग्रीकलचर लैण्ड है, दिलवा दी है। अध्यक्ष महोदय, इस एग्रीकलचर लैण्ड के सब-डिवीजन करने के आदेश भी दे दिये गये हैं। म पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि आपको क्या अधिकार है इस तरह से एक ही आदमी को इतनी जमीन देने का? अध्यक्ष महोदय, अभी तक उन जमीन का कनवर्शन हुआ नहीं है इनसे कोई बेटरमेंन्ट चाजज नहीं लिया गया है। यू० आई० टी० ने बगैर कुछ सोचे विचारे जयपुर शहर के पास इस तरह से 23 हजार वर्ग गज जमीन मेंन रोड पर दे दी है जो कि सम्पत्ति लाखों रुपये की है, और इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की जमीनें और जयपुर शहर के आस पास की जमीनों की कीमत करोड़ों रुपयों की है उसे आज यू० आई० टी० अपने मनचाहे भाव से कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी बंगलिंग आज जयपुर में

Page No 116

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

यू०आई०टी० द्वारा होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको लाल कोठी स्कीम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पांच मिनट में ही हो जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझ 25 मिनट का समय दिया गया था। मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जितना बंगलिंग हो रहा है उसमें लाल कोठी स्कीम की भी जमीन है। अध्यक्ष महोदय, यह लाल कोठी की स्कीम जो है उसमें जो क्षेत्र आता है उसकी शुरूआत राम बाग चौराहे से लेकर है और मैन रोड के साथ टौंक फाटक तक आगे चला गया है और इसमें रेल्वे स्टेशन जयपुर साउथ तक दूसरा सिरा इसका जहां बर्मा शेल ट्रेडिंग कम्पनी के जो बिल्डिंग है वहां तक है। इसमें राम बाग चौराहे पर जो स्टेडियम बना हुआ है उसके आगे आस पास की जमीन भी है। यह सब क्षेत्र लाल कोठी स्कीम में आता है। यह लाल कोठी स्कीम यू०आई०टी० ने 21-6-61 को बनायी और उस स्कीम को आपने स्वीकार किया है सन् 1964 में। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस स्कीम में यू०आई०टी० द्वारा 5 गावों की जमीन को भी शामिल कर लिया है। ये गांव है (1) सुदर्शनपुरा गांव की जमीन 50 बीघा, (2) चक सुदर्शनपुरा की 155 बीघा जमीन है (3) मोजपुरा की 437 बीघा जमीन (4) रामपुरा की व गोपाल पुरा की 7 बीघा जमीन भी इसमें शामिल है। इस जमीन के लिये समय समय पर जिन लोगों ने इस जमीन को अन-ऑथोराइज कब्जा करके हथिया ली थी उन्हें सेक्शन 4 व 6 के नोटिसेज दिये गये थे। मैं माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि जो जमीन यू० आई० टी० के नीचे नहीं आती है उन गांवों की जमीन को आपने इस स्कीम में कैसे ले लिया? और इसके साथ ही उस जमीन के मालिकों को नोटिसेज क्यों दिये गये? आपने सुदर्शनपुरा गांव की 50 बीघा जमीन जो कि इस स्कीम में नहीं आती है जो कि बिल्कुल आपकी जमीन से अलग है वहां के बारे में आपने नोटिसेज कैसे दिये, और जो जमीन आपके क्षेत्र में हैं लाल कोठी स्कीम में आती है, राजस्थान केनाल बोर्ड के ऑफिस के पास पड़ी है और उस जमीन को एक्वायर करके लोगों ने वहां पर मकान बना लिये हैं उन्हें आपने सेक्शन चार व छ: के नोटिसेज क्यों नहीं दिये? अध्यक्ष महोदय, वहां की जमीन पर जिन्होंने कब्जा करके बड़े बड़े भवन बना लिये हैं उन्हें आपने कोई नोटिसेज सेक्शन चार व छ: के नहीं दिये हैं। इसका कारण यह है कि जिन्होंने ये भवन बनाये हैं वे राज्य के बड़े बड़े अधिकारी हैं। इसलिये राजस्थान सरकार की यू० आई०टी०, जयपुर ने उन्हें नोटिसेज नहीं दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब बंगलिंग हो रहा है, इस जमीन पर। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि किन किन अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। पहले तो हैं आपके श्री जे०पी०

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सिवा जो कि डी०आई०जी०पी० हैं। दूसरे एक मिस्टर एन०सी० भटनागर हैं जो कि सल्स टैक्स कमिश्नर हैं, तीसरे श्री डी० एस० कोठारी हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी हैं। इन्हें आपने कोई नोटिसेज नहीं दिये हैं पर गरीबों को आपकी यू०आई०टी सेक्शन चार और छः के नोटिसेज देती है। उन्हें परेशान करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो कि सरकारी बड़े बड़े ऑफिसर हैं आपने नोटिसेज क्यों नहीं दिये, क्यों नहीं आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि यह स्कीम सन् 61 में बनायी गयी थी और जो मकान बनाकर लोगों ने अन आथोराइज्ड जमीन हथियाई है वह उसके बाद में हथियाई है। यह जयपुर के यू०आई०टी० वालों ने अपनी मन मानी करके उन लोगों को, जिन्हें इन्होंने नुकसान पहुंचाना चाहा, नोटिस दे दिया। जिनको नुकसान नहीं पहुंचाना होता है उन्हें नोटिस नहीं देते। जब मकान बना लिया जाता है तो बाद में नोटिस देते हैं ताकि उन्हें जो फायदा पहुंच सके वह पहुंच जाये। केसेज मन माने ढंग से कम्पाउन्ड कर दिये जाते हैं। जमीन की कीमत जयपुर में ज्यादा और इस तरह से आज जयपुर म यू०आई० टी० ने धान्धली मचा रखी है।

इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यू०आई०टी० वाले नोटिसेज एक साथ नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को इन्होंने 9-6-60 को सेक्शन चार का नोटिस दिया और उसे ही फिर बाद में 11-5-66 को दूसरा नोटिस सेक्शन छः का दिया। इसी तरह से एक नोटिस सन् 62 में सेक्शन चार का दिया और बाद में सेक्शन छः का नोटिस दिया। इस संबंध में मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि ये अपने मन माने ढंग से नोटिस जारी करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कभी किसी को और कभी किसी को जब इच्छा होती है तो नोटिसेज निकाल देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आप जिन लोगों के खिलाफ नोटिसेज निकालना चाहते हैं वह चार और छः सेक्शन के नोटिसेज एक साथ क्यों नहीं निकालते और सब के साथ समानान्तर नीति क्यों नहीं अपनाते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि रामपुरा के अन्दर एक जमीन श्रीमती कलावती देवी के नाम से एलॉट की गयी थी। ये श्रीमती कलावती देवी कौन हैं? अध्यक्ष महोदय, यह श्रीमती कलावती देवी श्री सूरजकरण ऐरन की मदर हैं। जो कि पहले जयपुर में एस०डी०ओ० रहा चुके हैं। ये जयपुर में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं जहां पर इनके खिलाफ बहुत सी भ्रष्टाचार की शिकायत आयीं तो वहां से इनका तबादला कर दिया गया और अब ये जयपुर में कहीं जमे हुए हैं। इन्होंने सात बीघा जमीन एग्रीकल्चरल लैण्ड की ली थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इनके खिलाफ कोई नोटिसेज सेक्शन चार और छः के जारी किये? क्यों इनके खिलाफ आज तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की? इसीमें इन्होंने मकान बना लिया है। इनके बाद में जिन्होंने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उस जमीन के आसपास मकान बनाये हैं उनको आपने नोटिसेज दिये हैं सेक्शन चार और छः के । बड़े शर्म की बात है, अध्यक्ष महोदय, जो सात बीघा जमीन इन्होंने अपनी मदर के नाम फार्म के लिये सन् 62 में खरीदी थी यू० आई० टी० ने 438 वर्ग गज जमीन का प्लॉट और एलॉट कर दिया। इन्होंने वहां मकान बनाया। आज दुःख की बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि यू० आई० टी० ने स्कीम से उस जमीन को रिलीज कर दिया। पूछते हैं तो कहते हैं कि वे वहां पर नर्सरी डेवलप कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वहां कोई और दूसरी नर्सरी नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि वहां पर और भी नर्सरीज: प्रताप नर्सरी, हरबक्ष नर्सरी, आनन्द नर्सरी चल रही हैं। आपने उनको नोटिसेज क्यों दिये? उन नर्सरीज की जमीनों को इस स्कीम में से रिलीज क्यों नहीं किया?

इसी प्रकार आज यह चक सुदर्शन पुरा, भोजपुरा कुल 500 बीघा जमीन है, अवार्ड 307 बीघा का दिया और फिर 245 बीघा का हो गया। 307 का क्यों नहीं दिया? 307 बीघा जमीन वह है जो राम बाग चौराहे से टोंक फाटक तक मेन रोड पर है इसका अवार्ड नहीं दिया, छोड़ दिया। आज यू० आई० टी० शनैः शनैः जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं मैं उनको एलॉट करती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि 245 बीघा लाल कोठी का जो अवार्ड दिया गया, राजस्थान की सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी? स्वयं यू० आई० टी० ने नहीं माना है। आज उस स्कीम की जमीनों के जो पट्टे दिये जा रहे हैं किस अधिकार पर दिये जा रहे हैं? इसलिये मैं चाहूंगा, यह घोषणा करें जितने एरिया में प्लाट एलॉट हुये हैं वे सारे के सारे केन्सिल कर देंगे। अवार्ड चल रहा है, अपील है तो आपको कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने मकान भी बना लिये हैं। यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अन्त के अन्दर मैं केवल आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस यू० आई० टी० के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को प्लाट दिये गये हैं कि न उनको निम्न श्रेणी में कह सकते हैं न उनके लिये कहा जा सकता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गरीब तबके की उपेक्षा करके प्रभावशाली व्यक्तियों को प्लाट्स बांट दिये गये हैं। चाहे मिनिस्टर के पी० ए० हों और कोई उनके रिश्तेदार हों, कन्सेशनल रेट पर प्लाट दिये गये हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा, आज अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : सम्पन्न कीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चीफ सेक्रेटरी महोदय के एक भाई श्री भोपाल सिंह, जिनका आज सवाल आया है कि एक हजार वर्ग गज जमीन दे दी गई और फिर कहते है उनकी जमीन नहीं ले सकते हैं—सक्षम नहीं हैं। राजस्थान की सरकार तो इतनी सक्षम है कि सारी जनता को लूटकर खा जाय तो भी यह सक्षम है लेकिन एक हजार स्क्वायर यार्ड जमीन भोपालसिंह जी को दे दी गई वह वापिस नहीं ले सकती। ये चीफ सेक्रेटरी के भाई हैं, और अध्यक्ष महोदय, यह...

श्री अध्यक्ष : Is he a Govt. Ser-? गवर्नमेंट सर्वेन्ट है कि नहीं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं। यह मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन यह चीफ सेक्रेटरी के सगे भाई हैं। क्या यह जमीन पी० डब्लू० डी० की नहीं है ? पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन फर्जी ढंग से यू० आई० टी० की बनाकर एलॉट की गई है.......

श्री केदारनाथ : लो इन्कम मानकर या क्या......

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 4-15 हुये हैं और एफ० एम० पांच बजे जवाब देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक चीफ सेक्रेटरी के साले गजेन्द्रसिंह हैं जिनको आपने 500 स्क्वायर गज का प्लाट लाल कोठी में एलॉट कर दिया जब कि इस अवार्ड के खिलाफ अपील कर रखी है। आपने बताया काश्तकार है। कोई काश्तकार नहीं हैं जिसे एलॉटमेंट किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं यू० आई० टी० को क्या अधिकार है ? जो व्यक्ति काश्तकार हैं उसको देते हैं तो समझ में आ सकता है लेकिन फर्जी काश्तकार बनाकर आपने राजस्थान सरकार के सेल्स डीड के द्वारा जो पैसा आना चाहिये था उसमें भी लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, आज श्री भगवान व्यास, ये गृह मंत्री जी के बड़े भाई हैं-266 स्क्वायर गज जमीन इनको दे दी गई अम्बा बाड़ी स्कीम में।

श्री दौलतराम सारण : उदयसिंह जी वाला भी है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह आप उठा लेना। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हरेन्द्र व्यास हैं इनको 250 स्क्वायर गज जमीन दे दी गई। इसी प्रकार नरेन्द्र कुमार एस० एच० ओ०, मानक चौक को नारी के नाके प्लाट देने के बाद उसको सब्स्टीट्यूट करके बी० 34 जनता कालोनी में दे दिया गया। इसी प्रकार श्री गिरधारी लाल, एस० एच० ओ० आदर्श नगर को 266 स्क्वायर गज सेठी कालोनी में जमीन दे दी गई। पहले इनको नारी के नाके में दी गई थी जिसको सब्स्टीट्यूट करके सेठी कालोनी में दे दी गई। इसी प्रकार डेढ़ डेढ़ हजार स्क्वायर गज के कई प्लाट्स अपने सगे सम्बन्धियों और रिश्तेदारों को दिये गये हैं। राजमाता गायत्री ने शिकायत की कि यू० आई० टी० में बंगलिंग हो रहा है-- प्लाट्स के एलॉटमेंट के बारे में पैसे खाये जा रहे हैं। लोगों ने मनमानी सम्पत्ति अर्जित की है। सी० बी० आई० ने इन्क्वायरी आरम्भ की और अब यह सवाल आया कि जो इन्क्वायरी करें उनको कैसे करप्ट किया जाय, जिनके माध्यम से आलोचना होने वाली है उसके लिये भी यह यू० आई० टी० नहीं चूकी और इनको भी ओबलाइज किया। जो लीगल एडवाईजर, एन्टी करप्शन थे उनको भी डेढ़ हजार स्क्वायर जमीन दे दी गई। इसी प्रकार मोती लाल एडीशनल एस० पी० एन्टी करप्शन को 500 स्क्वायर गज जमीन एलॉट कर दी गई। जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी विजीलेन्स हैं, उस समय जो लैंड एक्वीजीशन आफिसर थे उनको भी जमीन एलॉट कर दी। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। भीखा भाई के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वह सौभाग्य आते ही इन्हें भी प्राप्त हो गया। रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने बनवारीलाल, जो उनका पी० ए० है उसको पहले 125 स्क्वायर गज का प्लाट दिया और बाद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में सेठी कालोनी में 266 गज का प्लाट एलौट कर दिया गया। दूसरे मि० व्यास हैं ये रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के लड़के हैं.........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आज जयपुर के अन्दर जो डिजर्व करते हैं, जिन लोगों को वास्तव में प्लाट मिलने चाहिये उनको प्लॉट नहीं दिये गये। आज यू० आई० टी० की दो स्कीम्स हैं वे लोग जो परचेज नहीं कर सकते हैं, बिड नहीं लगा सकते हैं उनको कन्सेशनल रेट्स पर प्लाट एलॉट करें और दूसरे वे लोग जो बिड पर खड़े हो सकते हैं, उनको बिड के जरिये प्लाट एलॉट करें...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह सेवा का काम है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज यू० आई० टी० में कन्सेशनल रेट्स पर किसी भी स्कीम में जो प्लाट्स एलॉट किये गये हैं उनमें सबमें बंगलिंग है। उसके लिये एक हाई पावर कमेटी से जांच कराई जाय ।

एक माननीय सदस्य : उनको भी प्लाट्स देकर ओबलाइज करने से यू० आई० टी० पीछे नहीं रहेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जितने प्लाट्स का एलॉटमेंट किया गया है एक हाई पावर कमेटी बना कर जिसमें विधान सभा के सदस्य हों..

एक माननीय सदस्य : उनको मौका क्यों देते हैं ओबलाइज होने का....

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक को कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं लेकिन सभी माननीय सदस्यों को तो आखिर ओबलाइज नहीं किया जा सकता है ।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है । हमारे सब सदस्य ईमानदार हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि वित्तीय समितियों के लिये नाम वापिस लेने का समय आज पांच बजे तक नियत किया गया था कुछ माननीय सदस्यों ने समय बढ़ाने का आग्रह किया है अतः अब 24-5-71 को दिन के एक बजे तक के लिये समय बढ़ा दिया है । चुनाव आवश्यक हुये तो 25-1-71 को करा दिये जायेंगे ।

दूसरी सूचना 24-5-71 को विनियोग विधेयक विचारार्थ पारण के लिये लिया जायगा । उसमें तीन मंत्रियों के उत्तर होंगे । अतः साढ़े तीन बजे उत्तर प्रारम्भ होगा । करारोपण विधेयक..... 25-5-71 को उसी दिन पारित किया जाय....सहमत हैं ।

(स्वीकृति)

एक माननीय सदस्य : पांच बजे आज समाप्त हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद ।

श्री गोकुलप्रसादशर्मा : अध्यक्ष महोदय,..

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, गोकुल प्रसादजी को कोई सीट दे दें । कभी यहां बैठते हैं और कभी वहां ।

श्री अध्यक्ष : थक जायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले भीलवाड़ा थे, अब बीकानेर हैं और अब न मालूम कहां कहां जाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : (श्री गोकुलप्रसाद शर्मा से) आप आरम्भ रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनिट ठहर जांय यानि 4-20 का टाइम ठीक नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए माथुर साहब को खड़ा कर दिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : आप खड़े हो गये हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रान्त का विकास किया है इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार धन्यवाद की पात्र है । विकास किस तरह किया गया इस पर चर्चा करना जरूरी है । यह जरूर है कि पक्षपात हुआ है । एक तरफा विकास हुआ है यानि समूचा विकास नहीं हुआ है । विकास के मामले में समाज के सारे अंगों को ठीक से नहीं देखा जाय और एक ही अंग का विकास हो तो समाज टिक नहीं सकता । मैं अपनी सरकार की वित्तीय स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि 650 करोड़ रुपयों का जो हमारे पर कर्जा है यह आज क्यों है, और कर्जे की स्थिति हम पर क्यों आई, और हमने यह पैसा कहां खर्च किया है? सदन में काफी दफा ऐसी बात आती है और यह कहां जाता है कि सरकार पर बड़ा भारी कर्जा है, और सरकार दिवालिया है । सरकार को कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल हो जायगा । कर्जा 58-59 के पहले नहीं था । इन 12 सालों में काफी विकास का कार्य हुआ । हमने सामुदायिक विकास योजना शुरू की और सामुदायिक विकास योजना से गांवों में काम शुरू किया, और उसके द्वारा कृषि और पशुपालन और सहकारिता पर सरकार ने ज्यादा धन दिया । अब भी कहीं कहीं यह चल रही है ।

4.22 म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

अभी मैं सुन रहा था । एक माननीय सदस्य कुछ निवेदन कर रहे थे तो मंत्रीजी ने कहा कि यहां पर मालवीय कॉलेज बना दिया । मालवीया कॉलेज यहां पर बनता है चौमू में नहीं बनता । यूनिवर्सिटी जयपुर में ही बनती है डीडवाना में नहीं बनती । यह शहरों मे ही बनती है जहां कि ज्यादा आदमी हैं और ज्यादा आदमी रहते हैं वहां इसलिए बनाई जाती है कि वहां पर कम खर्चा हो और ज्यादा लोग पढ़ सकें और सस्ते मे ज्यादा पढ़ाई का लाभ उठा सकें ।

प्रान्त की आबादी के लिहाज से खर्च किया जायगा तो 2।। करोड़ की आबादी में तो 52 लाख आदमी कस्बों और शहरों में बसे हैं । गांवों में एक करोड़ से ज्यादा आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं और बाकी एक करोड़ के आसपास बच जाते हैं । उस में राज्य सरकार ने जहां खर्च किया है

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पैसा वह मेरी समझ में ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख आदमियों के काम में आता है और इससे ज्यादा लोगों के काम में नहीं आता है 15 लाख आदमियों के लिए कहना चाहता हूं कि आपने जितना खर्च किया है उसमें आपने बताया है कि केपिटल आउट ले पर काफी खर्चा किया हुआ है। 69-70 तक का हिसाब हमें दिया गया है उसमें 350 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और उसमें 250 करोड़ रु० तो नदियां बन्धवाने पर खर्च किया गया है केपिटल आउट ले में यानी गंगानगर जिले में और कोटा में। इसके सिवाय किसानों को कुछ ऋण दिया है लोगों के लिए कुए वगैरह खुदवायें है ज्यादा-तर आपका सारा खर्चा जहां तक हमें मालूम हुआ है 305 करोड़ रुपया तो आप खर्च करना चाहते हैं नदियों के विकास में। नदियों के विकास से हर व्यक्ति को लाभ नहीं होता है। अनाज की ज्यादा पैदावार हो जायेगी लेकिन कामगार, महनतकश लोगों को और मजदूरों को ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मजदूरों को यही फायदा मिलेगा कि वहां के किसानों के यहां जाकर काम कर सकते हैं। इसके सिवाय गांवों में पंचायत समितियों के मार्फत 35-40 करोड़ रुपया कर्ज दे रखा है। आपने इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत और बैंको के मार्फत कर्जा देकर इतना ही रुपया खर्च कर रखा है। इस तरह से आपने करीब 375 करोड़ रुपया गांवों पर खर्च किया है। मैं केपिटल आउट ले को बता रहा हूं और रेवेन्यू में खर्च किया है 200 करोड़ पया 12 वर्षों में खर्च किया है। कृषि, पशु-पालन, सामुदायिक विकास योजना और बहुउद्देश्य नदी योजनाओं में 69-70 में और अब 71-72 में खर्च करने की बात है वह 200 और 375 करोड़ रुपया। और मैं समझता हूं कि हम पर जितना कर्जा हुआ है वह पैसा हमने गांवों में खर्च किया है और वह जिन लोगों के उपर खर्च किया है उनके पास में अच्छी खासी जमीनें हैं छोटे काश्त-कार हैं उनके लाभ के लिए जो आपने खर्च किया हैं वह बहुत कम है। उनको कुओं के लिए जो कर्ज दिया है वह 4.5 करोड़ का है सारे राजस्थान में।

गांवों के जो लोग मजदूरी करते हैं उनको ग्रामीण उद्योग-धन्धों के लिए सारे राजस्थान के लिए आपने 42 लाख रुपया रखा है। शहरी उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए आपने 23 लाख रुपये दे रखे हैं। इसके बाद में आपने औद्योगिक कम्पनी बनाई गई तो उनमें लगाया है वह करीब 14 करोड़ है। उसमें से आपने साढ़े सात करोड़ तो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत ही दे डाला। वह भी गांवों में है। और कुछ आपने राज्य विकास निगम, राजस्थान वित्तीय निगम, सड़क परिवहन, गंगानगर शुगर मिल इनमें कुछ पैसा लगाया है। आपने औद्योगिकरण के लिए कुछ उद्योग-धन्धों को एक करोड़ और कुछ लाख रुपया कर्ज दिये हैं। उससे ज्यादा वाहन और मकानों के लिए सरकारी अधि-कारियों को दे रखा है करीब 2 करोड़ रुपया तो। सरकारी अधिकारी मकान बनाते हैं, उससे भी कम पैसा उन उद्योगों पर जिनसे लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा खर्च किया है। जहां तक उद्योगों को कायम करने का काम है आपने उद्योगों को बिल्कुल छोड़ दिया है, और उद्योगों को भूलने से क्या हुआ कि शहरों में बेकारी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बढ़ी है । अभी जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य यह फर्मा रहे थे कि जयपुर में भिक्षक ज्यादा हो गये हैं । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी जगह भिक्षुक क्यों नहीं होंगें जहां कि रोजगार का कोई इन्तजाम नहीं है । आप गांवों म जाय तो वहां पर रोजगार के कुछ न कुछ तरीके मिलेंगे, और वह नहीं मिलेंगे तो उनके आश्रित पड़े हुए हैं जिनसे 100-200 रुपया कर्जा लेकर पड़े हुए हैं पैसे वाले किसानों के यहां । यहां खाने को मिलता नहीं, उनको मजदूरी मिलती नहीं और मजदूरी के साधन बढ़ाने के लिए आपने खर्चा नहीं किया और थोड़े से किसानों के लिए 500 और 600 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है और औद्योगिकरण के लिये सिर्फ 3-3।। करोड़ रुपया खर्च किया है और साढे तीन करोड़ में आप एक करोड़ से ज्यादा आदमियों को खाना खिलाना चाहते हैं । आपने सामुदायिक विकास योजना के मार्फत अभी तक 35-40 करोड़ रुपया खर्च किया है उसका क्या लाभ हुआ ? यह आप जाने । आपने यहां एक अस्पताल खोल दिया और एक कॉलेज खोल दिया तो कालेज से प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है, शिक्षा जरूर प्राप्त होती है, लेकिन उससे खाने को कछ नहीं मिलता है । खाने को तभी मिलेगा जब कि कोई न कोई उद्योग हो । आपको सेल टैक्स से 50 करोड़ की आमदनी है तो यह आप उन चीजों पर दते है जो कि बाहर से आती हैं या फिर अनाज के ऊपर कर के रूप में पैसा आता है । तो बाहर से आई हुई चीजों पर ज्यादातर सेल्स टैक्स होता है मोबिल आइल, पेट्रोल पर आपको ज्यादा टैक्स मिल रहा है तो बाहर से आई हुई चीजों पर टैक्स मिलेगा । आप टैक्सों का पैसा भी उनमें खर्च कर दें । आपने सहकारिता और सामुदायिक योजना बना कर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया । आपने सड़कों पर खर्च किया, पचास साठ करोड़, उन सड़कों से आमदनी होती है, टक्स वगैरह से.....

श्री रामचन्द्र आर्य : वित्त मंत्रीजी, आप इनको अपनी जगह पर बैठा दें और आप छुट्टी कर दें । आपको वित्त मंत्री बना दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन कर दूं, यह गरीब के दुःख की बात मैं करता हूं, जो महनत करके मजदूरी कमाते हैं । आपकी बात नहीं कह रहा हूं । आपके पास जमीन है । आप दूसरे लोगों से महनत करवा कर खाते हैं । मैं आप जैसे लोगों को सरमायेदार मानता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप रोटी खुद नहीं बना सकते ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं रोटी खुद बनाता हूं, आपको पता नहीं है । बरतन खुद मांजता हूं, कपड़े खुद धोता हूं फिर मैं यहां आता हूं । आपको मेरे जीवन से वाक्फियत नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मन नहीं देखा आपको एक दिन भी रोटी बनाते ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने कभी नहीं देखा, मेरे यहां बीस तीस आदमी नहीं बैठे रहते हैं । आप मेरी बहस में न पड़ें । आपको मेरी बात बुरी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लगेगी । मैं मजदूरों की बात करता हूं । इसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, न कुछ मिलेगा उन्हें। आपने लाखों और करोड़ों और अरबों लगा दिये किसानों पर, मैं उन किसानों को पूंजीपति समझता हूं जिनके पास दो लाख की जमीन है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप किसानों से क्यों नाराज हैं ? यह आपका दोष नहीं है, समाज का दोष है ।

श्री रामकिशन : मैं यह नहीं कह सकता कि रोटी नहीं बनाते हैं, पहले आप कलकत्ते में बनाते थे, अब यहां बनाते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा निवेदन है कि सहकारिता के नाम पर काम किया है, सभापति महोदय, उसके सम्बन्ध म एक किस्सा याद आता है एक बार ऋषि दयानन्द कुम्भ के मेले में गये वैदिक धर्म का प्रचार करने गये तो उनकी सभा में पचास आदमी भी नहीं आये । उन्होंने सोचा, मेरी वाणी में ओज नहीं है, मैं प्रचार करने योग्य नहीं हूं । इसलिए उन्होंने अपना कमण्डल उठाया और वहां से रवाने हो गये । बारह वर्ष तक तपस्या करके वह वापस आये, तो उनकी सभा में, वैदिक धर्म की सभा में पचास हजार आदमी आये । इसी तरह से हजरत मोहम्मद साहब के पास में एक बुढ़िया आई । उससे कहा, क्या हुक्म है क्यों आई हैं ? उसने कहा, मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है। उन्होंने कहा, जा तेरे बच्चे की मिठाई खाना छूट जायगा। वह बुढ़िया चली गई, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर आई और फिर कहा-मेरा बच्चा अभी भी मिठाई खाता है । मोहम्द साहब न सोचा, मैं मिठाई खाता हूं. इसलिए मेरे कहने से इसका मिठाई खाना कैसे छूट जायगा । तो उन्होंने मिठाई खाना छोड़ा और फिर बुढ़िया को बुलाया और कहा, अब तेरे बच्चे की मिठाई खाना छूट जायगा । आप मुझे बताइये क्या सहकारिता मंत्री कोऑपरेटर हैं जो ? जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वह कोऑपरेटर हैं, क्या वह कोऑपरेटिव में विश्वास करते हैं ? यह कृषि सहकारिता के आधार पर करना चाहते हैं तो खद करते हैं या नहीं ? जो सहकारिता के संचालक हैं, क्या वह कोऑपरेटर हैं ? सबकी अलग अलग जमीन है । आपका कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो सहकारिता के मिशन में विश्वास रखता हो। आप खुद नहीं रखते । अलग 2 लोगों के अलग 2 फार्म रहते हैं, अलग 2 जगह रहते हैं, वह कहते हैं कि हम कोऑपरेटर हैं । आप छोड़िये और ऋषि दयानन्द की तरह अपना कमण्डल उठा कर रवाने होइये ,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है, यह लीडरशिप, आप समझ लिजिये, सोशियेलिज्म में विश्वास नहीं रखती है । देश के अन्दर कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है । तो आप यहां के सिण्डीकेट में परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप अलग 2 रहते हैं और दूसरों के अन्दर सहकारिता की भावना नपाने की बात करते हैं । यह दो बातें नहीं हो सकती

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

हैं। सहकारिता आन्दोलन में करोड़ों रुपया खर्च करें और उस पर विश्वास करने वाले कोऑपरेटर आप पैदा नहीं कर पायें। कृषि सहकारिता की बात कहते हैं, वह कैसे हो सकती है, अलग 2 जमीन लोगों के पास है। कोई भी सरकार को निवेदन कर दें, हम पन्द्रह, आदमी ने मिल कर कोऑपरेटिव बनाई है हमें जमीन दी जाय, हम सहकारी खेती करेंगे। उनको जमीन दे दी और वह जमीन हड़प ले गये। इसके अलावा उस पर सरकार से पैसा ले लिया, ट्रैक्टर का लोन ले लिया और जमीन से जो कमाई होती है, एक परिवार में चली गई। बाकी वास्तव में अपनी जमीन किसी ने सहकारी समीति के अन्दर दे दी हो और वह सोचता हो, मेरा जीवन है, वह सबके लिए है, एक सब के लिए है और सब एक के लिए हैं-ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा है भले ही करोड़ों रुपये आपने खर्च कर दिये हों ?

सामुदायिक विकास योजना का भी यही हाल है। उसमें क्या किया ? सामुदायिक योजना 1959-60 में चलाई, यह बात कर दी गई, रूरल ऐरिया के साथ-साथ अर्बन एरिया में चलेगी। लेकिन कभी इस पर सोचा नहीं गया और करोड़ों रुपयों लगा दिया गांवों में। इसके अलावा लगा दिया पांच सौ, छ: सौ करोड़- यह राजस्थान केनाल, यह भाखरा केनाल, यह चम्बल केनाल, यह गंग केनाल इन सब पर पैसा लगा दिया और इतने रुपये का कर्जदार बना दिया, उसका तीस-चालीस करोड़ रुपया ब्याज होता और आप दो ढाई करोड़ रुपया उससे लेते हैं जिसमें उसकी मेन्टिनेन्स भी नहीं कर सकते, आप एस्टेब्लिशमेंट का खर्च नहीं चला सकते और आपको ब्याज अलग देना पड़ता है। पैसा आता है, वह सैल्स टैक्स से आता है जिनसे सैल्स टैक्स लेते हैं उनको क्या देते हैं तीन करोड़। तुम कमाओ, खाओ, पचास करोड़ मुझे दो, यह पूंजीवादी मनोवृत्ति है।

श्री दौलतराम सारण : यह सल्स टैक्स कौन देने वाले हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बिराज जाइये। मैं मानता हूं आपमें और पूंजीपति म फर्क नहीं है, आप जमींदार हैं। आप विराज जाइये। मैं सैल्स टैक्स देने वाला उनको मानता हूं जो महनत करते हैं ......

श्री दौलतराम सारण : मैं पूंजीपति हूं यह आपको दृष्टि मुबारक हो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप विराजिये।

श्री दौलतराम सारण : सैल्स टैक्स देने वाले कौन हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप खादी पहनते है, आप को सैल्स टक्स से क्या लेना देना ? खादी पर सेल्स टैक्स लगता नहीं है। जो नहीं पहनते हैं वह देते ह। खादी तो सैल्स टैक्स से माफ है।

श्री रामसिंह कुशी : गांव के लोग सैल्स टेक्स नहीं देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह समाजवाद को अच्छी तरह समझा है इन्होंने।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह मजदूर देते हैं क्योंकि उनको हर चीज खरीद कर लेनी पड़ती है।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अब सवाल आया कि अर्बन प्रोपर्टी का सीलिंग किया जाय। मैं समझता हूं कि सीलिंग के नारे को वह लोग लगाना चाहते हैं जो पूंजी को संरक्षण देना चाहते हैं। वह क्या चाहते हैं? कोई कहता है, दस लाख की सीलिंग हो, कोई कहता है लाख पर सीलिंग लगाई जाय। क्यों पांच पांच लाख एक आदमी को दिये जाय? क्यों नहीं कहा जाय कि पांच लाख नहीं दिये जायेंगे, एक कमरा लो और बैठे रहो? पांच लाख इसलिए करना चाहते हैं कि पांच लाख मेरे भाई भतीजों को, मेरे बेटे-बेटी पांच लाख के ऊपर कब्जा कर लें। अर्बन में यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं। शहर म पूंजीपतियों की मैं कहना चाहता हूं, क्यों रक्षा करें? आपने पब्लिक सेन्टर में कितने काम खुलवाये-आप बताइये, उसम कितने लोगों को काम दिलवाया? आप सेक्रेटेरियेट की बिल्डिंग के लिए बता दें, आप विधान सभा सचिवालय के लिए कह दें, लेकिन इससे रेग्युलर काम नहीं मिलता है......

श्री मथुरादास माथुर : विधान सभा में रेग्युलर मिलती है, आप हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं और निवेदन करूं, राजस्थान कैनाल खोदने वाले लोग ह, आपने वहां एक इंच जमीन नहीं दी है। वहां जो बैठे हैं उनको राहत मिली है, वहां पर पैसे के बल पर जमीन ले ली जाती है। यह समाजवाद है? जो लोग मजदूरी करते हैं, राजस्थान केनाल में काम करते हैं, चम्बल नहर खोदी है, भाखरा खोदी है, जिन्होंने इतने वर्ष तक मजदूरी की है—उनको एक मुरब्बा भी जमीन दी है? रामचन्द्र जी चिल्लायें तो इनको पचास बीघा जमीन दे दी। यह मजदूरों से खेती करा कर अपना घर भर लेंगे। यह इनकी भावना है, यह इनकी भावना नहीं है कि जिन मजदूरों ने निर्माण कार्य किया है, क्या उन मजदूरों को जमीन देने के लिए कमेटी बनाई है? आपने उनके लिए बनाई है जो झगड़ा करने वाले हैं, जो आपकी रेल बन्द करने वाले हैं, जो आपको डराने वाले हैं, धमकाने वाले हैं। मजदूर आपको डराते धमकाते नहीं हैं इसलिये उनकी बात नहीं मानते हैं। जिनके पास दस मुरब्बा जमीन है, वह जमीन कहीं हो क्या आप वह जमीन सीलिंग में ले सकते ह? कोई नहीं ली है। इस सरकार की पूंजीपति किसान बढ़ाने की मनोवृति चली आ रही है। आप इस मनोवृति को हटाइये और मजदरों के हित के अन्दर काम कीजिये, वरना नक्सलवाद क्या बंगाल में चलता है, यहां तो हर एक व्यक्ति हथियार में विश्वास रखता है। सभापति महोदय, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हथियारों में विश्वास रखता है। हर आदमी उस देवता की पूजा नहीं करता जिसके हाथ में हथियार नहीं होता। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन के हाथ में हथियार नहीं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोगों को असंतोष होगा। मालदारों को राजी करने के बजाए गरीबों से पूछें, चमारों से पूछें, गांव के लोगों से पूछें, शहरों के लोग नाराज होते जा रहे हैं—इसलिए कि आप इकतरफा ध्यान देते हैं। पैसा आपने खर्च किया है, विकास किया है लेकिन एकतारफा किया है वह इसलिए क्योंकि आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठने वाले लोग उधर के ज्यादा हैं, उनको राजी करने के लिए किया है। भीखाभाई जैसे जाति के

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लोगों को राजी करना चाहिए। केवल अमृतलाल यादव को राजी करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगायें।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम। 15 मिनट में समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : सभापति महोदय, यह विनियोग विधेयक 400 करोड़ रुपये, 47 लाख का जो विनियोग विधेयक है, यह पास होने जा रहा है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस रुपए का जहां तक संबंध है, इसका सही उपयोग बहुत कम होता है। इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जहां तक हो सके सही उपयोग हो और गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। आपने समय कम रखा है, इसलिए मैं अपने इलाके की कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

वित्त मंत्री ने कुछ स्कूल खोलने का जिक्र किया है। प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल स्कूलों में, और मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिवर्तित करने और कुछ कॉलेजों के खोलने का जिक्र किया है। तो मैं अपने इलाके के बारे म निवेदन करना चाहता हूं। जहां मिडिल स्कूल खोलने की मांग है। वहां भवन भी तैयार हैं और लड़के भी ज्यादा हैं। इसलिए वहां मिडिल स्कूल खोलने चाहिए। तहसील जमुवारामगढ़ में खली ग्राम में भवन अच्छा है, वहां जनता की मांग है, इसलिए वहां मिडिल स्कूल खोलना चाहिए। दूसरी मांग है, मंगता के आस पास भी कोई मिडिल स्कूल खुलना चाहिए। डांगरबा। और नीमला के आसपास भी मिडिल स्कूल नहीं है, वहां भी खोलना चाहिए। मिडिल स्कूल्स से हाई स्कूल्स में जो परिवर्तन करते जा रहे हैं, उस बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। हाई स्कूल आप ज्यादा खोल रहे हैं, जहां भी हाई स्कूलों की मांग है, वहां खोले जायं। हां मिडिल स्कूल हैं उनको हायर सेकन्डरी में परिवर्तित करना चाहिए। चांदवाना गांव में जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल में परिवर्ति करना चाहिए।

श्री सभापति : आप तो डिटेल में बोल रहे हैं कि इस स्कूल को यहां खोल दें, उसको वहां खोल दें या तो सवाल भेज दें या मंत्री महोदय को पत्र लिखें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वहां के लिए मंत्री महोदय न आश्वासन दिया था, वह अभी तक नहीं खोला है।

श्री सभापति : शिक्षा की डिमांड पर बहस हो चुकी है।

श्री डूंगाराम : उस समय म बोल नहीं सका।

श्री दिग्विजयसिंह : इसको वित्त विभाग कन्ट्रोल करता है इसलिए......

श्री सभापति : फाइनेन्शियल मैटर तो हर बात म आएगा। यह एप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कशन के स्कोप में नहीं है। इसके बारे में तो डिस्कशन हो चुका है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कालेजों के बारे में आपने कहा खोले जायेंगे। मैं दौसा कालेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। दौसा कालेज में केवल 4 कमरे हैं, वहां लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है, आसपास कोई कौलेज नहीं है या तो कालेज नहीं खोलना चाहिए था नहीं तो पर्याप्त भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। 10 साल से यह समस्या चली आ रही है। मुख्य मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है और बाई-इलेक्शन में भी आश्वासन दिया था, उसके बाद भी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसे अभी वहां जल की समस्या दूर नहीं हुई थी और वहां की जनता ने आंदोलन किया और भूख हड़तालें रखी, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसके बाद आपने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष जल योजना को लागू करेंगे। इस तरह से कालेज भवन की समस्या वहां की है। इसलिए मैं वित्तमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां भवन की जो समस्या है, आप अगर चाहेंगे तो इस वर्ष कुछ रुपया लगाकर भवन की समस्या हल करवा देंगे।

इस समय जब प्रधान मंत्री आई थी, उस समय भी आश्वासन दिया था। नींव खोदकर पत्थर लगाया था। उसके बाद भवन का काम चालू नहीं किया गया है, वह भवन इस वर्ष जरूर पूरा करें।

सडकों पर 2.75 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं तो मेरे इलाके की ओर भी ध्यान दें। 22 सालों में मैं समझता हूं कोई काम दौसा और जमुआ रामगढ़ में नहीं हुआ।

सिंचाई के बारे में इसी तरह से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, जो बजट में आप रुपया रखते हैं, उसको काम में नहीं ले रहे हैं। गत वर्ष चांदवाना बांध के लिए पैसा रखा, वह खर्च नहीं किया। जो स्कीम आप लेते हैं, बजट में प्रावधान करते हैं, उस रुपये को न लगाकर वहां काम न करना बिल्कुल ही अनुचित बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक ही बांध जयपुर जिले में रखा है उतना रुपया भी लेप्स करके उस बांध का काम चालू नहीं किया। थोड़ा बहुत मैटिरियल डाला है वरना और कोई काम नहीं किया। वहां जनता की जमीन है वह चांदवाना बांध से सींची जायगी, वह जमुआ रामगढ़ से बांध बना रहे है, उसको जल्दी पूरा करें ताकि वह जमीन सींची जा सके। जो स्कीम जयपुर शहर को पानी देने की है याने दूसरी जगहों से पानी देने की स्कीम है, उसको अगर जल्दी से जल्दी लागू करें जमुआ रामगढ़ बांध का जो पानी है वह सिंचाई के काम आएगा। आप उसको जल्दी से लागू करें ताकि जयपुर को उधर का पानी मिले।

आपने जल प्रदाय योजना दौसा के लिए कहा है। एक साल का आश्वसान दिया है और उसके बाद काम वहां पर शिथिलता से हो रहा है। उसको पूरा किया जाय। दो गांवों को लिया था, सरकार ने अपनी मर्जी से उन गांवों को लिया था, 60 फोट नीचे खोदकर चले गए, बाकी पानी का नामोनिशान नहीं लिया है। दूसरी जगह धर्मपुरा में पर्याप्त पानी मिलने की आशा है। वहां बिजली की लाईन जल्दी चली जानी चाहिए थी ताकि आने वाली गर्मी से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

यह जो बजट का रुपया है, पिछड़ी जाति के लोगों पर खर्च नहीं होता। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए केवल आप जल की व्यवस्था करते हैं या बिजली की व्यवस्था करते हैं, इससे इन लोगों की प्रगति नहीं हो सकती, इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और वह आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधर सकती है उसके लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रावधान राज्य सरकार ने नहीं किया है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती हो। और आर्थिक स्थिति सुधार कर, जो आग जाकर ठीक हो सकती है ऐसी आशा है, मैं समझता हूं पिछड़ी जातियों को किसी भी प्रकार से ऐसी आशा नहीं बंधाई है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी इस प्रकार के राहत कार्य दिलायें। कोटा लाइसेन्स परमिट में भी उनका प्रतिशत रहना चाहिय। लाभ बड़े किसान और बड़े कौमों के लोग हैं उनको ही मिलता है इसलिए उनको भी लाभ मिले। उनको भी लाभ अवश्य मिलना चाहिये।

राज्य सरकार उनका विकास करने के लिये उनको लोन देकर, कपड़े की दुकानें खुला कर और अन्य कामों में उनको सहायता प्रदान कर सकती है। उनकी इन कामों की सहकारी संस्था कायम करके उनको सहायता दे सकती है। कोटा लाइसेन्स देकर कर सकती है। आज जिनको सरकार कोटा देती है, वे लोग ब्लेक करते हैं और वहीं खातों में न लिखकर धोखा देते हैं। इसलिए सरकार कर्जा देकर सोसायटी बनाए और उनसे काम शुरू करायें। जो ब्लेक होता है, आप चीजें देते हैं और ब्लेक में बेच देते है। मजदूर यहां पर काम करेंगे और ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसलिए पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बैंक से उनको कर्जा दिलाय और कोटा लाईसेन्स देते हैं तो इन जातियों का विकास हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री शम्भूराम।

श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट सु०): सभापति महोदय, एक ही बात कहना चाहता हूं। माधोपुर जिले में जो हो रहा है उसके लिए कहना चाहता हूं। स्कूल वगैरह नहीं खोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तहसीलो में भलाई के लिहाज से काम होना चाहिये। पार्टीबन्दी के लिहाज से नहीं।

इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हरिश्चन्द्र का राज है पटेलजी।

श्री सभापति: No body to speak. श्री लाभ चन्द वेद

श्री लाभचन्द्र वेद (सुजानगढ) : सभापति महोदय, मैं भी अपने क्षेत्र की समस्या को रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : पांच मिनिट।

श्री लाभचन्द्र वेद : रतनगढ तीस हजार से ऊपर की आबादी वाला शहर

Page No 130

(श्री लाभचन्द वैद)

है। उस शहर के बीच म गंदा नाला पड़ा हुआ है। उसको बाहर निकालने के लिये मैंने यहां पर कई प्रश्न किये लेकिन उस ओर राज्य सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है। नगरपालिका इतनी सक्षम नहीं है कि दूसरा निर्माण करके इसको बाहर निकाल सके। इस कारण से शहर में इतने मच्छर मक्खी और गंदगी है कि जिससे जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गंदे नाले की तीन मोरियां बाजार के उत्तरी हिस्से में खुलती हैं और इतनी गंदगी फलती है कि वहां रहने वाले लोग बहुत परेशान और बीमारी से घिरे रहते हैं।

श्री सभापति : सुजानगढ़ या रतनगढ़ ?

श्री लाभचन्द वैद : रतनगढ़।

श्री सभापति : सुजानगढ़ का होता तो शायद वित्त मंत्री महोदय का ध्यान चला जाता।

श्री लाभचन्द वैद : हमने यह सुझाव रखा था कि चिमनी बना कर इस गंदगी को बाहर निकाला जाय लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

इसी प्रकार से पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत सड़कें हैं। 55 लाख रुपया एग्रीमेंट के अनुसार खर्च करना था। बजट में प्रावधान नहीं रखते। रकम की फैसिलिटीज का प्रश्न नहीं आता, आप जब भी लगायें, हमारा रुपया जमा है किसी भी ईमानदार आदमी को देने के लिये तयार रहना चाहिये। वे सड़कें इस साल बना देनी चाहिये। वार्ड नं० 2 व 3 में बड़ी सोचनीय स्थिति है। स्टेशन के पास भी सड़क टूटी हुई पड़ी है।

शिक्षा के विषय में सरकार का कतई ध्यान नहीं है। 35 हजार की बस्ती में एक माध्यमिक शाला चल रही है। न तो हायर सकेन्डरी है और न ही कालेज है। माध्यमिक शाला भी दो शिफ्ट में चल रही है चार वर्ष निरंतर प्रयत्न करने के बाद भी आपकी ओर से सुधार नहीं हुआ और न मकान ही बनाया गया।

रतनगढ़ में कालेज की सख्त जरूरत है। चुरू जिले के बीच का शहर है। चारों ओर से काफी छात्र आ सकते हैं। मैंने जब इस विषय में प्रश्न उठाये तो कहा कि छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके यहां व्यवस्था नहीं है तो दूर दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। नजदीक में शिक्षा की सुविधा हो तो दूर जाने की क्या आवश्यकता है ?

रतनगढ़ में कोई भी सरकार की ओर से गर्ल्स स्कूल नहीं है। एक भी नहीं है। स्त्री शिक्षा पर बार बार सरकार जोर देती है और कहती है कि स्त्री शिक्षा का प्रचार करना है, माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछता हूं कि 35 हजार की आबादी में एक भी स्कूल लड़कियों के लिये न होना इस बात का द्योतक है कि आप केवल थोथे नारे देते हैं और काम करने के लिये कुछ नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गर्ल्स मिडिल स्कूल भी नहीं है ?

श्री लाभचन्द वैद : बिल्कुल भी नहीं है।

श्री रामकिशन : औरतों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति : आपने तो बहुत पढ़ा दिया है।

श्री लाभचन्द वैद : एक हायर सैकेण्डरी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है। दो कमरे अधूरे पड़े हुए थे। जनता ने चन्दा देकर बना दी लेकिन दो कमरे पूरे न कर सके और हायर सकेण्डरी आप नहीं खोल पाये हैं।

लोहा में बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन माध्यमिक शाला नहीं खोल रहे हैं। रतनगढ़ आकर बच्चों को भर्ती होना पड़ता है। गरीब आदमियों के बच्चे दूर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं।

सुजानगढ़ में चुनावों में तीन कालेज खोले जाने का आश्वासन दिया गया था। पोलिटेक्निक कालेज। मुख्य मंत्री का बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा सुजानगढ़ में बनने वाला था। दूसरी कालेज है उसके चार ही कमरे बने हुए हैं और अब आगे उस कालेज का भवन नहीं बन रहा है, वह अधूरी पड़ी है।

श्री मथुरादास माथुर : आप जिस कालेज की बात कर रहे हैं, अब उस कालेज के कमरे बन रहे हैं। अब सेठजी ने रुपये दे दिये है इसलिये बन जायेंगे। इतने दिन तक सेठजी ने रुपये दिये नहीं थे इसलिये काम शुरू नहीं हुआ था।

श्री लाभचन्द वैद : इस तरफ ध्यान देकर जल्दी ही इसे पूरा करवाने की व्यवस्था करावें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 24 मई, 1971 के 11 बजे प्रात: तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजकर एक मिनट पर सोमवार दिनांक 24 मई, 1971 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 164 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 108/सा० नि० मं०

सूची (अ)

क्र० सं०	ठेकेदार का नाम	खंड व जिले का नाम	ठेकेदार से वसूल हुई कुल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्टैण्डर्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी	'बीकानेर खंड' बीकानेर	20,536.00
		खंड 2 सरदारशहर-चूरू	43,238.00
		खंड 5 फलोदी-जोधपुर	51,342.00
		खंड 7 तन्नोट-जैसलमेर	51,367.00=1,66,503
2.	प्रतापसिंह चन्द्रसिंह	खंड 1 बीकानेर-बीकानेर	3,970.00
3.	धूरा राम	खंड 1 बीकानेर ,,	135.00
		खंड 5 फलोदी-जोधपुर	4,440.00
			4,575.00
4.	मेहदान अग्रवाल	खंड 1 बीकानेर-बीकानेर	2,675.00
5.	कन्सट्रक्शन एंड ट्रेडिंग को०	खंड 2 सरदारशहर-चूरू	3,379.00
6.	नथमल मोहता	खंड 2 सरदारशहर-चूरू	4,595.00
7.	फूलचन्द लीला	खंड 3 गंगानगर-गंगानगर	16,820.00
8.	कुलदीपसिंह एंड कं०	खंड 3 गंगानगर-गंगानगर	20,450.00
9.	शेषकरन रामजीदास	खंड 3 गंगानगर-गंगानगर	3,795.00
10.	सोहनसिंह मनोहरसिंह	खंड 3 गंगानगर-गंगानगर	23,663.00
		खंड 7 तन्नोट-जैसलमेर	24,399.00
			48,062.00
11.	यूनिवर्सल ट्रेडर्स	खंड 4 बीकानेर-बीकानेर	47,045.00
12.	श्री आईदान	खंड 4 बीकानेर-बीकानेर	5,487.00
13.	श्री बुलाकीदास चंडक	खंड 4 बीकानेर-बीकानेर	......
		खंड 4 गड़रारोड़-बाड़मेर	54,441.25

Page No 133

1	2	3	4
14.	श्री गुमानीराम अग्रवाल	खंड 5 फलोदी-जोधपुर	11,610.00
15.	श्री रामेश्वरदास नृसिंहदास	खंड 5 फलोदी-जोधपुर	6,166.00
16.	श्री शिवराम सिंह एंड संस	खंड 5 फलोदी-जोधपुर	13,8175.00
17.	टॉंक शिवराम एंड संस	खंड 5 फलोदी-जोधपुर	18,143.00
		खंड 8 रामगढ़-जैसलमेर	32,065.00
			50,208.00
18.	सुरेश कन्स्ट्रक्शन कं०	खंड 5 फलोदी-जोधपुर	13.360.00
19.	श्री जगदीश प्रसाद	खंड 7 सूरतगढ़-गंगानगर	12.149.00
		खंड 15 जोधपुर,जोधपुर	24,233.73
			36,382.78
20.	लीलाधर	खंड 7 सूरतगढ़-गंगानगर	6,609.00
21.	मुंशीराम जगत सिंह	खंड 7 सूरतगढ़-गंगानगर	62,000.00
22.	मैं०जो०कन्सट्रक्शन कं०जो०	खंड 9 जैसलमेर-जैसलमेर	87,462.50
		खंड 7 तन्नोट-जैसलमेर	247.00
			87,709.50
23.	जेठानन्द देवनदास	खंड 7 तन्नोट,-जैसलमेर	1,05,183.00
		खंड 10 बाड़मेर,-बाड़मेर	22,985.50
		खंड 11 गड़रारोड़,-बाड़मेर	29,036.25
		खंड 12 धोरीमना,-बाड़मेर	11,992.00
			75,201.75
24.	चौधरी कंसट्रक्शन कं०	खंड 8 रामगढ़-जैसलमेर	2,30,0674.00
		खंड 13 सांचोर,-जालौर	38,675.00
			2,68,742.00

1	2	3	4
25.	पृथ्वीराज पुंगलिया	खंड 8 रामगढ़-जैसलमेर	77,273.00
		खंड 11 गड़रारोड़-बाड़मेर	26,961.00
			1,04,234.00
26.	सोमेन्द्र बाबू	खंड 9 जैसलमेर-जैसलमेर	34,356.00
27.	मुन्नीलाल	.. ..	24,218.00
28.	रमेशचन्द्र जैन	.. —	2,135.50
29.	ज्ञानचन्द खत्री	.. ..	5,058.00
30.	मेघाराम लालसिंह	.. ..	684.00
31.	कंवर सेन	.. ..	496.00
32.	मोहम्मद अली	.. ..	523.00
33.	देवीसिंह	— ..	1,883.00
34.	भंवरलाल दोहरा एंड ब्रदर्स	खंड 9 जैसलमेर-जैसलमेर	72,531.00
		खंड 11 गड़रारोड़-बाड़मेर	89,793.75
			1,62,324.75
35.	कानसिंह सांखला	खंड 10 बाड़मेर-बाड़मेर	6,270.00
		खंड 11 बाड़मेर-बाड़मेर	16,256.50
			22,526.50
36.	सूरजमल एण्ड ब्रोदर्स	खंड 10 बाड़मेर-बाड़मेर	2,263.07
37.	यूनाईटेड बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स कम्पनी, न्यू दिल्ली	खंड 10 बाड़मेर	2,751.00
38.	टेकचन्द महावीर प्रसाद	खंड 10 बाड़मेर-बाड़मेर	2,717.00
		खंड 11 गड़रारोड़-बाड़मेर	89,137.50
			91,854.50
39.	जवानसिंह हरपालसिंह, जोधपुर	खंड 11 गड़रारोड़-बाड़मेर	3,126.00
40.	नेमीचन्द गोलेछा	खंड 12 धोरीमना-बाड़मेर	2,730.00
41.	तखतमल सेठी	.. ..	70,488.00
42.	महावीर कन्सट्रक्शन कंपनी	.. ..	62,950.50
43.	भंवरलाल भारद्वाज	.. ..	4,652.00
44.	सैमन इंडिया लिमिटेड	खंड 13 सांचौर-जालोर	23,306.06
45.	राम कंसट्रक्शन कम्पनी	खंड 15 जोधपुर-जोधपुर	47,865.50
		कुल योग ..	19,24,082.56

सूची (ब)

क्र० सं०	परियोजना खंड का नाम व सं०		ट्रक मरम्मत पर व्यय धनराशि
1.	खंड - 1	बीकानेर	43,857.00
2.	खंड - 2	सरदार शहर	42,458.00
3.	खंड - 3	गंगानगर	38,365,00
4.	खंड - 4	बीकानेर	3,802.00
5.	खंड - 5	फलोदी	41,671.00
6.	खंड - 6	सूरतगढ़	1,09,817.00
7.	खंड - 7	तन्नोट	1,28,795.53
8.	खंड - 8	रामगढ़	1,03,091.34
9	खंड - 9	जैसलमेर	3,04,431.17
10.	खंड - 10	बाड़मेर	77,523.34
11.	खंड - 11	गडरारोड	3,23,926.98
12.	खंड - 12	धोरीमन्ना	53,887.21
13.	खंड - 13	सांचोर	41,430 68
14.	खंड - 4	बालोतरा	—
15.	खंड - 15	जोधपुर	—
16.	खंड - 16	जोधपुर	..
17.	यांत्रिक खंड,	जोधपुर	1,02.14,131.00
			23,34,769.25

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 510 की सूची)

Starred question No. 188

Statement showing the position of works allotted to M/s. Associated Stone Industries Ramgan Mandi.

Name of works	Amount of G Schedule	Amount tendered	Date of start	Stipulated comp. date	Jhalawar Division Actual work comp. date	Exp. incurred	Budget Head	Remarks
1. S/R & Renewal of miles No. 1 & 3 Morak Kherated	28,629/-	31,205/- @9% above	19-1-70	18-3-70	25-3-70	31,204/-	64 B. flood	Complted
2. S/R & Renewal of miles No. 41 and 42 on Morak Cheebet Rd.	27,330/-	29789/- @9% above	19-1-70	18-7-70	5-4-70	29,091-	,,	,,
3. 20 M.M.P.M.C. in miles 1 & 3 Morak Kherated Road	14,000/-	15,640/- @11% above	19-1-70	31-3-70	18-4-70	16,388/-	,,	,,
4. B/T to Premix carpet in miles No. 40 on Morak Cheebet Road	11,700/-	12,285/- @5% above	19-1-70	18-5-70	23-4-70	12,068/-	,,	,,
5. B/T and Renewal of Morak Cheebet Road in miles No. 41 to 44	44,901/-	5 881/- @20%above	14-10-70	13-1-70	14-12-70	52,404/-	50 P.W. repairs II com. Roads	,,
6. Collection of material, P. W. A. Ramganjmandi Undwa	2,041/-	2041/-	2/70	2/70	2/70	20,41/-	-do-	,,

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 749 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE 'B' DEPARTMENT

No. F. 6 (20) Rev./B/71 *Jaipur, April 13, 1971.*

To

All the Collectors.

Subject:—Regularisation of Tress-pass Cases on Government un-occupied agricultural lands.

It has always been an endeavour of the Government to allot land to landless persons as speedily as possible. It was in this context that the Government took liberal view of the encroachment on Government agricultural land by landless persons and issued instructions for regularisation of such cases of tress-pass committed upto 31st December, 1966, under the circumstances narrated in detail in this department Circular of No. F 3 (50) Revs/B/64, dated 5th October, 1967. A provision was also inserted in the form of Rule 20 in the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Agricultural land for agricultural purposes) Rules, 1970 enabling the Tehsildars to regularise such cases.

The question of such regularisation of tress-pass cases has been further reviewed by the Government and it has been decided that all cases of encroachment made upto 1st January, 1971 by landless persons on Government Agricultural land except lands in colony areas be regularised without payment of any penalty of premium provided that the total area of the land held by such person in the State including land so regularised does not exceed 15 bighas and the land does not fall in any of the categories of lands which are not available for allotment under Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for agriculture purposes) Rules, 1970.

It has also been decided that the penalty and premium recovered for regularisation of such cases of tress pass after 1st January, 1966 from the landless persons would be adjusted towards the arrear as well as the future demand of land revenue of the tress-passer of his successor. In making such adjustment however the land revenue due for the years such land remained in unlawful occupation of the tress-passer would also be adjusted.

I have, therefore, been directed to request you that cases pending with Various Revenue Officers should be decided according to the instructions referred above. As far as the circumstances under which regularisation can be done, is concerned, reference is invited to this Department Circular of No. 3 (50) R/B/64, dated 5th October, 1967 which will continue to govern the cases of regularisation.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged and the instructions contained in the circular be explained to all Subordinate Officers to avoide hardship to the cultivators.

Sd/-गणपत राय
Dy. Secretary to Government.

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 764 की सूची)

सूची

क्रम सं०	नाम खातेदार		खसरा	रकबा	लगान	बकाया	लगान	
1	2		3	4	5	6	7	
1.	श्री हगा वल्द मीमा	..	748	4411) 1	201–12	2011 से	3419.04	..
	श्री दला वल्द नाथा	..	750	पेटा दई		2027 तक		
	श्री अना वल्द पदमा	..	749	वाला				
	श्री जातारामणा सादहे	..	747					
2.	श्री अना वल्द पदमा 15	..	753	75)	70–37	2024 से	211.11	यह भूमि जवाई बांध के डूब
	श्री देवा वल्द पदमा 15	..				2026		में है वो खातेदारी है।
	श्री दला वल्द नाथा 12	..						
	श्री रूपा वल्द किशना 10	..						
	श्री रूगा वल्द मीमा 13	..						
	श्री लाला वल्द डावा 10	..						
	तात[illegible]मेण्य 75						—	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	श्री दला वल्द नाथा मेणा सादहे	751	10।।)4	16.00	2011 से 2027	110.00	यह भूमि जवाई बांध के डूब में है वो खातेदारी है ।
4.	श्री देवा वल्द पदमा मेणा सादहे ..	752	22)	20.62	2024 से 2027	91.86	लगान सालों साल देते हैं । फेमिन की वजह से बकाया रही ।
5.	श्री माना वल्द सजाणा राजपूत जीत्रदा ..	754	8।।)4	6.87	2026 से 2027	13.74	"
6.	श्री सोला वल्द देवा मेणा ..	756, 757, 758	29।)3	13.59	2026 से 2027	81.54	हर साल रकम अदा होती है ।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

(13-5-71)

अलवर नगर रिषद् और मजदूर यूनियनों के बीच समझौता

781. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् और वहां की पांच मजदूर यूनियनों के बीच संयुक्त श्रम आयुक्त एवं समझौता अधिकारी के माध्यम से दिनांक 9-4-70 को एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस समझौते में मांग संख्या 1, 2, 6, 9 के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया था कि नगरपरिषद् उदयपुर, गंगानगर और जयपुर के अनुसार नगरपरिषद् अलवर के कर्मचारियों को राजस्थान सेवा सर्विस (रिवाइज्ड पे रूल्स) 1961 की वेतन श्रृंखलाएं 2-12-63 से दी जायेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर, गंगानगर और जयपुर की नगर परिषदों में चुंगी के नाकेदारों को वेतन 2-12-63 से 70-4-102 ई० बी० 4-110-5-150 ग्रेड दिया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर नगरपरिषद् में नाकेदारों, ड्राफ्ट्समैन, पम्प ऑपरेटरों को उक्त वेतन मान न दिया जाकर 75-3-120-5-130 का ग्रेड प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर और गंगानगर की नगर परिषदों में राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन श्रृंखलाएँ लागू कर दी गई हैं ? यदि हां, तो अलवर नगरपरिषद में ये श्रृंखलाएं क्यों नहीं लागू की गई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) केवल नगरपरिषद् उदयपुर एवं श्री गंगानगर के चुंगी नाकेदारों को यह वेतन श्रृंखला दी जा रही है । जयपुर नगरपरिषद् में चुंगी नाकेदारों को यह वेतन श्रृंखला नहीं दी जा रही है ।

(4) जी नहीं । नियमों में नाकेदारों को 75-130, ड्राफ्ट्समैन को 105-240 तथा पम्प ऑपरेटर को ग्रेड 2 को 75-160 की वेतन श्रृंखलाएँ निर्धारित की गई है ।

राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के सन् 1961 के संशोधित वेतनमान दिये जाने बावत नियम बना दिये गये हैं और उनके अनुसार इन पदों की

Page No 142

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

यह संशोधित वेतन श्रृंखला रखी गई है ताकि सभी नगरपालिका मण्डलों व नियुक्त कर्मचारियों को यह वेतन मान समान रूप से मिले।

(5) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अब तक नगरपालिका के कर्मचारियों को यह वेतन श्रृंखलाएं देय नहीं होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न
(13-5-71)

नगरपरिषद् के प्रशासक द्वारा वैद्यों की नियुक्ति

784. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगरपरिषद् के प्रशासक ने आदेश संख्या 2235 दिनांक 31-1-67 द्वारा पूरे समय के लिय वैद्यों की नियुक्ति की थी? यदि हां, तो किन किन की?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से एक वैद्य 28-2-1969 को रिटायर हुआ उसकी जगह अब तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि एक रिटायर्ड वैद्य को अब पार्ट टाइम नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर नगरपरिषद् के स्टाफ पैटर्न के अनुसार किसी को पार्ट टाइम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है?

उत्तर

(1) उक्त आदेश द्वारा किसी भी नये वैद्य की नियुक्ति नहीं की गई। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार निम्न वैद्यों को जो पहले से ही नगरपरिषद् की सेवा में थे, पोस्टिंग ऑर्डर निकाला गया:—

1. श्री हरिशंकर
2. श्री प्रेमकिशोर मिश्रा
3. श्री आनन्द स्वरूप
4. श्री अम्बिकादत्त
5. श्री शिवप्रताप
6. श्री मोतीलाल

(2) (i) जी हां, एक वैद्य श्री मोतीलाल दिनांक 28-2-69 को रिटायर हो गये।

(ii) इस रिक्त स्थान पर श्री गंगाराम को आंशिक भत्ते पर रखा गया है।

(3) जी हां। जैसा कि प्रश्न के भाग 2 में उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गंगाराम की विशेष योग्यता एवं अनुभव के लाभ को ध्यान में रखते हुए उनको आंशिक भत्ते पर नियुक्ति की गई।

(5) स्टाफिंग पैटर्न में पदों की संख्या निर्धारित की हुई है। इसमें यह अंकित नहीं है कि नियुक्ति अंश कालिक हो अथवा पूर्ण कालिक हो।

स्थगित प्रश्न

(13-5-71)

पशुपालकों से पान चराई के मतालबे की वसूली

785. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में पशुपालकों पर पान चराई का हजारों रुपयों का पिछले सालों का मतालबा वसूली हेतु बना दिया गया है? अगर हां, तो किन किन सालों का एवं कितना कितना पान चराई का मतालबा पशुपालकों पर लगाया गया है और किस आधार पर व क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पान चराई के मतालबे की वसूली पशुपालकों से जबरदस्ती की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस वसूली को रोकने के बारे में सरकार को पशुपालकों की ओर से कई दरख्वास्तें दी गई थीं अगर हां, तो कब ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पान चराई की वसूली सरकार द्वारा स्टे की जा चुकी है, परन्तु फिर भी उक्त वसूली अब तक बन्द नहीं की गई है ? अगर हां, तो वसूली स्टे कब की गई थी एवं वसूली अभी तक बन्द क्यों नहीं की गई है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि जहां पशुपालकों पर पान चराई की रकम लगाई गई है वहां पर राजकीय सिवायचक की कोई पड़त भूमि नहीं है एवं सारी चराई काबिले जमीन भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित की जा चुकी है ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि यही पान चराई पहिले घासमारी के रूप में तहसील सांचोर में लगाई गई थी, जो सरकार द्वारा माफ कर दी गई ?

उत्तर

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-2-61 के अनु० 6 के अनुसार 16-7-64 तक जो मतालबा देय था वह इस प्रकार है:—

संवत् 2018 –	18,492.47
संवत् 2019 –	17,671.29
संवत् 2020 –	19,414.48
कुल :—	55,578.24

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

आसामीवार मतालब आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। तत्पश्चात् मतालबे के खारिज की कार्यवाही के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(4) दिनांक 16-7-64 को वसूली न करने के आदेश दिये गये थे। वसूली अब बन्द है।

(5) जिस समय मतालबा कायम किया गया उस समय पान चराई की जमीनें सिवायचक की थी बाद में इन जमीनों को आवंटित किया गया। आवंटन के बाद मतालबा कायम नहीं किया गया।

(6) जी हां। घासमारी की वसूली सारे राजस्थान में बन्द कर दी गई।

स्थगित प्रश्न

(13-5-71)

लाडनूं में भूमि का नामान्तरकरण

787. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील लाडनूं, जिला नागौर के क्षेत्र में कुल कितने नामान्तरकरण कब कब से बिना तसदीक के पड़े हैं ? पटवार क्षेत्रवाईज सूची मय व्यक्तियों के नाम व पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सन् 1969 व 70 में कौन कौन से नामान्तरकरण तसदीक किये गये ? व्यक्तियों के पूरे पत्ते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-5-71)

मोकल-बुईली सीमा सड़क

788. **श्री बालसिंह सोढा** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोकल-बुईली सीमा सड़क के निर्माण के लिये टेन्डर लेकर ठेका भी दे दिया गया था और ठेकेदार को कार्य करने के आदेश भी हो चुके थे ? अगर हां, तो आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पहले भी हो चुका है जो अब भी अपूर्ण पड़ा है ? अगर हां, तो अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

(3) जिस ठेकेदार ने प्रथम बार कार्य किया था उसने कार्यविधि में कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया और उसके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) उपरोक्त सड़क के निर्माण पर आज तक कुल कितना खर्चा हुआ है और किस किस ठेकेदार को कितना कितना भुगतान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सैकिण्ड फेज के टेण्डर स्वीकृत किये गय थे, ठेकेदार को कार्य आदेश नहीं दिये गये ।

(2) जी हां । ग्रेवल रोड़ का काम हुआ है । आखिर के 6 मील का काम अलॉट नहीं किया था और बाकी पड़ा है, भारत सरकार ने आगे काम बन्द करा दिया ।

(3) भारत सरकार के आदेशानुसार ठेकेदारों से कार्य बन्द करवाया था । पुन: आदेश आने पर उन्हीं ठेकेदारों ने कार्य पूरा किया है ।

(4) 85,809) रुपया खर्चा हुआ है । ठेकेदारों को दी गई राशि का विवरण निम्न है :—

(1) मैसर्स जमन सिंह }
(2) पेबू सिंह } =3,32,385

(1) मैसर्स टाक शिवराम) =3,67,467
एण्ड सन्स

विधायक पुरी के फ्लेट नं० 9 की तलाशी

869. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधायकपुरी के फ्लेट नम्बर 9 में श्री सूखदेव आर्य, उप-आयुक्त, सेटलमेन्ट विभाग रह रहे हैं और टेलीफोन डाइरेक्टरी के पृष्ठ 111 में जहां सेटलमेन्ट विभाग के उल्लेख हैं वहां इस ही पते पर श्री सुखदेव के नाम 72541 टेलीफोन है ?

(2) क्या यह सही है कि सी० बी० आई० द्वारा इस फ्लेट की तलाशी ली गई? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(3) क्या यह सही है कि श्री आर्य इस निवास के बदले विभाग से मकान किराया भी वसूल करते हैं ? यदि हां, तो अब तक किस किस माह का कितना कितना किराया वसूल किया है ?

(4) यह सरकारी टेलीफोन विधायकों के फ्लेट में किस की अनुमति से लगाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सी०बी०आई० द्वारा जांच पड़ताल के सिलसिले में दिनांक 8-9-70 को इस फ्लेट की तलाशी ली गई थी ।

(3) जी नहीं ।

(4) बन्दोवस्त अधिकारी, जयपुर अपने निवास स्थान पर सरकारी टेलीफोन के हकदार हैं, अतः इस पद पर कार्य सम्भालने पर उनके निवेदन पर टेलीफोन विभाग ने उनके निवास स्थान पर टलीफोन की सुविधा उपलब्ध कर दी ।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

870. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम शिवसिंहपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नं० 1581/332 की सरकारी भूमि में से किन्हीं लोगों को भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो किन किन को, कितनी कितनी, किस प्रक्रिया के आधार पर ? कृपया आवंटित लोगों के नाम व पूरे पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने भूमिहीन होना बताया है ? यदि नहीं, तो कहां कहां पर कितनी कितनी भूमि बताई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस आवंटित भूमि के अतिरिक्त यहां के आस पास की अन्य सरकारी भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया है और उसको नियमित करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम शिवसिंहपुरा, तहसील सांगानेर में किसी भी भूमि का खसरा नम्बर 158/332 नहीं है ।

(राजस्व मन्त्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्याम कोटेज इण्डस्ट्रीज, कोटा

871. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे:—

(1) जनवरी व फरवरी, 71 में कोटा स्थित श्याम कॉटेज इन्डस्ट्रीज को राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कितना व कौन कौनसा टन माल दिया गया है व क्यों ?

(2) कृपया निगम के आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेन्डम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जनवरी एवं फरवरी, 71 में फ्लेट्स 0–819 मैट्रिक टन (819 किलो ग्राम) तथा एच०आर०बी०पी० शीट्स 3–008 मैट्रिक टन (3008 किलो ग्राम) दिया गया है । माल फेक्ट्री के उपयोग हेतु दिया गया था ।

(2) निगम के आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेन्डम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में मेहर परिवारों को बसाने की सिफारिश

872. श्री रामकिशन (वेर) व श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर, तहसील जयपुर के ब्लॉक विजय महल में खसरा नं० 165, 166, 167 की भूमि पर समीप ही बसने वाले मेहर परिवारों को आदर्श बस्ती के रूप में बसाने की सिफारिश तत्कालीन राजस्व मंत्री, श्री बृजसुन्दर शर्मा ने की थी ? यदि हां, तो उनकी उस सिफारिश पर जिलाधीश जयपुर ने क्या कार्यवाही की ? राजस्व मंत्री ने यह सिफारिश किस तारीख को की थी ।

(2) क्या उक्त खसरा नम्बरान को अनुसूचित जाति के मेहर परिवारों को बसाने के लिये खाली रख रखा है अथवा यह भूमि किसी को आवंटित कर दी गई है ? यदि आवंटित कर दी गई, तो किसको और किस काम के लिये ? नाम, पता तथा जितनी भूमि आवंटित की गई है उसके खसरा नं० व कितनी भूमि आवंटित की गई है तथा किस तिथि को की गई है ? सविवरण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या उक्त भूमि जिस काम के लिये आवंटित की गई थी क्या वह उसी काम में आ रही है ? क्या इस विषय में जिलाधीश, जयपुर को कई शिकायतें इस आशय की, की गई थी कि भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो यह शिकायतें किसने की थी और जयपुर के जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में मेहर परिवारों

(राजस्व मन्त्री)

का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है जो उप-जिलाधीश, जयपुर को प्रस्तुतकर्त्ता के द्वारा ही दस्ती भेज दिया गया था वह पत्रादि उपलब्ध न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री ब्रजसुन्दर शर्मा द्वारा क्या सिफारिश थी व किस तिथि को थी ।

(2) उक्त खसरा नम्बरान व कुछ अन्य भूमि श्रीमती शान्ती देवी विधवा रामनारायण टेमाणी, निवासी चितरन्जन मार्ग, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3-5-68 को कुक्कुट शाला व डेयरी फार्म के लिये 10 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई है, आवंटित भूमि का विवरण संलग्न सूची (क) में है । उक्त खसरा नम्बरान मेहर परिवारों के बसाने हेतु खाली नहीं रखे गये हैं ।

(3) इस विषय में जिन व्यक्तियों ने शिकायत की थी उसकी सूची (ख) संलग्न है । जिलाधीश, जयपुर द्वारा जांच कराई जा रही है ।

सूची 'क'

क्र० सं०	खसरा नम्बर भूमि	रकबा	किस्म जमीन	दिनांक जिसको कब्जा दिया गया
1	165	3।)	बंजड़ दोयम	18-5-68
2	166	।।।)3	,, ,,	,,
3	167	।।।)।	,, ,,	,,
4	149	2।।)2	,, ,,	,,
5	132	2।)	,, ,,	,,
	योग ..	9।।।)।		

सूची 'ख'

विवरण जिनके द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई :–

1. अध्यक्ष, खेतीहर श्रमिक सभा, जयपुर का ज्ञापन दिनांक 2-12-68 व दिनांक 7-12-68 ।
2. पत्र श्री परमानन्द त्रिपाठी, राज्य प्रधान मंत्री, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राजस्थान, जयपुर–दिनक 6-12-68 ।
3. पत्र दिनांक 4-1-69 सहायक सचिव, सतर्कता आयोग ।
4. केदारनाथ, एम०एल०ए० के पत्र दिनांक 1-7-70 एवं 4-8-70 ।
5. श्रीरामकिशन, नेता स०सो०पा० विधायक दल दिनांक 11-6-70 ।

Page No 148

भू-संरक्षण कार्यों की जांच रिपोर्ट

873. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान बनने के उपरान्त अब तक भू-संरक्षण का कार्य कहां कहां कितना कितना किया गया है ?

(2) इस कार्य म कहां कहां कितना व्यय हुआ है और प्रावधान कितना कितना था ?

(3) क्या इस कार्य का मूल्यांकन करवाया गया है ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) यदि मूल्यांकन हुआ हो, तो उसके क्या परिणाम आये ? मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि कोई हो, तो सदन की मेज पर रख।

(5) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त किसी जांच समिति ने भू-संरक्षण कार्यों की जांच की थी ? यदि हां, तो कब और उसकी रिपोर्ट क्या रही ? यदि उपलब्ध हो तो उस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में भू एवं जल संरक्षण योजना वर्ष 1957-58 में लागू की गई। अब तक इस योजना के अन्तर्गत जो उपलब्धियां हुई हैं वो परिशिष्ट 'अ' में दर्शाई गई हैं, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) स इयोजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर भू एवं जल संरक्षण कार्यों पर अब तक जो व्यय आया है वह परिशिष्ट 'ब' में दिखाया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। व्यय के जिलेवार आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। राज्य के मल्यांकन संगठन द्वारा व ̊ 1968-69 तथा 1969-70 में जिला अजमेर एवं पाली को भू-संरक्षण कार्यों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों के मूल्यांकन हेतु चुना गया, एवं मूल्यांकन का प्रतिवदन मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रेषित किया गया, जिसे प्रकाशित नहीं किया गया है।

(4) उक्त रिपोर्ट के अध्ययन से यह प्रकट होता कि भू-संरक्षण कार्यों से कृषि उपज प्रति एकड़ तथा भूमि उपयोग में वृद्धि हुई है। मूल्यांकन का संक्षिप्त प्रतिवेदन, जो कि जिला अजमेर के सम्बन्ध में उपलब्ध है, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'स')

(5) केन्द्रीय सरकार की ओर से भू-संरक्षण कार्यों की जांच हेतु कोई जांच समिति नियुक्त नहीं की गई है। समय समय पर तकनीकी सलाहकारों ने भू-संरक्षण कार्यों की समीक्षा की है, तथा अपनी राय राज्य एवं भारत सरकार को भेजी है।

(सूची विस्तृत होन से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति के परिवारों की आवास समस्या

874. **श्री रावतराम** (छापर) :

(श्री रावतराम)
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के परिवारों की आवास समस्या को हल करने के लिये सरकार ने प्रति परिवार दो हजार रुपये का ऋण बिना ब्याज देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) चालू वर्ष में उक्त कार्य के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? तथा ऋण प्राप्त करने के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा कितनों को स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि कर्जा वापसी के लिये छः माही किश्तें रखी है जबकि किश्त जमा करवाने की अवधि सालाना होनी चाहिये थी ?

(4) जिन परिवारों को कर्जा स्वीकृत होगा उन्हें एक हजार रुपये की सबसिडी भी साथ साथ दी जायगी या नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि एक हजार रुपये की सबसिडी केवल मेहतर परिवारों को ही दी जाती है ? यदि अन्य हरिजन परिवारों को भी दी जाती है तो कृपया बतावें कि चूरू जिले में गैर मेहतर परिवारों को सन् 70-71 में कितनी सबसिडी कहां कहां और किन किन परिवारों को दी गई ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1970-71 से।

(2) चालू वर्ष में भवन निर्माण हेतु ऋण की कोई स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है तथा न ही विभाग में इस वर्ष अभी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

किन्तु गत वित्तिय वर्ष सन् 1970-71 में कुल 4,23,200 (चार लाख तेइस हजार दो सौ मात्र) रुपयों का ऋण स्वीकृत किया गया था।

(3) ऋण लेने वाले की सुविधा को ध्यान में रख कर ऋण वापसी की छः माही किश्त रखी गयी है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। सबसिडी अन्य हरिजन परिवारों को भी दी जाती है. चूरू जिले के किसी गैर मेहतर परिवार को 70-71 में सबसिडी स्वीकृत नही हुई।

भादरा से राजगढ़ सड़क निर्माण कार्य

875. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969 के अकाल में भादरा से राजगढ़ के लिये रोड़ के निर्माण के हेतु अकाल सहायता से कई लाख रुपया खर्च करके मिट्टी डलवाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रोड़ पर तारकोल डालने के लिये सिद्धमुख के रेल्वे स्टेशन पर हजारों तारकोल के ड्रोल आ गये थे।

(3) क्या यह भी सही है इस रोड़ को पक्का कराने का किसी ठेकेदार को ठेका भी दे दिया गया था ?

(श्री हंसराज आर्य)

(4) क्या यह भी सही है कि अब उन ढोलों को वहां से उठा लिया गया है ?

(5) क्या चौथी योजना में इस रोड़ के लिये पैसा रखा गया है ?

(6) यदि हां, तो इसको कब तक पक्का करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां, रखा जा रहा है।

(6) प्रावधान होने पर शीघ्रातिशीघ्र।

लोहारों एवं नायकों की बस्ती, मेड़ता

876. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर के दक्षिण में सोजती चौकी से आगे करीब 30–40 घर लोहारों एवं नायकों के हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इनकी बस्ती में न तो नल की टूंटी है एवं न बिजली के लट्टू हैं, जिससे बस्ती के रहने वालों को पानी व रोशनी की बराबर तकलीफ रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि यहां लोहारों की बस्ती कई वर्षों से स्थित है ? कृपया बताय कि सरकार ने इन्हें किस साल बसाया एवं कितने प्लॉट लोहारों को दिये गये ?

उत्तर

(1) कुल 10, 11 परिवार हैं।

(2) जी हां।

जी नहीं। बस्ती के केवल 100 गज की दूरी पर सार्वजनिक नल है तथा सड़क पर रोशनी है।

(3) 10 वर्ष से केवल एक।

मुल्जिमों को खुराक पर व्यय

877. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान की जेलों में एवं पुलिस हवालात में रहने वाले मुल्जिमों की एक समय की खुराक पर कितना कितना पैसा खर्च किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस हवालात में रहने वाले मुल्जिम को जेल के मुल्जिम से कम पैसे की खुराक मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने इस अन्तर को समाप्त करने का निर्णय किया है ?

उत्तर

(1) पुलिस–राजस्थान की पुलिस हवालात में रहने वाले मुल्जिमों की एक दिन की खुराक पर 75 नये पैसे खर्च किये जाते हैं।

(गृह मन्त्री)

जेल :– राजस्थान जेल मेन्युअल के अनुसार बन्दियों को दी जाने वाली दैनिक खुराक की कीमत ठेके के अनुसार पृथक पृथक जेल पर पृथक पृथक है। एक समय के लिए एक बन्दी की खुराक की कीमत उप-कारागृह पर नीचे से नीचे 45 पैसे तथा अधिक से अधिक 99 पैसे तक है।

(2) व (3) जी हां। राज्य सरकार ने पुलिस हिरासत में रहने वाले मुल्जिमान की खुराक की रकम 75 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया 50 पैसे करने का निर्णय लिया है।

खेड़ली क्रय-विक्रय सहकारी संघ का ऑडिट

878. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेड़ली (जिला अलवर) के क्रय-विक्रय सहकारी संघ का ऑडिट हो चुका है ? यदि हां, तो यह ऑडिट कब हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में गबन के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) खेड़ली (जिला अलवर) को क्रय-विक्रय सहकारी संघ का 30-6-70 तक का ऑडिट हो चुका है। 69-9-70 का ऑडिट 26-11-70 को समाप्त हुआ है।

(2) ऑडिट रिपोर्ट में गबन के कोई मामले नहीं पाये गये हैं अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न हीं नही उठता है।

परिशिष्ट 6

(ता० प्र० सं० 174 की सूची)

सूची 'क'

राज्य के विभिन्न न्यासों द्वारा अनुसूचित-जातियों/जन-जातियों के लोगों की संख्या, जिन्हें प्लॉटों का कब्जा दिया गया :—

नाम न्यास	संख्या
अलवर	12
हिन्डौन	43
गंगापुर	21
अजमेर	5
चितौड़गढ़	7
भीलवाड़ा	28
जोधपुर	1,429
जयपुर	396
उदयपुर	1,035
कोटा	..
भरतपुर	..
बीकानेर	..

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 753 की सूची)

'A'

S. No.	Name of the district	Name of the Panchayat Samiti from which the C. E. Os. are to be withdrawn
1	2	3
1.	Banswara	1. Hnukiya
		2. Kushalgarh
		3. Bagidora
		4. Pipalkhunt
2.	Churu	5. Taranagar
		6. Dungargarh
		7. Ratan Nagar
		8. Sujangarh
3.	Jodhpur	9. Bhopalgarh
		10. Mandore
		11. Balesar
		12. Bap
		13. Osian
4.	Jalore	14. Ahore
		15. Sayala
		16. Sanchore
		17. Jaswantpura
5.	Jhunjhunu	18. Alsiser
		19. Buhana
		20. Udaipurwati
		21. Surajgarh
6.	Bikaner	22. Kolayat
		23. Loonkaransar
7.	Sikar	24. Fatehpur
		25. Khandela
		26. Dohad
		27. Srimadhopur
8.	Barmer	28. Siwana
		29. Sheo
		30. Dhorimana
		31. Chohtan
9.	Jaisalmer	32. Shankra (Pokaran)
		33. Sam

Page No 154

1	2	3
10. Doongarpur		34. Simalwada 35. Bichiwara 36. Aspur
11. Sri Ganganagar		37. Raisinghnagar 38. Sadulsahar 39. Bhadra 40. Sri Karanpur
12. Nagaur		41. Ladnu 42. Jayal 43. Kuchaman 44. Parbatsar 45. Riyan 46. Mundwa

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 753 की सूची)

तालिका

डकैती और हत्याओं के 1-1-70 से 31-3-71 तक के अपराधों की तालिका

क्र० सं०	जिला	डकैती	हत्यायें	पकड़े गये डकैत	मारे गये डकैत	फरार डकैत	चालान किये गये	डकैत जिनका चालान बाकी है
1.	अजमेर	7	30	—	—	—	—	—
2.	अलवर	9	48	—	—	—	—	—
3.	भरतपुर	21	60	81	20	2	73	8
4.	जयपुर	11	47	—	—	19	—	—
5.	झुंझुनू	7	32	1	—	—	1	—
6.	सवाई माधोपुर	4	27	41	5	—	23	18
7.	सीकर	6	14	—	—	—	—	—
8.	टोंक	1	9	—	—	—	—	—
9.	बीकानेर	6	10	—	—	—	—	—
10.	चूरू	—	13	—	—	—	—	—
11.	गंगानगर	12	111	8	—	5	8	—
12.	बाड़मेर	15	15	—	—	—	—	—
13.	जैसलमेर	—	6	—	—	—	—	—
14.	जालोर	4	28	—	—	—	—	—
15.	जोधपुर	8	25	—	—	—	—	—
16.	नागौर	12	30	—	—	—	—	—
17.	पाली	1	28	—	—	—	—	—
18.	सिरोही	1	12	—	—	6	—	—
19.	बांसवाड़ा	1	24	—	—	—	—	—
20.	भीलवाड़ा	8	26	—	—	—	—	—
21.	बूंदी	—	16	—	—	—	—	—
22.	चित्तौड़	1	34	—	—	—	—	—
23.	डूंगरपुर	—	9	—	—	—	—	—
24.	झालावाड़	3	33	7	—	5	7	—
25.	कोटा	4	33	1	3	13	1	—
26.	उदयपुर	3	48	—	—	—	—	—
27.	रेल्वेज	—	—	—	—	—	—	—
	योग ..	141	773	139	28	50	113	26

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, दिनांक 26 मई, 1971

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
4		2	क्या कि	——
4		2	ने	को
8		8	आपन	आपने
8		16	उनको	इनको
9		2	प चेज	परचेज
10	अन्तिम से	1	खरी	खरीद
14		15	वह	व
19	शीर्ष		(मोहनलाल मोदी)	(श्री मोहनलाल मोदी)
21		3	श्री हीरालात देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
22		3	भें	में
27	अन्तिम से	11	हक ।	हक है ।
42	,,	12	वह	यह
50		12	आपमें	आपने
52		7	इस स्थिति पुनः म मुख्य	इस स्थिति में मैं पुनः मुख्य
58	अन्तिम से	11	श्री शाह	श्री किशनलाल शाह
71	,,	9	संख्या	संस्था
76		10	अधिकार	अधिकारी
101		5	वहक	बैठक
103		14	गटना	घटना
114		9	(विपक्ष की ओर से शेम, शेम)	----
117	अन्तिम से	1	ेर	ओर
121	,,	3	मख्य	मुख्य
125		3	कहन	कहने
125		4	कांग्रसी	कांग्रेसी
127	अन्तिम से	7	पनेल	पैनल
137		15	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
152	अन्तिम से	8	उन्होंन्ने	उन्होंने
157		2	गवनमेट	गवर्नमेन्ट
167	शीर्ष		(श्री रामकुमार नन्दवाना)	(श्री रामकुमार)